लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On ...
Parliament Library

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

Preservation Unit
Fumigated
On ...
Parliament Library

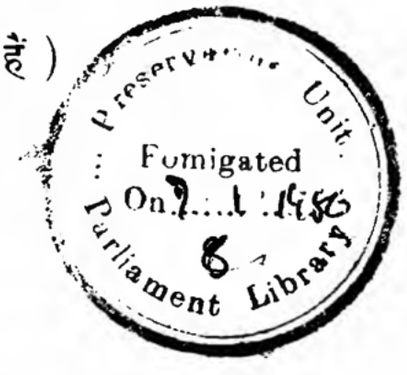

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	
अड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३६–३७
संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . .	१३७—४७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१३७—४७
खंड २, ३ और १	१४५–४६
पारित करने का प्रस्ताव	१४६
गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक	१४७–५६
विचार करने का प्रस्ताव .	१५६
खंड २ से ११ और १ . .	१५६
पारित करने का प्रस्ताव	
सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन	१६०—६८
वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित .	१६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६—७३
अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४६ से ५२ और ५५ से ५८	१७५—६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५६ और ६०	१९७—२००
अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६	२००—१३
पटल पर रखे गये पत्र	२१३–१६
विधेयकों पर राय	२१६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ बावनवां प्रतिवेदन .	२१६
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	२१६–१७
(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक	२१७
(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	२१७
दैनिक संक्षेपिका .	२५६—६१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	२१८—५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७

अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६	४७५—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४९५—९९
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४९९
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४९९—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१–०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७–८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८–८९
राज्य सभा से सन्देश	५९०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षपिका	७२५—३०

अंक १०--सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८९, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ . ७३१--५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१--५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८--८२

स्थगन प्रस्ताव--

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२-८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३-८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४-८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५--८८

प्राक्कलन समिति--

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन-- ७८८

वित्त विधेयक, १९६२--

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८--९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५--९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६-९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा . ७९७--८०५

दैनिक संक्षेपिका ८०६--१२

नोट:--मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, १५ मार्च, १९६२

२४ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*३६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री बलराज मधोक :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बीच चीनी विमानों ने भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)** : (क) २३ नवम्बर, १९६१ के बाद से आकाश सीमा के अतिक्रमण की चार घटनायें हुई हैं ।

(ख) चीन की सरकार को विरोध पत्र भेजे गये हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि कुछ मास पहिले कुछ विदेशी विमानों ने नेपाल भारत की सीमा पर उड़ानें भरी थीं, क्या इस मामले में कोई जांच की गई ?

†**सरदार मजीठिया** : चार बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण हुआ है और चीन सरकार को इन अतिक्रमणों के बारे में विरोधपत्र भेजा गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

1968(Ai) LSD—1.

श्री भक्त दर्शन: माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चार स्थानों पर चीनी वायुयानों ने अतिक्रमण किया है। क्या यह बतलाने की कृपा की जायेगी कि किन किन तारीखों पर और किन किन स्थानों पर ये अतिक्रमण किये गये ?

सरदार मजीठिया : पहला वायलेशन ६ जनवरी, १९६२ को हुआ ।

श्री ब्रजराज सिंह : कहां हुआ ?

सरदार मजीठिया : मैं यही बात कह रहा हूं । ६ जनवरी, १९६२ को शेरथांग में अतिक्रमण किया गया । दूसरा अतिक्रमण ११ जनवरी को जांगी में हुआ । तीसरा ११ को ही स्पीती में हुआ और और चौथा १२ जनवरी को चीनी के निकट हुआ ।

श्री भक्त दर्शन : पिछले प्रश्नों के उत्तर में यह बतलाया गया था कि उत्तरी सीमा पर काफी अच्छा इन्तजाम कर दिया गया है । क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि उस इन्तजाम के बावजूद भी इस तरह की घटनायें कैसे हो रही हैं ?

सरदार मजीठिया : ऐसी घटनायें तो दूसरे करते हैं और उन के लिये इन्तजाम तो है मगर हिन्दुस्तान एक सिविलाइज्ड कंट्री है और सिविलाइज्ड कंट्रीज आम तौर पर शूट नहीं करते हैं, बल्कि प्रोटस्ट करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सत्याग्रह करते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विमान किस प्रकार के थे और वे कहां निर्मित थे, वे विमान रूसी थे अथवा चीनी या अमरीकी ?

†**सरदार मजीठिया** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इस संबंध में चीन की सरकार के पास विरोधपत्र भेजा गया था अतः वे चीनी विमान थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि वे विमान किस प्रकार के थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि चीन सरकार के पास विरोधपत्र भेजा गया था अतः हम अनुमान कर सकते हैं कि चीनियों ने ये विमान भेजे थे । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि उन्होंने यह विमान कहां से खरीदे थे ? उन्हों ने भी किसी विदेशी सरकार से ही खरीदे होंगे जैसे कि हम किसी विदेशी सरकार से खरीदते हैं । तथापि इस से उन्हें हमारे क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या हमारी वायु सेना के विमानों ने कोई बाधा उपस्थित की और उन्हें नीचे लाने का प्रयत्न किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे पहिले ही कह चुके हैं कि एक सभ्य देश होने के नाते हम हवाई जहाजों को नहीं गिराते हैं ।

†**श्री बलराज मधोक** : प्रश्न सभ्यता और असभ्यता का नहीं है । हमारी वायु सेना वहां थी । क्या इन विमानों को रोकने का वायु सेना द्वारा कोई प्रयत्न किया गया ?

†**सरदार मजीठिया** : एक मामले में तो वे हमारे सीमान्त पर केवल तीन मील अन्दर को आये थे और इस में उन्हें कठिनाई से कुछ ही क्षण लगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बलराज मधोक** : आप यह कैसे कह सकते हैं कि वे केवल तीन मील तक ही अंदर आये थे ?

†**सरदार मजीठिया** : हम जानते हैं कि अतिक्रमण केवल तीन से पांच मील तक ही हुआ है। ग्यारह और बारह को काफी घने बादल थे और उन्हें देख पाना कठिन था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या चीनी विमान शेरथांग के दक्षिण में आ गया था अथवा वह शेरथां के ऊपर ही उड़ रहा था, जो कि नाथुला के केवल दो मील दक्षिण में है।

†**सरदार मजीठिया** : वह उस स्थान के निकट केवल तीन मील अन्दर तक चला आया था।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आकाश सीमा का अतिक्रमण बार-बार किया जा रहा है, क्या विमानों को कोई चुनौती भी दी गई है। मेरे विचार से एक सभ्य देश कम से कम इतना तो कर सकता है ?

†**सरदार मजीठिया** : हम एक विरोध पत्र भी भेज चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या विरोध पत्र भेजने के अलावा भी कोई कार्यवाही की है ?

†**सरदार मजीठिया** : वहां और कुछ कर सकना संभव नहीं है।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा है--और पहले भी कहा था--कि इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि इस तरह की कोई घटना न हो। चूंकि ये कार्यवाहियां अब तक चल रही हैं तो क्या इस संबंध में और भी कोई सख्त कदम उठाने की बात सोची जा रही है या अभी तक जो कुछ किया गया है उस को सरकार काफी समझती है ?

†**सरदार मजीठिया** : पिछले चार महीनों में अतिक्रमण के केवल चार मामले हुए हैं। दूसरा विकल्प यही है कि युद्ध छेड़ दिया जाये। मेरे विचार से हम ने अभी इस का निश्चय नहीं किया है

†**श्री त्यागी** : हामारे विरोध पत्र की चीन सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सरदार मजीठिया** : हम अभी उन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आसाम में तेल की खोज

+

†*३७. { **डा० सामन्तसिंहार** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में तेल खोज कार्यक्रम पर अमल करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में और विलम्ब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात, खान और ईंधद मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) आयल इंडिया कम्पनी को जिन क्षेत्रों के लिये पट्टा मंजूर किया गया है उन क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। केवल नये क्षेत्र में जहां खोज की अनुज्ञप्ति अभी मंजूर नहीं की गई है तेल की खोज के कार्य में विलम्ब हुआ है।

(ख) आसाम की सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड को अभी डुमडुमा क्षेत्र में तेल की खोज का लायसेन्स मंजूर नहीं किया है।

(ग) आसाम सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह स्वामिस्व संबंधी मतभेद के तय होने से पहिले ही तेल की खोज का लायसेन्स अथवा सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दें।

†**डा० सामन्त सिंहार**: स्वामिस्व निश्चित करने के संबंध में आसाम सरकार की क्या मांग है? उन्हें पहिले किस दर से स्वामिस्व दिया जाता था?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: समझौता जिसे पूरक समझौता कहते हैं, और जो १९६१ में किया गया था—के अधीन तेल-कूप पर कीमत निर्बाध मंडियों में प्रचलित दर के आधार पर लगायी गयी थी। तेल-कूप पर कीमत का हिसाब लगाने का एक नया तरीका, शोधना शालाओं से उनके स्थान पर ली जाने वाली कीमत में से परिवहन का व्यय घटाने के आधार पर निश्चित किया गया था। आसाम सरकार का यह विचार है कि इस से तेल-कूप पर कीमत कम प्राप्त होगी। अतः इसे से स्वामिस्व की दर पर आघात होगा इस प्रश्न पर भारत सरकार और आसाम सरकार के बीच बातचीत हो रही है।

†**श्री प्र० गं० देव**: इस विवाद से आयल इंडिया लिमिटेड को कितनी हानि उठानी पड़ी है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: आयल इंडिया लिमिटेड को इस से कोई हानि नहीं हुई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या आयल इंडिया कम्पनी के उस दर से स्वामिस्व न देने पर, जिस दर पर आसाम आयल कम्पनी वह पहिले दे रही थी, आसाम आयल कम्पनी भी आयल इण्डिया लि० की तरह आसाम सरकार द्वारा मांगी गई दर पर स्वामिस्व नहीं दे रही है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है यह दूसरे पट्टे से सम्बन्ध रखता है। यदि इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न पूछा जाये तो मैं यह जानकारी दे सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: जब भारत सरकार और आसाम आयल कम्पनी के बीच समझौता हुआ तो क्या आसाम की सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया? यह बाधा इतने बाद में किस प्रकार उपस्थित हो गयी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: इस समझौते की पुष्टि निदेशक बोर्ड के द्वारा की गयी थी जिस में आसाम की सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे। बाद में विघ्न आने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उन्हें स्वामिस्व से होने वाली आय में घाटा होगा तो वे इस मामले को उठा सकते हैं हम इस सम्बन्ध में उचित निश्चय पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ**: इस बात को देखते हुए कि यह स्वामिस्व का मामला आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज में अड़चन पैदा कर रहा है और आसाम आयल कम्पनी का भी इस में हाथ है, आसाम आयल कम्पनी द्वारा आसाम सरकार की मांग स्वीकार न करने के लिये कौन सा तर्क दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे विचार से जिस ढंग से प्रश्न पूछा गया है वह सही नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न कुछ अनुमानों पर आधारित किया है, मैं कह चुका हूं कि समझौते के परिणामस्वरूप तेल-कूप पर की कीमतों में परिवर्तन किया गया है । आसाम सरकार समझती है कि उन्हें इस से घाटा होगा और क्योंकि स्वामिस्व तेल-कूप पर ली जाने वाली कीमत पर आधारित होता है अतः उन के राजस्व में कमी आयेगी । इस मामल की जांच की जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ :** 'आसाम आयल कम्पनी' ने कुछ तर्क रखे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे तर्क क्या थे । वह तो तेल का एकाधिकार है और वही इस के निबटारे में रोड़ा बना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । यह तो बाल की खाल निकालना है । करार के अनुसार तेल समवाय ने कुछ दरें निर्धारित कर दी हैं और वे दरें नीची हैं । इस पर आसाम सरकार सोच रही है कि दरें नीची होने के कारण उस को मिलने वाली रायल्टी भी कम हो जायेगी । फिर उस पर बहस की और क्या गुंजाइश रही ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं ने तो यह पूछा है कि आसाम सरकार से पहले प्रारम्भिक अवस्था में परामर्श क्यों नहीं किया गया था । इस पर उन्हों ने उत्तर दिया था कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने यह भी कहा था कि निदेशक बोर्ड में आसाम सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि आसाम सरकार से परामर्श नहीं किया गया था । अलग से परामर्श करने की आवश्यकता ही नहीं, जब सरकार का एक प्रतिनिधि निदेशक की हैसियत से बोर्ड में रहता है । यदि वही सरकार को स्थिति न बताये और परामर्श न करे, तो जिम्मेदारी उसी की है ।

मैं अब अधिक अनुपूरकों की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** एक औचित्य प्रश्न है । 'आसाम आयल कम्पनी' कहती है कि चूंकि नहर-कोटिया डिग्बोई से केवल २४ मील की दूरी पर है, इसलिये डिग्बोई तैल-क्षेत्र के ही मूल्य नहर-कोटिया क्षेत्र पर भी लागू किये जाने चाहियें । बड़ा विचित्र तर्क है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं । अगला प्रश्न ।

भारत में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा सहायता

†*३८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कुछ सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक 'एसोसिएशन' से सिंचाई और विद्युत् की इन परियोजनाओं के लिये सहायता मांगी गई है :

(१) उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई योजनायें ;

(२) गुजरात में शेत्रुन्जी सिंचाई परियोजना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उड़ीसा में सालन्दीं सिंचाई परियोजना ;

(४) पंजाब में बाढ़-नियंत्रण और जल-निस्सारण परियोजना ;

(५) दामोदर घाटी निगम में दुर्गापुर तापीय केन्द्र में एक अतिरिक्त संयंत्र की संस्थापना;

(६) बिहार में सोन बांध और महाराष्ट्र में केन्या परियोजना का द्वितीय चरण ;

(७) आन्ध्र में कोठागुडम विद्युत् परियोजना ; और

(८) डाक तथा तार परियोजना ।

(ग) (१) से (५) तक उल्लिखित परियोजनाओं के लिये करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । "एसोसिएशन" अभी अन्य परियोजनाओं पर विचार कर रही है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या दामोदर घाटी तापीय केन्द्र की परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है ? इसके बाद विद्युत्-शक्ति का कितना विस्तार होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर तापीय केन्द्र में अतिरिक्त क्षमता के संस्थापन के लिये १ करोड़ ८५ लाख डॉलर आवंटित किये गये हैं इस के करार पर कल वाशिंगटन में हस्ताक्षर हो गये होंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता के लिये इन परियोजनाओं का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के विशेषज्ञों ने प्रस्तावों की परीक्षा की थी और भारत सरकार के परामर्श से परियोजनाओं का चुनाव किया था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : भारत सरकार ने इन परियोजनाओं को किस आधार पर चुना था और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से उन की सिफारिश की थी ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: आधार चुनना केवल हमारे हाथ में नहीं था । वह संस्था पर भी निर्भर था । दोनों की सहमति से चुनाव हुआ है । अन्य कोई आधार नहीं था ।

डा० गोविन्द दास : जो अभी चुनाव किया गया है योजनाओं का, इनके सिवा भी क्या और कोई योजनाएं विचाराधीन हैं और क्या इन पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, यह जो मैं ने अभी पढ़ा है, उस में से पांच के बारे में तो एग्रीमेंट (करार) हो चुका है । बाकी जो पोस्ट और टैलीग्राफ स्कीम है, बम्बई बन्दरगाह के बारे में है, कोथागुदाम पावर प्रोजैक्ट आंध्र प्रदेश में है, सोन बैरेज बिहार में है और कोयना प्राजेक्ट महाराष्ट्र में है, इन सब स्कीम्ज़ के बारे में बातचीत चल रही है और मेरा खयाल है कि निकट भविष्य में इन के मामले में भी कोई न कोई एग्रीमेंट हो जायेगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या इन परियोजनाओं से संबंधित करारों में इस का ध्यान रखा गया है कि परियोजनायें अपनी ओर से भी ऋण की अदायगी में अंशदान करें ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : करारों की शर्तों के अनुसार ऋण काफी दीर्घकालीन है । गैर-अदायगी के दस वर्ष मिला कर, ऋण की पूरी अदायगी पचास वर्ष में होनी है। इसलिये ऋण काफी दीर्घकालीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** तब तो इन परियोजनाओं को ऋण की अदायगी में अंशदान करने में और भी आसानी पड़ेगी और उस से सामान्य राजकोष पर अधिक भार भी नहीं पड़ेगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** सामान्यतया यही सोचा जाता है, पर ऐसा होता नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** केवल उत्तर प्रदेश में गहरे नलकूपों द्वारा सिंचाई की बात सोची गई है । क्या ऐसी परियोजनायें देश के अन्य भागों में भी शुरू की जायेंगी, जहां उनकी बड़ी आवश्यकता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अभी इस समय तो उत्तर प्रदेश में ही नलकूप-सिंचाई योजना है । अभी इस प्रकार की अन्य कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है । मैं अटकलबाज़ी का उत्तर तो नहीं दे सकती ।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे :** उत्तर प्रदेश भी इस सहायता से लाभान्वित होगा । सिंचाई और विद्युत् पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** नलकूप-सिंचाई के लिये ६० लाख डालर आवंटित किये गये हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : यह संस्था अभी कितनी और परियोजनाओं पर विचार कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुकी हूं कि छः परियोजनायें अभी विचाराधीन हैं ।

गैस और भट्टी का तेल

†३९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी को दूर करने के विचार से सरकार गैस और भट्टी के तेल के अधिक इस्तेमाल के प्रश्न पर विचार करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उद्योगों में तेल और गैस द्वारा किस हद तक कोयले का स्थान लिए जाने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). उद्योगों में, विशेषकर कोयला-क्षेत्रों से दूर स्थित पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों के उद्योगों में, कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस और भट्टी के तेल का प्रयोग आरंभ करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है । इसीलिये अभी इस अवस्था पर यह प्रश्न नहीं उठता कि तृतीय योजना काल में उद्योगों में कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस और भट्टी के तेल का प्रयोग किस सीमा तक किया जायेगा । यह प्रश्न बाद में उठेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मुख्यतः किन उद्योगों में कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस और भट्टी के तेल का प्रयोग किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं बता दूं कि अभी भी कई औद्योगिक कारखाने, विशेष कर समुद्र-तटीय प्रदेश में स्थित कारखाने कोयले के स्थान पर भट्टी का तेल प्रयुक्त कर रहे हैं । 'बर्नर' बदल कर,

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल को ईंधन की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। मैं उद्योगों के नाम तो नहीं गिना सकता, पर कोयले से चलने वाला कोई भी उद्योग 'बर्नर' बदल कर भट्टी के तेल का ईंधन की तरह प्रयोग कर सकता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** औद्योगिक प्रयोजनों के लिये तेल-गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है और गैस की कितनी अनुमित मात्रा कोयले के स्थान पर ईंधन की तरह प्रयुक्त की जा सकेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अभी ऐसा अनुमान लगाना कठिन है।

बिना सील तोड़े हुए मतदान पेटियों का खोला जाना

†*४०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रजा परिषद् के उप-प्रधान ने जम्मू में सम्वाददाता सम्मेलन में इसका प्रदर्शन किया कि मतदान पेटियों को बिना सील तोड़े हुए खोला जा सकता है;

(ख) क्या ठोघली निर्वाचन क्षेत्र में प्रजा परिषद् के एक चुनाव एजेन्ट ने निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अफसर) के सामने १२५ मतदान पेटियों को खोला था;

(ग) क्या मुख्य चुनाव अधिकारी (चीफ इलैक्टोरल अफसर) ने केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त (सैंट्रल इलैक्शन कमिश्नर) को इस शिकायत की सूचना दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन):** (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने इस बारे में समाचार देखे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित हिदायतें जारी की गई थीं—

(१) चुनाव आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक मतदान पेटी के बाहर दो कागज़ की पर्चियां साथ साथ चिपका दी जायें कि कागज़ फाड़े बिना ढकना न खुल सके। चुनाव एजेन्ट जो वहां हो और निर्वाचन अधिकारी उस कागज़ पर हस्ताक्षर करें।

(२) निर्वाचन समाप्त हो जाने पर, प्रत्येक मतदान पेटी को कपड़े में लपेट कर सी दिया जाये और सिलाई पर निर्वाचन अधिकारी और उन चुनाव एजेंटों की मोहरें जो लगानी चाहें लगा दी जायें।

(३) उसके उपरान्त सब मतदान पेटियां जो कि मतदान स्टेशनों पर प्रयोग में लाई गई हों बोरी में रख दी जायें। बोरी पर निर्वाचन अधिकारी को मोहर लगा देनी चाहिए और जो उपस्थित निर्वाचन एजेन्ट अपनी मोहरें लगानी चाहें लगा दें।

(४) निर्वाचन केन्द्र पर मतदान पेटियां मोहर लगने और बोरी में बन्द की जाने के बाद, बोरियां केवल उसी स्थान पर उम्मीदवारों के सामने खोली जा सकती हैं जहां वोटों की गिनती हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) जो निर्वाचन एजेन्ट निर्वाचन अधिकारी और पुलिस के दस्ते के साथ जब वे मतदान पेटियां नियत स्थान पर ले जा रहे हों जाना चाहें उसे जाने दिया जाये ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन दिन से पहले मतदान पेटियों का निरीक्षण किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या निर्वाचन आयुक्त ने पेटियों का उन्हें विभिन्न निर्वाचन केन्द्रों को भेजने से पूर्व निरीक्षण किया था ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह देखने के लिए कि उन्हें कोई खोल न पाये ? हां, प्रत्येक का निरीक्षण किया जाता है । यथार्थ में प्रत्येक मतदान पेटी का निर्वाचन केन्द्रों को भेजने से पूर्व निरीक्षण किया जाता है ।

†**श्री बलराज मधोक :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो हिदायतें माननीय मंत्री जी ने अभी पढ़ी हैं उनका पालन किया गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** कोई शिकायत नहीं आयी है कि हिदायतों का पालन नहीं किया गया है ।

†**श्री बलराज मधोक :** बहुत सी शिकायतें हुई हैं कि इन हिदायतों का पालन नहीं हुआ है । चुनाव से दो दिन पहले डिब्बों के खोले जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किये गये और इन दो दिनों में उन चुनाव स्टेशनों को जो जम्मू से सैकड़ों मील दूर थे हिदायतें नहीं भेजी जा सकीं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सब प्रेसाइडिंग आफिसर्स को हिदायतें भेजी गईं । हमारे पास अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि हिदायतों का पालन नहीं किया गया ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बैलट बाक्सेज जम्मू और काश्मीर गवर्नमेंट ने बनाये थे या एलेक्शन कमीशन ने बनाये थे ।

श्री अ० कु० सेन : एलेक्शन कमीशन ने बनाये थे ।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह मतदान डिब्बे कहां बनाये गये ? यदि निर्वाचन आयोग अपनी निगरानी में इन्हें बनाने के लिए जिम्मेवार था तो क्या वितरण से पहले उनका निरीक्षण किया गया था ? यह कैसे हुआ कि यदि डिब्बे अच्छी तरह से बनाये गये थे तो उन्हें इतनी आसानी से खोला जा सका ?

†**श्री अ० कु० सेन :** जिन स्थानों पर यह दिखाया गया कि मतदान डिब्बे खोले जा सकते थे, निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया कि ऐसे ११ निर्वाचन क्षेत्रों में यहां से इन डिब्बों की शिकायतें आई थीं निर्वाचनों में गौडरेज कम्पनी के बने हुए डिब्बों का प्रयोग किया जाये । मेरा विचार है कि इन ११ निर्वाचन क्षेत्रों को गौडरेज टाइप के मतदान डिब्बे दिये गये थे ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दुरुस्त है कि वजीरआजम जम्मू और काश्मीर ने एलेक्शन कमीशन से यह दरख्वास्त की थी कि यह बैलट बाक्सेज बदले जायें और चूंकि टाईम नहीं था इसलिए बैलट बाक्सेज नहीं बदले गये ?

श्री अ० कु० सेन : यह मुझे नहीं मालूम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह मतदान डिब्बे वही हैं जो १९५७ के निर्वाचनों में जारी किये थे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** इस बार जो डिब्बे जारी किये थे उन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें विभिन्न तरीकों से खोला न जा सके बहुत से परिवर्तन किये गये । मैं बिना कागज़ात देखे नहीं कह सकता कि कौन से परिवर्तन लाये गये, परन्तु वे सब मतदान डिब्बों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये गये थे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मतदान डिब्बों के डिज़ाइन को अन्तिम रूप देने से पूर्व वे सब राजनैतिक दलों के सामने रखे गये थे और उन की प्रतिक्रिया मालूम की गई थी ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं बिना कागज़ात देखे नहीं कह सकता परन्तु मेरा विचार है कि वे दलों को दिखाये गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या एजेन्ट उपस्थित नहीं थे ?

†**श्री बलराज मधोक :** एजेन्टों को बाहर निकाल दिया गया । उन्हें वहां रहने नहीं दिया ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** वहां एजेन्टों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि बोरी में मतदान डिब्बों को पैक करने की हिदायतें निर्वाचन पदाधिकारियों (प्रेसाईडिंग आफिसर्ज़) को कब मिली थीं ? क्योंकि बंगाल में कोई ऐसा मतदान डिब्बा नहीं था जो इस प्रकार पैक किया गया हो ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह जम्मू काश्मीर के लिए था ।

†**एक माननीय सदस्य :** नहीं सम्पूर्ण भारत के लिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा, कोई शिकायतें नहीं थीं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यदि पश्चिमी बंगाल के बारे में प्रश्न है तो मुझे पृथक सूचना चाहिए ।

आसाम के तेल पर रायल्टी

*४१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार और केन्द्र सरकार के बीच रायल्टी के मामले के कारण आयल इण्डिया लिमिटेड ने तेल की खोज का काम निलम्बित कर दिया है और इससे तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पड़ जाने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) आयल इण्डिया लिमिटेड ने तेल की खोज का काम उन क्षेत्रों में नहीं निलम्बित किया था जहां उनके पास पहले ही पट्टे हैं । हां, नये क्षेत्र में तेल की खोज आरम्भ करने में देरी कर दी गई है ।

(ख) आसाम सरकार से प्रार्थना की गई है आयल इण्डिया लिमिटेड को खोज करने के लिए लाइसेंस दिया जाये और रायल्टी के प्रश्न पर मतभेद का फैसला होने तक नये क्षेत्र में सर्वेक्षण करने की इजाज़त दी जाये ।

---

†मल अंग्रेज़ी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जहां तक नये क्षेत्रों की खोज का सम्बन्ध है, आसाम सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? बातचीत में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** नये क्षेत्रों की खोज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई । जिस क्षेत्र के बारे में भारत सरकार और आयल इण्डिया लिमिटेड में पहले ही समझौता हो चुका है उसे लाइसेंस देने का प्रश्न निलम्बित है । आसाम सरकार ने वह लाइसेंस जारी नहीं किया है क्योंकि उन्होंने रायल्टी के दरों का प्रश्न उठाया है । इस प्रश्न पर बातचीत हो रही है और ज्यों ही इसका फैसला होगा चाहे रायल्टी के प्रश्न का फैसला न भी हुआ हो आसाम सरकार शायद आवश्यक पट्टा जारी कर दे ।

†**डा० सामन्त सिंहार :** क्या रायल्टी के दरों में कोई असमानता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को पता है आसाम ही केवल एक राज्य है जहां से हम वाणिज्योपयोगी मात्रा में तेल पैदा कर रहे हैं । दूसरा राज्य केवल गुजरात है । जो भी रायल्टी की साधारण दर होगी वह भारत के सभी हिस्सों में लागू होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** आसाम सरकार ने कितनी रायल्टी मांगी है और आयल इण्डिया कितनी रायल्टी देने के लिए तैयार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जैसाकि मैं ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताने की कोशिश की, इसकी गणना उस रूप में नहीं होती । कूप पर तेल की कीमत नियत करने का अधिकतर तर्कसंगत तरीका समझौता होने के कारण निकाला गया है । मैं और भी कहना चाहूंगा कि यह देश के लिए हितकारी है, क्योंकि शुरू में कूप पर कीमती भट्टी थी जोकि संसार के दूसरे भागों में थी । अब बुनियादी बात यह है कि बाजार की कीमत वही होगी जिस पर तेल शोधक कारखाने को तेल दिया जायगा । कूप पर कीमत तेल शोधक कारखाने की कीमत में यातायात के खर्चे को कम करने से शेष कीमत के बराबर होगी । इस जगह रायल्टी की कुल प्रमात्रा पर प्रभाव पड़ता है । बहुत मात्रा में तेल निकालने से रायल्टी की दर थोड़ी कम हो सकती है परन्तु आसाम सरकार की प्रत्याय बहुत अधिक होगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** चूंकि यह अंग्रेज़ी आसाम आयल कम्पनी बहुत लाभ उठा रही है तो आर्थिक बोझ के कारण आसाम राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार रायल्टी के प्रश्न का फैसला उस के पक्ष में क्यों नहीं किया गया ? जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तो क्या भारत सरकार आसाम सरकार को कोई तदर्थ भुगतान करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य, यद्यपि वह आसाम के रहने वाले हैं और इस मामले पर विचार भी करते रहे हैं, आसाम आयल कम्पनी और आयल इंडिया लिमिटेड के बीच ठीक तरह से भेद नहीं कर पा रहे हैं । यह प्रश्न आसाम आयल कम्पनी से सम्बन्धित नहीं है । यह तो उस पट्टे के बारे में है जिसके सम्बन्ध में नई कम्पनी, आयल इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार और आसाम सरकार में समझौता हुआ है । आयल इण्डिया कम्पनी में भारत सरकार के ५० प्रतिशत हिस्से हैं मेरे विचार में वह उन क्षेत्रों के बारे में पूछ रहे हैं जोकि अलहदा से आसाम आयल कम्पनी के पास हैं । यदि अलग प्रश्न की सूचना दी जाय और यदि आसाम आयल कम्पनी और आसाम सरकार में हुए समझौते के निर्वचन के बारे कोई सन्देह हो, तो सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी की जा सकती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं । मुझे आयल इण्डिया लिमिटेड और आसाम सरकार के अन्तर का पता है और आसाम में तेल के भारत सरकार के हितों का भी पता है । गत्यावरोध पैदा करने में आसाम आयल कम्पनी का भी भाग है । इसलिये मैं ने इस ओर संकेत किया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं । मैं यह प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं देता हूं । प्रश्न केवल उस रायल्टी के बारे में है जोकि आयल इंडिया लिमिटेड देती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न का अगला भाग है कि क्या सरकार ने कोई तदर्थ भुगतान दिया है

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं देता हूं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि दिगबाई तेलक्षेत्रों में जो कच्चा तेल पैदा किया जाता है उसकी कूप पर कीमत ७० रुपये प्रति मीट्रिक टन है और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए ४८ रुपये नियत की गई है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं इन आंकड़ों की न तो पुष्टि कर सकता हूं और न ही इसका खंडन कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास आंकड़े बिल्कुल नहीं हैं ।

मद्य-निषेध

+

†*४२. **श्री अगाड़ी :**
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से उनके राज्यों में मद्यनिषेध के क्रमबद्ध कार्यक्रम के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण प्रत्येक राज्य में कितने राजस्व की हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या मैसूर ताल्लुक (नगर समेत) और मंड्या ज़िले में मद्यनिषेध के कारण जुलाई १९६१ से अब तक हुई राजस्व की हानि के लिये मैसूर सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि सहायता के रूप में देना स्वीकार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) नहीं, केवल दिल्ली और त्रिपुरा के केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को छोड़ कर । इन क्षेत्रों से प्राप्त क्रमबद्ध कार्यक्रम विचाराधीन हैं ।

(ख) इनका ब्योरा क्रमबद्ध कार्यक्रमों के प्राप्त होने के बाद तैयार किया जा सकता

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ।

†**डा० सामन्त सिंहार :** क्या राज्यों को इसके लिये और अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार :** भारत सरकार ने हानि का आधा भाग देने की पेशकश की है ।

†**डा० सामन्त सिंहार :** क्या इस आधे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार :** उत्पादन आय में हुई हानि का आधा भाग ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या साहाय्य को बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार :** अभी समय नहीं आया ; वह प्रस्ताव अभी क्रियान्वित किया जाना है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया है कि यदि वे पूर्ण मद्यनिषेध कर दें, तो वह आय में हुए घाटे का आधा भाग पूरा कर देगी ।

†**श्री दातार :** यह मामला राज्य सरकारों को बताया गया था । इस के बाद केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक हुई थी । उस बैठक में तीसरी योजना में पूर्ण मद्यनिषेध के क्रमबद्ध कार्यक्रम को सिद्धान्त रूप में मान लिया गया था और राज्य सरकारों से क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिये कहा गया था । यह प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

†**श्री दातार :** तीसरी योजना की अवधि में पूर्ण मद्य निषेध लागू करना ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** देश भर में ?

†**श्री दातार :** देश भर में ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मद्यनिषेध वाले इलाकों में शराब पीने की आदत खत्म हो गई है या कम हो गई है ? क्या शराब न पीने के हक में कोई प्रचार किया गया है या शिक्षा दी गई है ?

†**श्री दातार :** इस पर राज्य सरकारों ने विचार करना है । मैं नहीं समझता कि बुराई इतनी फैली हुई है जितनी कही जाती है ।

†**श्री त्यागी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्यनिषेध वाले क्षेत्रों में शराब पीने की आदत कम हुई है या नहीं ? क्या कोई रिपोर्ट मिली है ?

†**श्री दातार :** मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच है कि केरल के योजना मंत्री ने योजना आयोग को कहा है कि मद्यनिषेध देश के अन्य भागों में लागू करने से पहले इसकी जांच होनी चाहिये, (२) कि मद्य-निषेध के कारण होने वाला सारा घाटा केन्द्र पूरा करे, (३) कि विशेष बल रखने के लिए केन्द्र सहायता दे, (४) कि क्या क्रमबद्ध कार्यक्रम का कार्यक्रम

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । यही प्रश्न और रूप में पूछा गया था । मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र ५० प्रतिशत घाटा पूरा करेगा । डा० सामंत सिंहार ने पूछ था कि क्या साहाय्य बढ़ाया जायेगा । उन्होंने कहा था कि अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता । इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री नाथ पाई :** यदि उत्तर दिया जा चुका है, तो मैं यह नहीं पूछूंगा । मैं यह जानना चाहता था कि केरल सरकार ने कार्यक्रम के बढ़ाये जाने से पहले मद्यनिषेध की जांच की मांग की है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोराजी देसाई) :** उन्हें जांच करने से कोई नहीं रोकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है । मैं उन्हें कई अवसर देता रहा हूं । प्रत्येक विषय पर । अन्य व्यक्ति भी इस मामले में रुचि रखते हैं ।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या साहाय्य देने के मामले में उन राज्य सरकारों के मामलों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने पूरा मद्यनिषेध कर रखा है और अन्य कर लगा कर कुर्बानी कर रहे हैं, या केवल उन नये राज्यों के मामलों पर जो मद्यनिषेध की नीति शुरू करने वाले हैं ?

†**श्री दातार** : सब कार्यक्रमों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति सारे प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या सरकार को मालूम है कि कितने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे और यदि हां, तो इन को फिर बसाने के लिये कोई योजना है ?

†**श्री दातार :** यह राज्य सरकार का काम है ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत सरकार की मद्यनिषेध नीति के बावजूद, राज्य सरकारें नई आसवनियों के लिए लाइसेंस दे रही हैं ? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गाज़ियाबाद में करोड़ों रुपयों के खर्च पर, जिस में विदेशी मुद्रा भी शामिल है, डाइर मिकिन्स लि० को एक नई आसवनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया है ?

†**श्री दातार :** मुझे माननीय सदस्य के सुझाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं है केवल इतना मालूम है कि गाज़ियाबाद के कारखाने के बारे में भारत और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच पत्रव्यवहार हो रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि तीसरी योजना की अवधि में सारे देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया जायेगा । एक वर्ष बीत चुका और अभी तक राज्यों से जवाब तक नहीं आये । क्या राज्यों से यह अनुरोध किया जायेगा कि जल्दी से जल्दी इस बारे में अपने निर्णय करें ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न का निर्णय सितम्बर, १९६१ में किया गया था । इसके बाद राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम तैयार कर रही हैं ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार की सरकारी शराब की दुकानें चलाने की योजना है और यदि हां, तो भारत सरकार ने उसे क्या सलाह दी है ?

†**श्री दातार** : हमारे सुझाव के सम्बन्ध में उनका उत्तर प्राप्त होने पर प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में बम विस्फोट

†*४३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले छः महीनों में हुए बम और पटाखों के विस्फोटों सम्बन्धी मामले निपट गये हैं और अपराधी पकड़े जा चुके हैं तथा उनको सजा दी जा चुकी है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या एक ब्यौरेवार विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या इनमें किन्हीं विदेशी एजेन्टों का हाथ होने का सन्देह है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) मामलों की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ये विस्फोट बहुत देर से हो रहे हैं । इन छः मासों में केवल दिल्ली में लगभग सात विस्फोट हुए हैं । क्या सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि विस्फोट करने वाले अपराधियों का उद्देश्य क्या था ?

†**श्री दातार :** किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन है यद्यपि सरकार विभिन्न सुराग़ लगा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या दिल्ली और काश्मीर में हुए विस्फोटों में कोई सम्बन्ध पाया गया है ? मेरे विचार में केवल इन दो स्थानों पर विस्फोट हुए हैं ।

†**श्री दातार :** जी नहीं ।

†**श्री बलराज मधोक :** क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से जो निश्चित अवधि से अधिक समय तक देश में रह गये थे, पूछताछ की गई थी ?

†**श्री दातार :** इन मामलों में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं वजीर दाखिला से कि क्या यह दुरुस्त है कि ये जो धमाके होते हैं या जो बम फेंके जाते हैं ये अक्सर इलैक्शन के पहले फेंके जाते हैं, और खास तौर से माइनारिटीज़ के इलाके में फेंके जाते हैं ? अगर यह दुरुस्त है तो इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या तहकीकात की है, और वह कौनसी जमाअतें हैं जिनका हाथ इन धमाकों के पीछे है ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है ।

श्री अ० मु० तारिक : यह कोई नया प्रश्न नहीं है । मैं गृह मंत्री से यही प्रश्न पूछता रहा हूं । वह मेरी भाषा नहीं समझते ।

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** ये क्रेकर्स पहले भी फेंके गये थे । लेकिन इधर ऐसा देखने में आया है कि ठीक इलेक्शन के पहले ही ऐसे वाकयात हुए, और ऐसा लगता है कि उससे कुछ पोलीटिकल असर पैदा करने की कोशिश की गयी है, और खास तौर से माइनारिटीज़ में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने के लिए और उनको परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है । अभी हमारी जांच पड़ताल इस बारे में पूरी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि एक खास मौका इस के लिए चुना गया और एक खास जगह चुनी गयी, इसलिए दिमाग पर यह असर होता है कि यह काम गलत असर पैदा करने के लिए किया गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार इस मामले में जांच पड़ताल करने और कड़ी कार्यवाही करने के लिए पुलिस संस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार:** सरकार ने एक विशेष दल स्थापित किया है जिस में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

त्रिपुरा में तेल के निक्षेप

†*४६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों की राय के अनुसार त्रिपुरा के कमालपुर सब-डिवीजन में लोंग-तराई पहाड़ियों में बौरिछरात में पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है; और

(ख) यदि हां,तो सरकार पेट्रोलियम निकालने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं, किन्तु यह उन क्षेत्रों में से हैं कि यदि तेल की हमारी खोज में लौंग-तराई पहाड़ियों की श्रृंखलाओं को शामिल किया जाए तो हाइड्रोकार्बनों की संभावना हो सकती है। शायद उस क्षेत्र में तेल की खोज जारी रखना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं होगा।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या बर्मा तेल कंपनी और स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी ने त्रिपुरा में तेल संसाधनों की खोज करने के लिये भारत सरकार से अनुज्ञापत्रों के लिये पृथक पृथक प्रार्थना की है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे इसका पता नहीं है। मेरे पास यह सूचना नहीं। यदि पृथक प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

रूस को बेचा जाने वाला भारतीय इस्पात

†*४७७. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भिलाई इस्पात संयंत्र से इस्पात खरीदने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस्पात की कुल कितनी मात्रा का सौदा तय हो चुका है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). भिलाई इस्पात संयंत्र ने रूस को कोई इस्पात नहीं भेजा है और १६६२ के लिये रूस को इस्पात के निर्यात के लिये को लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

डा० गोविन्द दास : जहां तक भिलाई के उत्पादन का सम्बन्ध है, क्या यह बात सही नहीं है कि वह इस वर्ष करीब करीब दुगना हो जायेगा ? यदि हां, तो ऐसी हालत में इस देश की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्या हमारे यहां कुछ ऐसा फ़ौलाद बनेगा, जो हम बाहर भेज सकेंगे और अगर भेज सकेंगे, तो कितना भेज सकेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कहना कठिन है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद कितना इस्पात बचेगा। ज़ाहिर है कि अगर बचेगा, तो वह बेचा जा सकता है। यह बड़ी लम्बी चौड़ी दुनिया है और इस्पात को ख़रीदने वाले बहुत से ग्राहक मिल सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : क्या रूस ने ऐसी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वह हमारा स्टील खरीदना चाहता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैं ने अभी कहा है, न सिर्फ़ रूस, बल्कि और बहुत से ग्राहक हैं। अगर हमारे पास फ़ालतू स्टील हो, तो हम यक़ीनन बेच सकते हैं।

†**श्री प्र० गं० देव :** भिलाई संयंत्र से कितना इस्पात वर्ष में आता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता है कि जनवरी में भिलाई इस्पात परियोजना ने इस्पात पैदा किया जिसने हमें दस लाख टन की पूर्ण निर्धारित क्षमता दी, अर्थात १० लाख टन ईंटें दीं। यदि यह गति जारी रही, तो एक वर्ष में दस लाख टन ईंटें भिलाई में पैदा की जा सकती हैं और तैयार माल के रूप में यह लगभग ७।। लाख टन होगा।

भारत-अमरीका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम

†*४६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के शिक्षा उपमंत्री भारत-अमरीका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने और इस की व्यवस्था करने के हेतु इस वर्ष जनवरी में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो किन कार्यक्रमों के बारे में विचार विनिमय किया गया है; और

(ग) क्या कार्यक्रम के स्वरूप में कोई बुनियादी परिवर्तन करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) श्री एच० कूम्बस अमरीका के शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री पिछली जनवरी में बंगकोक जाते समय भारत में से होकर गये थे, किन्तु इस विषय पर उनकी भारतीय पदाधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** अमरीका के किन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भारत अपना अंशदान देगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम शिक्षा एवं संस्कृति के प्रायः सभी क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं।

डा० गोविन्द दास : क्या इस बात का कोई बड़े पैमाने पर प्रयत्न हो रहा है कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान हर देश और भारतवर्ष के बीच में हो सकें ?

श्री हुमायून् कबिर : जहां मुमकिन होता है, वहां ज़रूर किया जा सकता है और किया जा रहा है।

डा० गोविन्द दास : जो हो रहा है वह कहां कहां हो रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं पहले कह चुका हूं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के प्रायः सभी क्षेत्रों में अमरीका के साथ हमारा सांस्कृतिक सहयोग है। अतः समूची सूची बताना संभव नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी छात्रवृत्तियों का आदान प्रदान अब सरकारी विभाग के द्वारा करना पड़ता है, क्या इन छात्रवृत्तियों और अधि-छात्रवृत्तियों के आदान प्रदान के बारे में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं ताकि साधारण

---

†मूल अंग्रेज़ी में

छात्र तथा अन्य लोग उनके लिये प्रार्थना दे सकें अथवा क्या समूचा काम सर्वथा मंत्री के स्तर पर किया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ न पता होने पर आश्चर्य है । यदि वह किसी समाचारपत्र को देखती तो उनको प्रतिदिन इन छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियों के बारे में विज्ञापन मिलते जो प्रायः भारत के सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाये जाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रश्न यह है कि क्या सभी का विज्ञापन दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मानदीय मंत्री बता चुके हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस बात के लिये कि भारतीय छात्रों को अमरीका में जो विशेष ज्ञान प्राप्त हो वे वापिस आकर उस का प्रयोग इस देश में करें, इस काम के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम न केवल अमरीका से बल्कि अन्य देशों से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले सभी छात्रों को काम देने का प्रयत्न करते हैं और हमें समूचे तौर पर अच्छी सफलता प्राप्त हुई है ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या रूस द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां दिये जाने से पूर्व उनका इस स्तर पर भी परीक्षण किया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम सभी देशों के बारे में इस नीति का पालन करते हैं । रूस हमें बहुत छात्रवृत्तियां देता है और हमें पश्चिम जर्मनी का अन्य अनेक देशों से छात्रवृत्तियां मिलती हैं । इन सब देशों के बारे में एक ही सिद्धान्त अपनाया जाता है ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक

†*५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति को समुचित ढंग से शाश्वत करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). ऐसे मामलों में सामान्यतया गैर सरकारी संस्थाएं पहल करती हैं और उपयुक्त योजना पेश करती हैं । सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के स्मारक के संबंध में ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या किसी गैर सरकारी अभिकरण ने मंत्रालय को अपने प्रस्ताव पेश किये हैं और यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उनके प्रस्तावों का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या संसद भवन के केन्द्रीय हाल में चित्र लगाया जा सकता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं समझता हूं कि यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिये?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस काम के लिये एक समिति है । यदि ऐसा कोई प्रस्ताव या पेशकश होती है तो हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : जहां तक यादगार का सम्बन्ध है, यद्यपि अभी तक कोई स्पष्ट योजना नहीं है, पर क्या इस बात का भी ख्याल किया जा रहा है कि कोई मूर्ति या स्तम्भ जैसी यादगार न बना कर इस प्रकार की यादगार बनाई जाये, जिस का कोई उपयोग हो सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य की राय ठीक है और इसी लिए कहा गया है कि अगर कोई ग़ैर-सरकारी संस्था या कुछ लोग मिल कर इस पर विचार करें, तो गवर्नमेंट उस का स्वागत करेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार के सामने इस प्रकार के सुझाव भी दिये गये हैं कि दिल्ली के लाल क़िले के सामने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की जाये ? यदि हां, सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, ऐसा एक प्रस्ताव आया था और उसके लिए सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की है कि प्रतिमायें वग़ैरह कहां बनाई जायें। उन के लिए कौन सी जगह हो, इस बात का फ़ैसला वह कमेटी करती है और फिर गवर्नमेंट को अपनी सिफ़ारिश करती है । जहां तक लाल किले के मैदान के सामने प्रतिमा बनाने की बात है, उस को कमेटी ने मन्जूर नहीं किया और उस को ठीक नहीं समझा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या उस कमेटी ने अन्यत्र, किसी और जगह, वह प्रतिमा बनाने का सुझाव दिया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह उस का काम नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या कारण है कि हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उदाहरणार्थ नेताजी बोस, उन सब की क्रमबद्ध तरीके से उपेक्षा की गई है और उन की स्मृति में कुछ नहीं किया गया है इसका क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति, ये सभी आरोप किस बारे में हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** यह कोई आरोप नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य को दिलचस्पी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु माननीय सदस्य इस सभा के अन्य किसी सदस्य की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी प्रतीत होती है; बड़े महान नेताओं के बारे में ऐसी कोई धारणा नहीं होनी चाहिये । हम सब उनका आदर करते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं यही अनुभव करता हूं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस को वाद विवाद से निकाल देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य ने कोई दिलचस्पी ली है ? क्या उन्होंने प्रचार किया है ? उन्होंने सभा पटल पर लड़ने के अतिरिक्त क्या किया है ?

†**श्री हेम बरुआ :** यह प्रश्न सभा पटल पर पिछली बार पूछा गया था और माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन की मूर्ति लाल किले के समीप बनाई जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य बहुतेरे लोगों ने मूर्तियों के लिये कहा है। माननीय सदस्य क्यों इस बारे में चंदा इकट्ठा करने और मूर्ति बनवाने के लिये कार्य नहीं करते ? सरकार के साथ लड़ना आसान है जैसा कि अन्य किसी सदस्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। माननीय सदस्य ने क्या किया है ?

†**श्री हेम बरुआ:** क्या प्रश्न काल सरकार से उस के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछने के लिये नहीं होता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह केवल सरकार की आलोचना करने का प्रश्न नहीं है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पिछली बार भी जब श्री हेम बरुआ ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था, उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था जो उनको प्यारे लगते हैं। वह कहते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है। पिछली बार भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया था जब इसका उत्तर स्वर्गवासी श्री पंत जी ने दिया था। (**अन्तर्बाधाएं**)।

'लुब्रिकेटिंग' तेलों का आयात

†*५१. **श्री अगाड़ी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्यय ४५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया से चिकना करने वाले तेलों (लुब्रिकेटिंग आयल्स) का आयात करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) 'लुब्रिकेटिंग' तेलों के आयात करने से संबंधित बात चीत युक्त संभरणकर्ता के साथ सफ़ल नहीं हो सकी क्योंकि परस्पर स्वीकार्य मूल्य/शर्तें निश्चित न हो सकीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी

†*५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने ऐसे पदाधिकारी मुअत्तिल हैं, जिनकी जांच छः महीने से और दो वर्षों से अधिक समय से हो रही हैं ; और

(ख) उन मामलों में शीघ्र निर्णय किये जाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) सूचना एकत्रित की जा रही हैं। अब तक उपलब्ध हुई जानकारी के अनुसार ८२ राज पत्रित और १३१० नोन गजेटेड सरकारी कर्मचारी मुअत्तिल हैं। पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर एक विवरण पटल पर रखा जायेगा।

(ख) प्रथा यह है कि विभागीय मामलों तथा अन्य जांच में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाये जिनमें संबंधित सरकारी कर्मचारी को मुअत्तिल किया गया हो।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या गृह कार्य मंत्रालय को मुअत्तिली की अवधि छः महीने से अधिक होने पर मुअत्तिली की अवधि बताने के लिए कोई ब्यौरा प्राप्त होता है ? यदि नहीं तो इस मामले में वे अपना नियन्त्रण कैसे लागू करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** हमने दो जांच अधिकारी नियुक्त किये हैं। उन्हें तथा शीघ्र जांच समाप्त करने के अनुदेश हैं। अकसर हमें ब्यौरे के रूप में जानकारी भी मिलती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मंत्री महोदय यह भी नहीं जानते कि कितने अधिकारी दो वर्ष से अधिक मुअत्तिल हैं ?

†**श्री दातार :** जहां तक मुझे विदित है, ३० गजेटेड और २७० नोन गजेटेड अधिकारी दो वर्ष से अधिक से मुअत्तिल हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जो पदाधिकारी दो वर्ष से अधिक से मुअत्तिल है, क्या उनके मामलों को शीघ्र निपटने की जांच करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था है ?

†**श्री दातार :** मैंने यही तो कहा था। हमने अनुदेश दिये हैं कि इन मामलों में यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये। केवल इसी उद्देश्य से तो जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ।

निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण की योजना

+

†*५५. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सूपकार :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण की कोई योजना बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे किसी राजनीतिक दल ने स्वीकार किया था ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने वर्तमान सभा मे स्थानों की संख्या और राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्वाचन संबंधी प्रसारण के लिये समय देने की योजना प्रजा सोशलिस्ट और साम्यवादी दलों ने स्वीकार नहीं किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बुलाई गई कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले अन्य दलों ने भाग लेने की उत्सुकता दर्शायी। उन्होंने समान-सिद्धान्त बनाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु वे ऐसा कोई सिद्धान्त न बना सके जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाया जा सकता ।

†**श्री प्र० गं० देव :** इन राजनीतिक दलों ने निर्वाचन संबंधी प्रसारण की सुविधा का प्रयोग करने से क्यों मना कर दिया ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह प्रश्न उन से पूछा जाना चाहिये ।

जेट लड़ाकू विमानों की टक्कर

+

†*५६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ जनवरी, १९६२ को भारतीय विमान बल के दो विमानों की गणराज्य दिवस के लिए पूर्वाभ्यास करते हुए पालम हवाई अड्डे के पास टक्कर हो गई जिस में भारतीय विमान बल के दो अधिकारी मारे गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) इन दुर्घटना में कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आकाश में टक्कर हुई थी ।

(ग) १०,३६,६२८ रु० १६ नये पैसे के मूल्य की "सर्विस प्रापर्टी" का नुकसान हुआ था ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिये कोई जांच न्यायालय स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष थे ?

†**सरदार मजीठिया** : जांच की गई थी । विमान बहुत बुरी तरह जल गये थे जिसके फलस्वरूप हम इस बारे में किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके ।

श्री भक्त दर्शन : इस दुर्घटना में जिन अफसरों की मृत्यु हो गई, उन के परिवारों के लोगों को मुआवज़ा या पेंशन देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**सरदार मजीठिया** : एक तो ग्रुप कैप्टेन शाह थे जिनकी कि मृत्यु हो गई । डैथ ग्रैचुएटी उन की बेवा बीवी को दी गई है । और बाकी फौर्म्स जो हैं वे पुर कर के कंट्रोलर आफ डिफैन्स एकाउल्न्टेस को भेज दिये गये हैं और बाकी कार्यवाही वह पूरी करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या कोई मरणोत्तर पारितोषिक दिया गया है ?

सेक्शन आफिसरों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि

†*५७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सेक्शन आफिसरों की श्रेणी २ तथा श्रेणी ३ के मिलाये जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के सेक्शन आफिसरों को ५०० रुपये तथा ७०० रुपये से अधिक वेतन पर पहुंचने के बाद एक अतिरिक्त 'वेतन वृद्धि' देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस को कब से लागू किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेक्शन आफिसर ग्रेड की प्रतिनिधि एक संस्था से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । इस में उल्लेख था कि उस ग्रेड के लिये निश्चित वेतन के संशोधित वेतन-क्रम में सातवें वर्ष में वेतन में पर्याप्त वृद्धि की जाये । यह मामला विचाराधीन है । इस मामले में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या कुछ समय पूर्व सरकार का कोई निश्चय या नीति थी कि यदि देशनांक ११५ से अधिक हो और एक वर्ष तक अधिक रहें, तो महंगाई भत्ते आदि में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : यह सर्वथा भिन्न बात है । यह प्रश्न ६ वर्ष बाद वार्षिक वेतन-वृद्धि के रूप में कुछ अधिक वेतन पाने का है । माननीय महिला सदस्य के प्रश्न से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : हां, वेतन में वेतन-वृद्धि तो होती है । परन्तु महंगाई भत्ता भी तो है और इस का निर्वाह-व्यय से निकट संबंध है ।

†**श्री दातार** : यदि माननीय सदस्या पृथक् प्रश्न की सूचना दें, तो मैं जानकारी प्राप्त कर के दे दूंगा ।

तांबा तथा सोना निक्षेप

†*५८. **श्री अगाड़ी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में हसन जिले के कल्याडी नामक स्थान पर तांबे की खानों की खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य ने धारवाड़ जिले में कप्पत गुडा क्षेत्र की स्वर्ण-खानों को फिर से चालू करने के बारे में जांच करने के लिये अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) प्रथम सूराख १४१.१२ मीटर पर बन्द कर दिया गया था । पहिले सूराख से निकाले गये ५१ नमूनों के खोज-परिणाम अब तक मैसूर सरकार से प्राप्त हुए हैं । इनसे पता लगता है कि पहिले सूराख में ६०.०४ से ६६.७४ मीटर की गहराई पर ६.७ मीटर का जोन है जिस में औसत रूप में २.०१ प्रतिशत तांबा है ।

(ख) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ५९—श्री सूपकार अनुपस्थित हैं । प्रश्न संख्या ६०—श्री हेमराज भी अनुपस्थित हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मुझे उन्होंने उसे पूछने का अधिकार दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न कल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*४४. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र में गत छः महीने में रोलिंग मिल्ज़ का काम किसी समय बन्द रहा है ; और

(ख) काम कितने समय तक बन्द रहा और उसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई ?

---

†भूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

६ दिसम्बर, १९६१ को अपराह्न में लगभग ५-१५ बजे रूरकेला स्टील वर्क्स के ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिल के टाप स्पिन्डल के वाबलर और कपलिंग टूट गये जिस से मिल का काम एकदम रुक गया । बाद में जो जांच की गई उससे पता चला कि बाटम स्पिन्डल के वाबलर में भी दरार आ गई है । मिल को फिर से चालू करने के लिये आवश्यक पुर्जे रूरकेला में उपलब्ध न थे यद्यपि उन के लिये आर्डर अप्रैल और जुलाई, १९६१ में दिये जा चुके थे । ये पुर्जे पश्चिम जर्मनी से दिसम्बर के अन्त में प्राप्त किये गये और मिल में लगा दिये गये । स्लैबिंग मिल का काम १ जनवरी, १९६२ से पुनः शुरू हो गया है ।

इस प्रकार मिल का काम २५ दिन बन्द रहा । यदि काम बन्द न हुआ होता तो स्लैबिंग मिल २५ दिनों में लगभग २०,८०० मीट्रिक टन स्लैब तैयार कर सकती थी ।

काम बन्द हो जाने के कारणों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है और उस का प्रतिवेदन जल्दी ही मिल जाने की उम्मीद है ।

हिमाचल प्रदेश में अहजू नहर

†*४५. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मण्डी ज़िले की तहसील जोगिन्दरनगर में अहजू नाम की एक नहर (कूल) के निर्माण के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नहर (कूल) के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महरौली (दिल्ली) के निकट चांदमारी के कारण मृत्यु

†*४८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महरौली के पास खानपुर तोपखाना चांदमारी क्षेत्र में चांदमारी के दौरान सैनिक तोपखाने से चलाये गये एक गोले से दो व्यक्ति मर गये थे और कई अन्य अत्यधिक घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों और घायल लोगों को प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). १६ फरवरी, १९६२ को कुछ तोपखाना यूनिट तुगलकाबाद क्षेत्र में, जोकि एक अधिसूचित चांदमारी क्षेत्र है, चांदमारी का अभ्यास कर रहे थे। इस क्षेत्र को चांदमारी के लिये खाली करा लिया गया था और चांदमारी शुरू होने से पहले असैनिक अधिकारियों से क्षेत्र खाली किये जाने का प्रमाणपत्र ले लिया गया था।

१३.०० बजे जाटवाला जोहर क्षेत्र में एक लक्ष्य पर चांदमारी का अभ्यास किया जा रहा था। निरीक्षण चौकी से इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिये। किन्तु जो कर्मचारी चांदमारी के अभ्यास में भाग ले रहे थे उन्होंने इस क्षेत्र में पहुंचने पर दो व्यक्तियों को मरा और एक को घायल अवस्था में पाया। घायल व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा की गई और उसे सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया जहां ७ मार्च को उसकी मृत्यु हो गयी।

असैनिक अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सात अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं किन्तु वे इलाज के लिये सीधे अस्पताल चले गये। इनमें से चार व्यक्तियों को इलाज पूरा हो जाने पर अस्पताल से जाने की इजाज़त दे दी गई और तीन अन्य व्यक्ति अब भी अस्पताल में हैं लेकिन बताया जाता है कि उनकी हालत सुधर रही है।

(ग) किसी अधिसूचित क्षेत्र में चांदमारी के अभ्यास के फलस्वरूप हुई जान व माल के नुकसान का मुआवज़ा असैनिक राजस्व अधिकारियों की सिफारिश पर दिया जाता है। स्थानीय सेना अधिकारियों को मुआवज़े के लिये अब तक कोई आवेदन या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*५३. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र की तीसरी धमन भट्टी कब से चालू हुई; और

(ख) क्या यह भट्टी अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ५ जनवरी, १९६२।

(ख) यह भट्टी अभी अपनी निर्धारित क्षमता का ६० प्रतिशत काम कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में उहल घाटी में सड़क

†*५४. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले की जोगिन्दरनगर तहसील में उहल घाटी में मोटर ठेला चलाये जाने योग्य सड़क का बनाना तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर काम किस वर्ष में आरम्भ होगा ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में कोयला निक्षेप

†*५९. **श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के रूरकेला नामक स्थान पर अधिक व्यापक एवं विस्तृत कोयला निक्षेपों का हाल में पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन निक्षेपों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में जोगेन्द्रनगर तथा बरोत को मिलाने वाली सड़क

†*६०. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जोगेन्द्रनगर से बरोत तक कोई एक ऐसी सड़क बनाने की योजना है जिस पर ट्रक आदि आ-जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आम चुनावों सम्बन्धी आंकड़े

†५५. **श्री सूपकार :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के गत चुनावों में मुख्य राजनीतिक दलों ने कुल कितने-कितने मत प्राप्त किये; और

(ख) उपरोक्त दलों में से प्रत्येक दल ने कितने उम्मीदवार खड़े किये ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) चन्द संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़ लोक-सभा के लिये आम चुनाव तो पूरे हो गये हैं किन्तु लोक-सभा के चुनावों में मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किये गये मतों के आंकड़े इकट्ठा करने में चुनाव आयोग को काफी समय लगेगा ।

(ख) लोक-सभा के हाल के आम चुनावों के लिये मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

दल का नाम	खड़े किये गये प्रत्याशियों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	४८८
भारत का साम्यवादी दल	१३७
प्रजा समाजवादी दल	१६८
अखिल भारतीय जनसंघ	१९६
स्वतंत्र दल	१७३

†मूल अंग्रेजी में

बैंक आफ चाइना से लाइसेंस वापस लिया जाना

†५६. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिज़र्व बैंक ने 'बैंक आफ़ चायना' से लाइसेंस वापिस लेकर उसे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कार्य करने से रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) बैंक आफ़ चायना को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ के अधीन जो लाइसेंस दिया गया था वह २८ दिसम्बर, १९६१ से वापस ले लिया गया है ।

(ख) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा ३(२)(३) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में लाइसेंस वापस ले लिया है ।

देशबन्धु कालिज दिल्ली

†५७. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशबन्धु कालिज दिल्ली का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में शराब बिक्री की मनाही के दिन

†५८. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शराब बिक्री की मनाही के दिनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). शराब बिक्री की मनाही के दिनों की वर्तमान संख्या में १ अप्रैल, १९६२ से १७ और दिन शामिल करने का इरादा है ।

दिल्ली के एक राजनीतिक कार्यालय के दफ्तर में बम विस्फोट

†५९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ फरवरी, १९६२ को अजमेरी गेट के बाहर एक राजनीतिक दल के दफ्तर में बम फेंका गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। अजमेरी गेट के बाहर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के एक कमरे में उस समय विस्फोट हुआ था जब वहां के एक कर्मचारी ने खिड़की में पड़ी हुई बोतल, जिसमें पीला पदार्थ था, खोलने की कोशिश की थी।

(ख) मामले की जांच हो रही है।

कोयले की कीमतें

†**६०. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कीमतें बढ़ाने की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कोयला उद्योग ने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है कि कोयले की वर्तमान कीमतें लाभप्रद नहीं हैं तथा इसलिए कोयले की कीमतों में तत्काल वृद्धि की जानी चाहिए। अभ्यावेदन पर विचार हो रहा है और आशा है कि शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

तम्बाकू की अनधिकृत खेती

†**६१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू की अनधिकृत खेती को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है;

(ख) क्या इस दिशा में जो सजा दी जाती है वह अनधिकृत उत्पादन के मुकाबले में बहुत कम है; और

(ग) इस स्थिति को और आगे सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है तो वह क्या है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) निम्न कार्यवाही की जा रही है :—

(१) बोने के समय क्षेत्रीय कर्मचारी तथा अधीक्षण अधिकारी विस्तृत निरोधक नियंत्रण रखते हैं।

(२) ग्राम्य राजस्व अभिलेखों से बोने वालों के घोषणापत्रों की जांच होती है।

(३) उपयुक्त मामलों में दांडिक कार्यवाही की जाती है।

(ख) न्याय निर्णयन अधिकारी प्रत्येक मामले में विभिन्न तथ्यों के आधार पर जुर्माना करते हैं। वह अनधिकृत उत्पाद की मात्रा, जानबूझ कर अथवा अनजाने अपराध करना, तथा मान्य नियमों का उल्लंघन आदि पर विचार करते हैं।

(ग) ऐसे मामले कम होते हैं इसलिये अतिरिक्त कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तम्बाकू की अनधिकृत खेती के मामले

†६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में फरवरी के अन्त तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने पंजाब के पहाड़ी जिलों से तम्बाकू की अनधिकृत खेती के जिन मामलों का पता लगाया है, उनकी संख्या क्या है ;

(ख) जिन लोगों को गत ५ वर्षों में इस अपराध के लिए सजा दी जा चुकी है और वे पुनः ऐसा ही करते पकड़े गये, ऐसे मामलों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या अपराध की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में कोई निवारक दंड की व्यवस्था की गई है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब के जिलों में उत्पादन शुल्क निरीक्षक

†६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में कितने उत्पादन शुल्क निरीक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) भ्रष्टाचार की संभावना दूर करने के लिए क्या यह कदम उठाया जाता है कि निरीक्षण कार्य स्थानीय कर्मचारियों को न सौंपा जाये ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर ज़िलों में क्रमशः ७ और ४ उत्पादन शुल्क निरीक्षक प्रतिनियुक्त हैं ।

(ख) जी, हां । स्थानीय क्षेत्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट तथा असिस्टेंट कलक्टर भी कभी कभी नियमित रूप से निरोधक करते हैं । केन्द्र में स्थित निरोधक तथा गुप्त सूचना अधिकारी अचानक निरीक्षण करते हैं । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से संबद्ध निरीक्षण, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निदेशालय भी कभी कभी निरीक्षण करते हैं

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता

†६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उतना ही अर्थात् १ रुपया प्रति मास होता है ;

(ख) यदि हां, तो ये दरें कब निश्चित की गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने हाल में इस प्रश्न पर विचार किया है कि धुलाई भत्ता खुले बाजार में प्रचलित धुलाई दरों के अनुकूल बनाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) जी हां, परन्तु जमादारों को १.५० रुपये प्रतिमास तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को १ रुपया प्रतिमास दिया जाता है ।

(ख) १९५० ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) धुलाई भत्ते को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि यह तो धुलाई में थोड़ी सहायता है और धुलाई का पूरा व्यय नहीं है। द्वितीय वेतन आयोग ने भी कहा है कि वह उचित नहीं समझते हैं कि जो व्यक्ति सरकारी वर्दी पहनते हैं उनको सरकार धुलाई के लिए धन दे क्योंकि अपने कपड़े पहनने वाले क्लर्क तथा सरकारी वर्दी पहनने वाले टिकट कलेक्टर में कोई अन्तर करना उचित नहीं है।

खोये हुए व्यक्ति की सम्पत्ति

†६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोये हुए व्यक्ति की सम्पत्ति को सुरक्षा के बारे में पंजाब सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सारे समय में उसकी सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों ने छीन ली है, जब कि उसके लड़के देश के कानूनों के अधीन सम्पत्ति पर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं कर सकते ;

(ग) यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में और इस सम्पत्ति को कितने व्यक्तियों ने बांटा है; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित अवधि में उसके सम्पत्ति के कानूनी संरक्षकों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जी, हां। अपेक्षित जानकारी संबद्ध विवरण में है।

विवरण

बताया जाता है कि श्री सीताराम ने खोये हुए व्यक्ति श्री गुरखू राम के पास एक दूकान २५० रुपये में गिरवी रखी। श्री सीताराम के दो पुत्र थे, रामरतन तथा बाबूराम। श्री सीताराम की मृत्यु के बाद श्री रामरतन ने श्री बाबूराम के सजा समेत, बिना उसके अधिकार के दूकान को बेच दिया। श्री बाबूराम ने धर्मशाला के सीनियर सब-जज की अदालत में अपने भाग के कब्ज़े लिए दावा कर दिया। अदालत ने बाबूराम को डिग्री दे दी कि खर्चा समेत, दूकान पर उसका कब्जा हो। बाबूराम ने इसी आधार पर दूकान पर कब्जा कर लिया। राज्य सरकार ने अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया और अब श्री गुरखू राम अथवा उसके वारिस अदालत से ही अपना हक़ ले सकते हैं।

गणराज्य दिवस परेड

†६६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम राज :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गणराज्य दिवस सम्बन्धी विभिन्न समारोहों के लिए जनता को बेची गई टिकटों से सरकार को कुल कितनी आय हुई है और इस समारोहों पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ख) इस में से कितनी राशि प्रधान मंत्री की सहायता निधि में दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) परेड, बीटिंग रिट्रीट तथा लोक-नृत्य समारोह से इस वर्ष लगभग ३.६० लाख रुपये एकत्रित हुए हैं ।

गणातंत्र दिवस के प्रबन्ध के व्यय के लेखे अभी नहीं बनाये गये हैं ।

(ख) लोक-नृत्यों से प्राप्त धनराशि प्रधान मंत्री कोष, लोक-कला के विकास आदि के लिए दे दी जायेगी । पहले भी ऐसा ही होता रहा है । परेड तथा बीटिंग रिट्रीट से प्राप्त रक़म में से ८५ प्रतिशत प्रधान मंत्री सहायता कोष में देने का विचार है । (शेष १५ प्रतिशत गणतंत्र दिवस समारोह के प्रबन्ध में लगे हुए अभिकरणों जैसे सशस्त्र सेना, पुलिस लोक-निर्माण विभाग को देने का विचार है ।) लेखे बन जाने के बाद यह भुगतान होंगे ।

दिल्ली में अध्यापक

†६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में अध्यापकों की कुल आवश्यकता क्या है ; और

(ख) इसको पूरा करने के लिए क्या प्रश्न उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) लगभग ६,६३०

(ख) विज्ञान, हस्तशिल्प, घरेलू विज्ञान तथा गणित की महिला अध्यापिकाओं के अतिरिक्त दिल्ली के स्कूलों में अर्हता प्राप्त अध्यापकों की कोई कमी नहीं है । दिल्ली की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के अतिरिक्त निकट के राज्यों के प्रशिक्षित अध्यापकों को भी दिल्ली में नियुक्त किया जाता है । विज्ञान के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष प्रयत्न कर रहा है कि विज्ञान का अध्यापन करने के लिये विश्वविद्यालयों में सुविधायें बढ़ाई जायें । यह विचार है कि दिल्ली में अस्थायी तौर पर कार्य करता प्राप्त विज्ञान के अध्यापकों को पुनः नियुक्त किया जाये तथा 'प्रशिक्षित अध्यापक' के लिये आवश्यक अर्हताओं को कुछ समय के लिये छूट दे दी जाये । हस्तशिल्प अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने का विचार है । दिल्ली में गृह-विज्ञान की दूसरी संस्था स्थापित हो जाने के बाद गृह-विज्ञान अध्यापकों की स्थिति में सुधार हो जायेगा । गणित की अध्यापिकाओं की स्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है तथा जब तक अनुमानित अध्यापक नहीं मिलते हैं अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

अस्वान बांध पर पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

†६८. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्र में अस्वान बांध के स्थान पर खुदाई के लिये भेजे गये पुरातत्व विशेषज्ञों की संख्या क्या है ;

(ख) वह किस तिथि को मिस्र में आये और उन्होंने कब खुदाई का काम शुरू किया ;

(ग) उनके काम के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस खुदाई पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)**:(क) से (ग). पांच सदस्यों का एक शिष्टमंडल १० जनवरी, १९६२ को काहिरा पहुंचा था। और उसने अपना काम आरम्भ कर दिया था। प्रतिवेदन की इतने शीघ्र आशा नहीं करनी चाहिये।

(घ) १,५६,४०० रुपये ।

रत्नागिरि जिले में चोरी छिपे लाई गई लौगों का जब्त किया जाना

†६९. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि में चोरी छिपे लाई गई लौंग के जब्त किये जाने के सम्बन्ध में नई जांच समाप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोराजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है । समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ (८१) के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२०क के अधीन अभियोग लगाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यवाही के बाद अधिकारी पर अभियोग लगाने के में बारे विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोलार और हट्टी की सोने की खानें

†७०. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार और हट्टी की सोने की खानों को मैसूर सरकार से ले लेने के प्रश्न पर विचार कर के इसका अन्तिम निर्णय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारत सरकार तथा मैसूर सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि इन खानों को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिये। हस्तांतरण तथा अन्य प्रबन्धों के ब्योरों पर विचार किया जा रहा है ।

तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्रियां

†७१. **श्री अगाड़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों को, जिन्होंने तीसरी श्रेणी में एम० ए० और एम० एस० सी० की परीक्षाये पास कर रखी हैं, अपनी श्रेणी को सुधारने के लिये परीक्षाओं में पुनः बैठने की अनुमति देने के संबंध में निर्णय करने के बारे मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या प्रगति की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अलग अलग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या राय दी हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस मामले में अब तक प्राप्त विश्वविद्यालयों के विचारों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ७ मार्च, १९६२ की अपनी बैठक में विचार किया और इस प्रश्न पर और कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया ।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अब तक प्राप्त ३४ विश्वविद्यालयों के विचार, विश्वविद्यालय-वार निम्न प्रकार हैं :

विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्त विचार
आगरा, गोरखपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, कर्णाटक, कुरुक्षेत्र, पंजाब, रांची, रुड़की, सागर और उत्कल ।	ये एम० एस० सी०/एम० ए० में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों को अपनी श्रेणी सुधारने के लिये उसी परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति देने को राजी हैं ।
आन्ध्र, जाधवपुर, मद्रास, मराठवाड़ा, उस्मानिया, श्री वेंकटेश्वर और विश्व-भारती ।	इन्होंने एम० एस० सी०/एम० ए० में तृतीय श्रेणी को समाप्त करने का निर्णय किया है ।
अलीगढ़, बनारस, भागलपुर, बिहार, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात, केरल, नागपुर, पटना, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, एस० एन० डी० टी० विमेन और विक्रम ।	ये इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं ।
अन्नामलै, विज्ञान संस्था, बंगलौर और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ।	इन्होंने कहा है कि कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

कमलापुरम् में संग्रहालय

†७२. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलारी जिले में होस्पेट तालुक के कमलापुरम में विजयनगर साम्राज्य के समय का एक संग्रहालय बनाने का निश्चय किस वर्ष में किया गया था ;

(ख) इस संग्रहालय भवन के लिये नक्शे एवं उस के लिये अनुमानित व्यय आदि के बारे में योजना बनाने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्राक्कलन अब तैयार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कुल अनुमानित व्यय क्या है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ और समाप्त होने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वर्ष १९५७-५८ में ।

(ख) योजना बनाने के लिये अपेक्षित विस्तृत आंकड़े इकट्ठे करने और भू-अर्जन में अपेक्षित समय के कारण ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रविधिक संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन-क्रम

†७३. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालिजों और डिप्लोमा संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये पुनरीक्षित वेतन-क्रम बाकी राज्य सरकारों द्वारा लागू कर दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं जिन्होंने सिफारिशें लागू कर दी हैं ; और

(ग) बाकी राज्य सरकारों द्वारा परिषद् की सिफारिशें लागू करने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) से (ग). २७ नवम्बर, १९६१ को उत्तर दिये जाने के बाद से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि इस अवधि में सम्बन्धित राज्य सरकारें कोई निर्णय नहीं कर सकी हैं ।

खोए हुए व्यक्ति

†७४. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस को खोये हुए व्यक्तियों के विषय में दी हुई सूचना अन्य राज्यों में पुलिस अधिकारियों को उन की जानकारी और उस पर कार्यवाही करने के लिये शीघ्र अधिसूचित कर दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस अधिकारी खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने के लिये स्वयं शीघ्र ही कदम उठाते हैं ; और

(ग) उन पुलिस अधिकारियों द्वारा जिन के इलाकों में खोये हुए व्यक्तियों के मकान हैं इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जाती है कि खाये हुए व्यक्तियों की जायदाद उनकी अनुपस्थिति में जबकि उस पर किसी का वैध अधिकार नहीं होता सुरक्षित रहे तथा कोई व्यक्ति उस को हानि न पहुंचायें ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). सूचना मिलते ही पुलिस खोये हुए व्यक्तियों की तलाश करना शुरू कर देती है । उन राज्यों की सरकारों को, जहां खोये हुए व्यक्तियों के पता लगने की संभावना होती है, फौरन ही सूचना दे दी जाती है और देश भर में पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये इस सूचना को 'क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गज़ेट' में प्रकाशित कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) हर पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस अधिनियम (वर्ष १८६१ का अधिनियम ५) की धारा २५ के अधीन गैर-दावा की गई सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले ले और जिला न्यायाधीश को उसकी सूचना दे दे जो इसके निबटारे के लिये आवश्यक आदेश जारी करेंगे ।

गुजरात रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाना)

†७५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात तेल शोधक कारखाने के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : गुजरात तेल शोधक कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन, नक्शे आदि तैयार करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने Tiajhpromex Por (रूस सरकार की एक संस्था) के साथ एक करार किया है ।

असिस्टेंटों के वेतन का पुनरीक्षण

†७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा चतुर्थ श्रेणी (सीधी भर्ती) संस्था ने अपनी चौथी साधारण बैठक में असिस्टेंटों का मूल वेतन २१० रुपये से २२० रुपये करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण

†७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सेक्शन अफसरों तक और उन को मिला कर विकेन्द्रीकरण का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या युक्तियां दी हैं; और

(ङ) सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां । इस बारे में माननीय सदस्य का ध्यान १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये निर्णयों की कंडिका ३(४) की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) से (ङ). सम्बन्धित कर्मचारी संघों से, इस बारे में कि इस निर्णय से विभिन्न पदालियों में पदोन्नति में और स्थायीकरण की संभावनाओं में भेदभाव होगा, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । सरकार विकेन्द्रीकरण योजना में इस भेदभाव को कम से कम करने के लिये उपबन्ध करना चाहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनता को पूंजी जारी करना

†७८. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वित्त** मंत्री ७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनता को पूंजी जारी करने के लिए पहली अप्रैल, १९६० से अब तक विभिन्न उद्योगों से मिले आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शर्तों के साथ और बगैर शर्तों के जारी की गई पूंजी की मंजूरी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन कारणों के आधार पर पूंजी जारी करने में आवश्यक शर्तें लगाने पर बल दिया गया है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

†७९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह देशनांक ११५ से १० विन्दु बढ़ गया है तथा लगभग एक वर्ष से वह उसी स्तर पर स्थिर है;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का पुनरीक्षण करने तथा केन्द्रीय सरकार की कर्मचारी सेवा शर्तों तथा उपलब्धियों सम्बन्धी जांच आयोग १९५७–५९ की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया है, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नवम्बर, १९६० से अक्तूबर, १९६१ तक के १२ महीनों में श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक आंकड़े १२५ हैं (१९४९–१००) अक्तूबर, १९६१ के आंकड़े अस्थायी हैं ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि की जाये और यदि की जाये तो किस दर पर ।

रूरकेला का सिंटरिंग संयंत्र

†८०. **श्री अगाड़ी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये एक सिंटरिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आयेगी;

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) क्या विदेशों यथा रूस तथा यूरोप के अन्य देशों से टेंडर आमंत्रित किये गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो उसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस संयंत्र पर ४.१५ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) निर्माण-कार्य अगस्त, १९६३ तक पूरा होने की संभावना है ।

(घ) और (ङ). रूस और अन्य योरोपीय देशों से टेन्डर मांगे गये थे । निम्नलिखित को टेंडर नोटिस जारी किये गये थे :—

(१) स्विट्ज़रलैंड का वाणिज्य दूतावास ।
(२) फ्रांसीसी व्यापार आयुक्त ।
(३) बेल्जियम का महा-वाणिज्य दूतावास ।
(४) आस्ट्रिया का वाणिज्य दूत ।
(५) रूस का व्यापार अभिकरण ।
(६) अमरीका का महा-वाणिज्य दूतावास ।
(७) ब्रिटेन का उप-उच्चायुक्त ।
(८) स्वीडन का वाणिज्य दूतावास ।
(९) जर्मन संघीय गणतंत्र का महा-वाणिज्य दूतावास ।
(१०) जर्मनी का वाणिज्य दूत ।
(११) चेकोस्लोवाकिया का वाणिज्य दूतावास ।
(१२) इटली का व्यापार आयुक्त ।

वाणिज्य प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि

†८१. **श्री अगाड़ी:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आंध्र के विशाखापट्टनम् स्थान की तरह भारत के अन्य स्थानों में भी वाणिज्य प्रशासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चुने हुए केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). प्रबन्ध में अग्रिम प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये कलकत्ता और अहमदाबाद में दो अखिल भारत संस्थायें स्थापित की जा रही हैं ।

(ग) विस्तृत योजना और प्राक्कलन, इस कार्य के लिये नियुक्त की गई योजना समितियों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में समय से अधिक ठहरना

†८२. **श्री अगाड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी वीसा वाले ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या राज्यवार क्या है, जो भारत में समय से अधिक ठहरे हुए हैं;

(ख) क्या पंजीयित पतों पर उनके रहने की जांच कर ली गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

लोक सहायक सेना शिविर

†८३. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ के दौरान तिब्बत से लगे हुए सीमांत जिलों में लोक सहायक सेना के कितने शिविर लगे;

(ख) सीमांत क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों ने उनमें भाग लिया; और

(ग) जिले-वार और राज्य-वार उनमें से प्रत्येक में कितना व्यय हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) २ ।

(ख) २२० ।

(ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

†८४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल का पुनरीक्षित वेतन-क्रम देना मंजूर कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब दे दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है ।

दिल्ली के लिये अच्छी किस्म का कोयला

†८५. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में घरेलू प्रयोग में आने वाले कोयले में बहुत चूरा रहने और बहुत अधिक धूंआं देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस मामले की जांच करने और दिल्ली में अच्छी किस्म का कोयला संभरित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली के लिये प्राप्त पत्थर के कोयले में अधिक चूरा है और वह अधिक धूआं देता है । तथापि अब आवश्यक उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म का कोयला दिया जाता है, पत्थर का कोयला सामान्यतः घटिया किस्म के कोयले से बनाया जाता है और यह संभव है कि यह बिल्कुल धुएं के बिना न हो, इसको नहीं रोका जा सकता । तथापि कुछ हद तक संभरण की किस्म में सुधार हो सकता है जैसे अधिक चूरे का न रहना, यदि खानों से पत्थर का कोयला लेने वाले व्यापारी वैसा

†मूल अंग्रेजी में

लादे जाने के समय जांच करने की व्यवस्था करें। वास्तव में कोयले के अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं ने ऐसी व्यवस्था की हुई है ।

मीट्रिक पद्धति की पाठ्य पुस्तकें

†८६. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने गणित संबंधी हिसाब-किताब में बांट तथा मापों के लिये मीट्रिक प्रणाली की पाठ्यपुस्तकें आरम्भ कर दी हैं तथा प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक किस कक्षा तक लागू की गई हैं ;

(ख) सभी राज्यों में इस पद्धति की पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं के लिये कब तक लागू हो जायेंगी ;

(ग) क्या इस परिवर्तन के लिये मंत्रालय राज्यों को कोई अनुदान देता है ; और

(घ) यदि, हां तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन नियम

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ६० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—३५०१/६२]**

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्री के० दे० मालवीय की ओर से मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनिज रियायत नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४६ ।

(२) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६६ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०२/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक परिषद् (सदस्यों का चुनाव) नियम

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: मैं प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (सदस्यों का चुनाव) नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०३/६२]**

लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)** : मैं लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ओ० २५७ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति पुनः पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ३३०६/६२]**

प्रताप बैंक आदि के पुनर्निर्माण के लिये योजना

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८६६ में प्रकाशित प्रताप बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसके लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के साथ मिलाये जाने की योजना । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०४/६२]**

(ख) ट्रावनकोर फोरवर्ड बैंक लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१ ; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ० १७ (३) बोसो/६१(आई) द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७(३)–बीसो/६१ (आई) **[पुस्तकालय में रखो गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०५/६२]**

(ग) बैंक आफ न्यू इण्डिया लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१ ; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ० १७(३) बीसी/६१ (आई आई) द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७(३) बीसी/६१(आई) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०६/६२]**

(घ) कोट्टायम् ओरियन्ट बैंक लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१ ; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ० १७(३) बीसी/६१(आई आई आई) द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७(३)–बीसी/६१ (आई)। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०७/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९३ ।

(ख) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९४ ।

(ग) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ।

(घ) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२३ ।

(ङ) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५३ द्वारा शुद्ध की हुई दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२४ ।

(च) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२ ।

(छ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३ ।

(ज) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २४ ।

(झ) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०८/६२]**

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५ जिसमें दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९४ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८ जिसमें दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ११९१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०९/६२]**

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२१ ।

(ख) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४५ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५१०/६२]**

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३४ ।

(ख) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३५ ।

(ग) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३६ ।

(घ) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३७ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५११/६२]**

नौसेना अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)** : मैं (१) नौ-सेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियमों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८९ में प्रकाशित नौ-सेना (निजी सम्पत्ति का निपटारा) विनियम, १९६१ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५१२/६२]**

(ख) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९० में प्रकाशित नौ-सेना (अधिकृत कटौतियां) संशोधन विनियम, १९६१ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५१३/६२]**

(२) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५१४/६२]**

विधेयकों पर राय

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : मैं संविधान (संशोधन), विधेयक १९६१ पर, जिसे ३१ अक्तूबर, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, राय का पत्र संख्या १ सभा-पटल पर रखता हूं ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि) : मैं संविधान (संशोधन), विधेयक १९६१ पर, जिसे १ नवम्बर, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, राय का पत्र संख्या १ सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

एक-सौ बावनवां प्रतिवेदन

†**श्री बासप्पा** (बंगलौर) : मैं इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के बारे में प्राक्कलन समिति की तिरानवेवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति की एक-सौ बावनवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त आयोग द्वारा अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और वितरण के लिए बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में कुछ संघ

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्कों की शुद्ध आय के कुछ अंश के राज्यों में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि वित्त आयोग द्वारा अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश और वितरण के लिये बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में कुछ संघ उत्पादन की शुद्ध आय के कुछ अंश के राज्य में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त आयोग द्वारा अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और वितरण के लिये बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में सम्पदा शुल्क की शुद्ध आय के राज्यों में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्त आयोग द्वारा अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और वितरण के लिये बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में सम्पदा शुल्क की शुद्ध आय के राज्यों में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० सुशीला नायर ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं आप की आभारी हूं कि आप ने मुझे निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया है :

> "कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने १२ मार्च, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

हमारे राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक इस पद पर चले आ रहे हैं और जिन के अभिभाषण हम प्रतिवर्ष सुनते आ रहे हैं, शीघ्र ही सेवा से निवृत हो जायेंगे । उन्होंने घोषणा की है कि वह चुनाव के लिये फिर नहीं खड़े होंगे । वह हमारे बड़े-बड़े नेताओं में से एक हैं और उन्हों ने अपना काम बड़ी खूबी से निभाया है । हम आशा तथा प्रार्थना करते हैं कि आगामी अनेक वर्षों तक हमें उनकी कीमती राय मिलती रहेगी ।

अभिभाषण में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है । सदन ने गोआ, दमन और दीव सम्बन्धी विधेयक एकमत से पारित करके यह स्पष्ट कर दिया है कि देश से उपनिवेशवाद का अन्तिम चिह्न समाप्त हो गया है ।

नई लोक-सभा अगले महीने समवेत होगी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित विधायिनी कार्यों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगी । इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को भारत के लोगों का समर्थन प्राप्त है, जैसाकि चुनाव में कांग्रेस को सफलता से स्पष्ट होता है । यह बात सब मानते हैं कि चुनाव आम तौर पर स्वतंत्र और शान्तिपूर्ण रहे हैं । किन्तु यह भी देखा गया है कि वेतन पाने वाले मध्यम वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं हैं जिसका कारण मूल्यों का अधिक होना है । मूल्यों में वृद्धि से ऐसे वर्ग की रक्षा करने के लिए सरकार को मूल्य स्थिर करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ।

यद्यपि समाजवाद की दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं फिर भी सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आमदनियों पर किसी प्रकार की सीमा लगानी चाहिये । अधिकतम और निम्नतम आय में १:१० का अनुपात लाने के लिये कदम उठाना आवश्यक है ।

मैं सरकारी क्षेत्र के विकास का स्वागत करती हूं । किन्तु हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के उद्योगों को न केवल लाभ पर चलाया जाना चाहिये बल्कि वह लाभ उपभोक्ता और उन उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलाना चाहिये ।

केवल धन के उचित वितरण से गरीबी दूर नहीं होगी । इसका केवल मात्र तरीका यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाये, विशेषकर कृषि उत्पादन । इसके साथ-साथ ग्रामोद्योगों को भी उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

मुझे हर्ष है कि सिंचाई की छोटी योजनाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है । पानी जमा हो जाने के कारण हजारों एकड़ भूमि बेकार हो गई है । इसे रोकने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज से नया उत्साह उत्पन्न हुआ है । उस से न केवल नये नेता तैयार होंगे वरन् प्रजातंत्र भी दृढ़ होगा और भावी विधायकों और प्रशासकों के लिये पंचायत राज एक आरम्भिक प्रशिक्षण क्षेत्र है । इस से निर्वाचकों को भी प्रशिक्षण मिलेगा ।

मैं शिक्षा के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमों और गरीब विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था का स्वागत करती हूं । अध्यापकों को अधिक वेतन और अच्छा प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है । यदि विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सामाजिक सेवा के कार्यक्रम को अध्यापक के प्रशिक्षण से सम्बद्ध किया जा सके, तो और भी अच्छा है ।

अभिभाषण में संक्रामक रोगों के उन्मूलन का उल्लेख है । इस सम्बन्ध में हैज़ा जैसे रोग के उन्मूलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मुझे विश्वास है कि सदन चीन सम्बन्धी नीति का समर्थन करेगा । हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं किन्तु चीन को हमारी प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं करने दिया जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में भारत की शान्तिपूर्ण नीति का विश्व ने सम्मान किया है, जैसाकि इस बात से स्पष्ट है कि उसे १८ राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है । मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रतिरक्षा मंत्री के नेतृत्व में निःशस्त्रीकरण समिति में पूरा योग दे सकेगा ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का जो प्रस्ताव बहिन सुशीला नायर जी ने पेश किया है, उसकी ताईद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

जैसा कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं बताया है, इस संसद् के सामने उनका यह आखिरी अभिभाषण है । इसलिए इसकी एक खास विशेषता भी होती है । साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जी अपने स्थान से निकट भविष्य में निवृत्त हो रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ इस लोकशाही के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित की हैं, इस संसद् का और संसद् के द्वारा भारतीय जनता का जो उन्होंने मार्ग दर्शन किया है, उसके लिए उनको बधाई देना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है । इसलिए जब कि एक तरह से यह विदाई का ही संदेश है, हमें अपनी भावनाओं का इज़हार जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए ।

यह जो अभिभाषण है वह हमारी लोकशाही में जो कुछ कार्य हुआ उसकी फेहरिस्त तो आज हमारे सामने नहीं रख रहा है क्योंकि पिछली दो योजनाओं में जो कार्य हुआ और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें जो कुछ कार्य करना है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है और बड़ी तफसील से उस पर बहस हुई है । इसलिए इस अभिभाषण में कोई कैटेलॉग आफ एचीवमेंट्स नजर नहीं आयेगा । फिर भी जो कुछ कार्य हुआ है उसके प्रति उन्होंने अपना इत्मीनान और संतोष प्रकट किया है और साथ ही साथ भविष्य में जो कार्य हमें सम्पन्न करना है उसके प्रति हमें सचेत भी किया है । भविष्य के बारे में जाग्रत रहते हुए, पिछले दिनों में हम ने जो कार्य किया है उससे हम अपने दिलों में संतोष, समाधान और गौरव अनुभव कर सकते हैं ।

अध्यक्ष जी, जो यह अभिभाषण है उसमें राष्ट्रपति जी ने चन्द बातों की तरफ बड़ी गम्भीरता से इशारा किया है । देशवासियों ने इस हुकूमत के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है । आम चुनाव हुए और आम चुनावों में बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से लोगों ने अपनी जिन्दगी को बनाने का उत्तरदायित्व इस हुकूमत को सौंप दिया है । यह एक महान् जिम्मेदारी है और करोड़ों लोगों ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को सामने रखते हुए कुछ अपेक्षा व्यक्त की है यह समझ

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

कर कि इस हुकूमत के जरिए उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। जब इतना महान् विश्वास मतदाताओं ने प्रकट किया है तो एक, दो बातों के प्रति हमें बहुत कठोरता से सचेत रहना जरूरी हो जाता है जिसका कि इशारा कुछ संक्षेप में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। मैं समझता हूं कि यह सदन और यह हुकूमत उनके अभिभाषण के उस परिच्छेद के इन शब्दों की तरफ दृष्टिक्षेप करेगी :—

> "योजना में दिये गये कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए दृढ़ प्रयत्न जरूरी हैं और यह तभी हो सकता है यदि हम मितव्ययता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और समय तथा प्राथमिकता की सूची का भी ख़याल रखें। ये सब बातें मेरी सरकार के ध्यान में हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों पर पार पा सकते हैं।"

मेरे कहने का आशय यह है कि आज की सब से बड़ी जरूरत जोकि एक कमी है हमारे कार्य में वह यह है कि लोगों को अभी यह भान नहीं हो रहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन क्लीन ऐंड इनकरप्टिबल है। यह सही है कि हम ने अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार किया है और बावजूद हमारे यह कहने के कि अब हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन क्लीन ऐंड इनकरप्टिबल है, लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि प्रशासनिक कार्यवाही में आज जो देरी होती है वह क्यों नहीं हटाई जाती। मैं बड़ी नम्रता से हुकूमत के सामने यह सूचना रखना चाहता हूं कि थर्ड फाईव ईयर प्लान हमारा कितना ही ऐमबिशस और कम्प्रीहेंसिव नेचर का क्यों न हो लेकिन अगर उसको कार्यान्वित करने में कुछ देरी होती है और ढिलाई होती है और उस में हमें जिस मजबूती से कदम उठाना चाहिए वह नहीं उठाते हैं तो यह मतदाताओं ने जो विश्वास हम पर रखा है उसके प्रति हम अन्याय करेंगे ऐसा मेरा खयाल है। इस बारे में हमारी हुकूमत को सचेत रहना चाहिए।

एजुकेशन के बारे में मेरी बहन डा० सुशीला नायर ने काफी विस्तार से बहुत कुछ कहा है। मैं एक ही बात उस में बढ़ाऊंगा। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा का विद्या का प्रसार हो रहा है लेकिन उस विद्या से जो विद्यार्थी बन रहा है जो भविष्य का नागरिक बन रहा है उसके दिल और दिमाग पर हमारी भारतीय सभ्यता का हमारी संस्कृति का जो भी गौरवपूर्ण भूतकाल है उसके मूल्यों का क्या प्रभाव हो रहा है इसकी ओर हमें बड़ी चिंतायुक्त नजर से देखना चाहिए और सोचना चाहिए।

मैं एक छोटी सूचना करूंगा। बहुत कुछ विद्यार्थियों के अनुशासन के बारे में कहा गया है। आम तौर पर भारत का विद्यार्थी अनुशासनप्रिय होता है डिसिप्लन को मानने वाला और पालन करने वाला है। मेरा शिक्षण क्षेत्र से काफी गहरा सम्बन्ध है और हजारों विद्यार्थियों के बीच में कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। मैं ने आम तौर पर विद्यार्थियों को अनुशासित ही देखा है। अगर उनको एक ढंग से शिक्षित किया जाता है और एक अनुकूल आबहवा पैदा की जाती है तो भारत के विद्यार्थी जरूर डिसिप्लंड ही रहेंगे इस में मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए भारत के विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में चिंता करनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में संस्कृत भाषा के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह भी अपेक्षा करता हूं कि संस्कृत भाषा जोकि कम अज कम हिन्दुओं की है क्योंकि यह संस्कृत भाषा उनकी संस्कृति, सभ्यता व अध्यात्म का एक सोर्स अथवा उद्गम स्थान है, यह अगर सेकेंडरी एजुकेशन के स्टेज में कहीं न कहीं दो, तीन साल के लिए कम्पलसरी

कर दी जाय तो यह स्वागत योग्य बात होगी। ऐसा होने से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म तथा तत्वज्ञान हर एक की जिंदगी और दिमाग में बैठ जायेगा।

अभी हाल के आम चुनावों के बारे में हमारे चंद भाइयों ने यहां कुछ संशोधन पेश किये हैं। आम तौर पर देखा जाय और निश्पक्षपूर्ण वृत्ति से देखा जाय और कुछ बाऐस हम अपने दिल में नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो तीसरा चुनाव हुआ है उस चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने अपनी लोकशाही प्रवृत्ति को बड़े गौरवपूर्ण तरीके से काम में लाया है। इस के पूर्व के दो चुनावों में जो एक दौड़ धूप होती थी, शोर मचाया जाता था और लाउडस्पीकर्स का खेल चलता था इस तीसरे आम चुनाव में मैं ने कहीं नहीं देखा और अगर कहीं हुआ भी है तो वह पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। यह शोर गुल हाल के चुनाव में बहुत कम हुआ है यह कोई मैं अतिश्योक्ति नहीं कह रहा हूं। हैदराबाद शहर में जोकि कम्पोजिट पापुलेशन का शहर है वहां स्वयं मैं ने देखा और मेरे दोस्तों ने मुझे यह बतलाया। इस पर मैं ने उन से शिकायत भी की कि वे मीटिंग्स वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बतलाया कि मीटिंग्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को उनके घरों पर एप्रोच करते हैं और उनको सब बातें बतलाते हैं। मीटिंग्स से लोगों के मन में कोई परिवर्तन होगा या उनका शिक्षण होगा ऐसा महसूस नहीं किया जाता। इसलिए इस में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और यह अनफेयर चुनाव हुआ है ऐसा आरोप लगाना अनुचित बात होगी। हकीकत यह है कि भारतीय मतदाताओं ने काफी संजीदगी से और विचारपूर्वक अपने वोट का इस्तेमाल किया है और उसको काम में लाया है। अगर हम यह समझते हैं कि कुछ ऐसे ही प्रयत्न कर के यह वोट हासिल किये गये हैं, कुछ प्रेशर्स डाल कर यह वोट हासिल किये गये हैं तो मैं समझता हूं कि यह भारतीय वोटरों की बुद्धिमानी के प्रति एक अन्याय करना होगा क्योंकि उसने जुडीशसली वोट का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं कि आज जब भारत में लोकशाही बड़े गौरव के साथ बढ़ रही है अपना संदेह प्रकट करना अच्छी बात नहीं होगी और अनुचित बात ही होगी।

जब हम इन तमाम बातों की तरफ देखते हैं तो कुछ इतमीनान का सांस लेने का हमें मौका मिल जाता है। यह पंचायती राज्य का ऐक्सपेरीमेंट जो चला है यह एक अच्छा प्रयोग है। आज हमारी डेमोक्रेसी पर या उसकी फंक्शनिंग पर आक्षेप लगाया जाता है कि यह दूर दिल्ली से चलने वाली जो डेमोक्रेसी है वह लोगों की जिंदगी में नहीं बैठेगी। लोकशाही में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए यह भावना नागरिकों में पैदा नहीं हो रही है। यह एक शिकायत रही है और उस में बहुत कुछ सत्यांश है और तथ्य है। इस दोष को हमें दूर करना है जिसमें कि लोगों का डाइरैक्ट पार्टिसिपेशन हो। ऐसी लोकशाही की पद्धति हमें अपनानी होगी ताकि जनता यह महसूस कर सके कि उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो पद्धति हमने पंचायती राज्य कायम करके स्वीकृत की है वह स्वागत योग्य है। पंचायती राज्य का जहां हम स्वागत करते हैं वहां असावधान रहने से उसके कुछ गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं। जाहिर है कि अगर आज की ही आबहवा रही और हर एक पोलिटिकल पार्टी जाकर वहां दौड़ धूप करने लगे और आम चुनाव में जो तरीके बर्ते जाते हैं और जातीयता और दूसरी संकीर्ण प्रवृत्तियों का खेल चलता है वही खेल अगर पंचायत राज्य के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर चला तो ऊपर से भी लोकशाही नहीं बनेगी और नीचे से भी नहीं बनेगी। दोनों तरफ से वह बिगड़ जाने वाली है। इसलिये नीचे के स्तर पर लोकशाही को, प्रजातंत्र की भावना को, जितने विशुद्ध रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं और पंचायत राज को एक सुदृढ़ आधार पर स्थापित कर के उसका एक अच्छा स्वरूप बना सकते हैं, उसी मात्रा में भारतीय लोकशाही पनप सकती है, वृद्धिगत हो सकती है और उसका विकास हो सकता है

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द के मुल्कों में पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी लड़खड़ा रही है, नष्टप्रायः हो रही है। इस देश में भी प्रजातन्त्र के अस्तित्व के बारे में कभी कभी सन्देह प्रकट किया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि कौन जाने, भारत में भी वही बात होने वाली है, जो कि अन्य देशों में हुई है। मैं समझता हूं कि इस का एक ही इलाज है कि हम अपने देश में पंचायत राज की नींव एक विशुद्ध और अच्छे ढंग से डालें। इस अवस्था में कम से कम भारत में लोकशाही के लिये कोई खतरा नहीं होगा। इसलिये देश में पंचायत राज स्थापित करने के बारे में जो कुछ कार्य किये जा रहे हैं, मैं उन की सराहना करता हूं।

अब मैं गोआ के बारे में कुछ विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। गोआ के बारे में जो कार्यवाही की गई है, मैं उस को ग़लती नहीं कहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे व्यवहार, उच्चार और अटरेंसिज़ में एक प्रकार का धुंधलापन सा रहा है, ऐसी एम्बिग्विटी रही है कि दुनियां के लोगों का जो मेन्टल मेक-अप है, उस के संदर्भ में वे पीसफुल मैथड्ज़ और नान-वायलेंस में वह फ़र्क करने में असमर्थ रहे हैं, जोकि किया जाना चाहिये। हमारे इस कथन का कि हम शान्तिमय मार्ग से सब बातों का निपटारा करेंगे यह अर्थ निकाला जाने लगा कि हम शस्त्रों का उपयोग ही नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि महात्मा गांधी का नान-वायलेंस का जो विचार है, वही उन के सामने आता रहा और उसी के कारण यह ग़लत-फ़हमी पैदा हुई। हम को यह समझना चाहिये कि हमारे पीसफुल मेथड्ज़ के बारे में वैस्टर्न इन्टलैक्टूअल्ज़ में जो प्रभाव है, उस से कहीं ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी की नान-वायलेंस की फ़िलासिफ़ी का है। इसलिये अगर उन्होंने यह समझा कि जब भारत नान-वायलेंस की तरफ कदम बढ़ाने वाला है, तो फिर गोआ में मिलिटरी आपरेशन्ज़ क्यों किये गये, तो यह बहुत कुछ उन की ग़लती है।

इस बारे में मैं ऐसी पावर्ज का ज़िक्र नहीं करना चाहता, जिन्होंने जान बूझ कर मिस-अंडरस्टेंडिंग पैदा की। उन के प्रति मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन यह जो कुछ ग़लत-फ़हमी हुई, उस को दूर करने के लिए हमको यह स्पष्ट कर देनी चाहिये कि भारतीय लोकशाही, या भारतीय सरकार अपनी फ़ौज का उपयोग छोड़ देने या उस को अलग कर देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सोविरेन्टी को बरक़रार रखने के लिये वह उस को काम में लायेगी। मैं समझता हूं कि गोआ आपरेशन्ज़ से वैस्ट्रन वर्ल्ड में यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो हिन्दुस्तान मिलिटरी कुव्वत को इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है।

आखिर में एक बिनती के रूप में प्राइम मिनिस्टर साहब के विचार के लिए कुछ कहना चाहता हूं। इन्डो-टिबेटन एग्रीमेंट, १९५४ समाप्त हो जायेगा और उस के रीन्यूअल के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाइना ने आज तक जो भी ऐग्रेसिव पालिसीज़ अख्तियार की हैं, उन में परिवर्तन करना चाहिये और वे समाप्त हो जानी चाहियें। यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर मैं इस कथन का इन्टरप्रिटेशन इस तरह करता हूं, तो कोई ग़लती नहीं करता हूं कि जब तिब्बत का सवाल उठाया जाता है, तो हम दलाई लामा को नहीं भूल सकते, उन के भविष्य को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। यह नहीं हो सकता कि तिब्बत के बारे में कुछ एग्रीमेंट हो और दलाई लामा की स्थिति का उस में समावेश न हो, इस बात का ध्यान न रखा जाये कि दलाई लामा का, उनके स्टेटस का, उनके अधिकारों का और तिब्बत में उनके स्थान का क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि उनके हितों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी भारतीय सरकार पर है। मैं आशा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर करेंगे।

राष्ट्रपति जी ने आखिर में, संविधान में जो सिद्धान्त हम ने प्रतिपादित किये हैं, जो घोषणायें की हैं, जो आश्वासन हम ने दिये हैं, दुनियां के सामने जो चित्र हमने रखा है, भारतीय समाज को हम ने जो अभिवचन दिया है, उनको दोहराया है। जब हम एक काल-खंड को समाप्त कर के अपनी जिन्दगी के एक नये पर्व को शुरू करते हैं, तो उन घोषणाओं का पुनरुच्चार करके उनके प्रति हमारे दिलों में जो निष्ठा है, उस को प्रकट करना आवश्यक हो जाता है और उस को हम इस प्रस्ताव के द्वारा प्रकट कर रहे हैं।

मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी को अपनी कृतज्ञता की अंजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह उनको लम्बी आयु दे और वह भारतीय लोकशाही का मार्ग-दर्शन करने के लिए लम्बे अरसे तक जीवित रहें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सरजू पाण्डेय** (रसड़ा) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बलराज मधोक :** (नई दिल्ली) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री याज्ञिक :** (अहमदाबाद) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत हुआ मान लेता हूं। अब अधिक संशोधनों की अनुमति नहीं होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद-प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

संशोधन	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त परिचय
१	२	३
११.	श्री सरजू पाण्डेय	राष्ट्रमंडल के कुछ सदस्य-देशों द्वारा जाति-भेद की नीति पर अमल करने के बावजूद, राष्ट्र-मंडल की भारतीय सदस्यता पर खेद प्रकट न करना।
१२.	श्री सरजू पाण्डेय	अभिभाषण में आर्थिक समानता के लिये प्रयत्नों का उल्लेख न करना।
१३.	श्री सरजू पाण्डेय	खाद्य का अपव्यय रोकने के लिये सुनियोजित ढंग से खाद्य समस्या को हल करने की असफलता का उल्लेख न करना।
१४.	श्री सरजू पाण्डेय	देश की संकटपूर्ण आर्थिक दशा और बेरोजगारी दूर करने के लिये प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख न करना।

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
१५.	श्री सरजू पाण्डेय . .	संविधान के अनुच्छेद ४६ को कार्यान्वित करने की असफलता का उल्लेख न किया जाना ।
१६.	श्री सरजू पाण्डेय .	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की बिगड़ती दशा का उल्लेख न करना ।
१७.	श्री सरजू पाण्डेय	विदेशी और भारतीय पूंजीपतियों द्वारा जनता का शोषण रोकने की असफलता का उल्लेख न करना ।
१८.	श्री सरजू पाण्डेय . .	(१) बेरोजगारों को काम दिलाने में असफलता; और (२) सरकारी काम-दिलाऊ दफ्तरों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद रोकने में असफलता का उल्लेख न करना ।
१९.	श्री बलराज मधोक . .	चुनावों में सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग और अनेक अनियमितताओं की रोक-थाम समुचित उपायों का उल्लेख न करना ।
२०.	श्री बलराज मधोक . .	तिब्बत के सम्बन्ध में भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में असफलता ।
२१.	श्री बलराज मधोक . .	चीन द्वारा अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने की शर्त का उल्लेख न करना ।
२२.	श्री बलराज मधोक . .	लद्दाख का एक भाग चीन को पट्टे पर देने के समाचार के विरुद्ध राष्ट्र को आश्वस्त करने में असफलता ।
२३.	श्री बलराज मधोक . .	युद्धविराम रेखा के आधार पर कश्मीर का मामला तय करने की आशंका का निराकरण करने में असफलता ।
२४.	श्री बलराज मधोक .	भारत और नेपाल के सम्बन्ध दृढ़ बनाने के लिये कार्यवाही का उल्लेख न करना ।
२५.	श्री बलराज मधोक .	मुद्रा-स्फीति को रोकने और बंधी हुई आय वाले वर्गों के कष्ट दूर करने की असफलता का उल्लेख न करना ।
५१	श्री म० क० गोपालन .	अत्यावश्यक वस्तुओं की असाधारण मूल्य-वृद्धि रोकने में असफलता का उल्लेख न करना ।

१	२	३
५२	श्री अ० क० गोपालन . .	अप्रत्यक्ष करों के फलस्वरूप होने वाले कष्टों को दूर करने की असफलता का उल्लेख न करना ।
५३	श्री अ० क० गोपालन .	तृतीय सामान्य निर्वाचन के दौरान धन, जाति, धर्म और समुदाय तथा अन्य संकीर्ण भावनाओं के दुरुपयोग के प्रति आशंका व्यक्त न करना ।
५४	श्री अ० क० गोपालन .	निर्वाचन के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का और उनकी जांच का उल्लेख न करना ।
५५	श्री अ० क० गोपालन . .	केरल की जनता द्वारा तृतीय सामान्य निर्वाचन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत से मत देने और इस प्रकार वर्तमान राज्य-सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने का उल्लेख न करना ।
५६	श्री अ० क० गोपालन .	मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को उत्तरदायी सरकार मंजूर करने में असफलता का उल्लेख न करना ।
५७	श्री अ० क० गोपालन . .	गोआ, दमन और दियु की मुक्ति के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड और अमरीकी सरकारों के अमैत्रीपूर्ण व्यवहार का उल्लेख न करना ।
५८	श्री अ० क० गोपालन	अस्थायी अलजीरियाई सरकार को पूर्ण मान्यता देने का उल्लेख न करना ।
५९	श्री अ० क० गोपालन .	जर्मन जनतांत्रिक गणतंत्र को पूर्ण मान्यता देने का उल्लेख न करना ।
६०	श्री अ० क० गोपालन .	लंका के तमिल भारतीयों की समस्या को हल करने की अविलम्बनीयता का उल्लेख न करना ।
६१	श्री अ० क० गोपालन . .	तृतीय सामान्य निर्वाचन के दौरान विदेशी अभिकरणों द्वारा हस्तक्षेप का उल्लेख न करना ।

१	२	३
६२	श्री अ० क० गोपालन . .	कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघीय सेनाओं द्वारा राष्ट्र संघ के संकल्प को कार्यान्वित करने की असफलता का उल्लेख न करना ।
६३	श्री अ० क० गोपालन	संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर का मामला वापस लेने की इच्छा का उल्लेख न करना ।
६४	श्री अ० क० गोपालन	मद्रास राज्य का नाम राज्यीय स्तर पर बदलने के बाद भी उसे केन्द्रीय स्तर पर बदलने का उल्लेख न करना ।
६५	श्री अ० क० गोपालन .	हथकरघा उद्योग को समुचित संरक्षण देने की असफलता का उल्लेख न करना ।
६६	श्री अ० क० गोपालन .	केरल में भूमि सुधार विधियों द्वारा बिचौलियों के बनने का उल्लेख न करना ।
६७	श्री अ० क० गोपालन	बड़ी बड़ी परियोजनाओं में लगे मजदूरों के पुनर्वास के लिये समुचित कार्यवाही का उल्लेख न करना ।
६८	श्री याज्ञिक .	सरकार की राजनैतिक और आर्थिक नीतियों में स्वदेशी की भावना लाने के प्रयत्न का उल्लेख न करना ।
६९	श्री याज्ञिक	बैंकिंग और सामान्य बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण द्वारा समाजवाद के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने की कार्यवाही का उल्लेख न करना ।
७०	श्री याज्ञिक .	अधिकतम और निम्नतिम आयों के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयत्न का उल्लेख न करना ।
७१	श्री याज्ञिक	भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पाश्चात्य देशों के पूंजीपतियों और उनके भारतीय सहयोगियों की पकड़ मजबूत होने का उल्लेख न करना ।
७२	श्री याज्ञिक . . .	अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि रोकने की कार्यवाही का उल्लेख न करना ।

१	२	३
७३	श्री याज्ञिक . . .	दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि रोकने के प्रयत्नों का उल्लेख न करना ।
७४	श्री याज्ञिक . . .	असैनिक प्रशासन और सरकारी व्यय में मितव्ययता का उल्लेख न करना ।
७५	श्री याज्ञिक . . .	काला बजार, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद रोकने के प्रयत्नों का उल्लेख न करना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : अभिभाषण में गोआ की मुक्ति का उल्लेख किया गया है । हम सभी उसका स्वागत करते हैं ।

अभिभाषण में १८ देशों के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया है । आशा है भारत उस सम्मेलन में अपना उचित पार्ट अदा करेगा।

तृतीय योजना की सफलता की हम सभी कामना करते हैं । परन्तु यथार्थ भी हमें देखना पड़ेगा । कृषि-उत्पादन की वृद्धि तो हुई है, पर अभी तक अनाज की प्रति व्यक्ति खपत युद्ध-पूर्व काल के बराबर नहीं पहुंच पाई है। सरकार अभी तक मूल्य-वृद्धि को रोकने में असमर्थ रही है। वास्तविक वेतन में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है । करों की वृद्धि के कारण जनता के रहन-सहन का स्तर गिरता जा रहा है । दूसरी ओर पूंजी का केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है।

अभिभाषण में कहा गया है कि सभी प्रदेशों में प्रगति की गति समान करने की दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । लेकिन द्वितीय योजना-काल की समाप्ति के बाद पिछड़े प्रदेशों के विकास का कोई लेखा-जोखा नहीं किया गया है। इससे वस्तु-स्थिति का पता नहीं चल पाता।

इसका अर्थ यही है कि शहरी इलाकों और देहाती इलाकों के विकास में काफी बड़ा अन्तर है। देहाती इलाकों में न संचार के साधन हैं और न चिकित्सीय सुविधायें । कहीं-कहीं तो पीने का पानी तक दुर्लभ है। इस प्रकार पिछड़े हुए इलाके, अभी भी पिछड़े हुए ही हैं। सामान्य जनता की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि नहीं हुई है।

उत्पादन की वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है, पर योजना आयोग के श्री० वी० टी० कृष्णमाचारी ने अभी एक सप्ताह पहले एक वक्तव्य में कहा है कि १९६१-६२ की फसल संतोषजनक नहीं रही है। उसके लिये जरूरी है कि खेतिहर मजदूरों और किसानों में उत्साह पैदा करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

तृतीय योजना में स्पष्ट कहा गया है कि देश के भूमि-सुधार सम्बन्धी विधान त्रुटिपूर्ण हैं। परन्तु उनकी कार्यान्विति तो और भी अधिक त्रुटिपूर्ण है। कुछ राज्यों में ऐसे विधानों के फलस्वरूप विचौलियों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन वहां नये प्रकार के बिचौलिये पैदा हो गये हैं। केरल में भी, जहां अभी तक विचौलिये थे ही नहीं, अब बिचौलिये पैदा हो गये हैं। यह मामला योजना आयोग को सौंपा गया था, पर वहां योजना आयोग भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

सरकार ने जोत की अधिकतम सीमा तो निर्धारित कर दी है, पर वह अभी तक बंजर पड़ी भूमि का बंटवारा नहीं कर पाई है।

केरल में परियोजनाओं के नाम पर जोतदारों को बेदखल किया जा रहा है। पंजाब और बंगाल में भी यही किया जा रहा है। इस प्रकार हजारों किसानों को बलपूर्वक बेदखल कर दिया जाता है और उनको प्रतिकर तक नहीं दिया जाता। इससे किसानों में योजना के प्रति असंतोष फैलता है। उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये।

भूमि सुधार विधानों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने कहा है कि उसने बिलकुल सही रिकार्ड तैयार करने पर जोर दिया था। सही रिकार्ड न होने से, भू-स्वामियों की बन आई है। वे पन्द्रह पन्द्रह वर्ष से खेती करने वाले किसानों को भी उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने केरल में इसी आधार पर लगान कम करने की किसानों की मांग ठुकरा दी है। सरकार ने रिकार्ड तैयार करने के लिये अनुदेश भी जारी कर दिये थे, पर हुआ कुछ नहीं। रिकार्ड तुरंत तैयार कराये जाने चाहिये। तभी भूमि सुधार विधानों की कार्यान्विति किसानों के हित में की जा सकेगी।

अभिभाषण में कहा गया है कि चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गये हैं। हमारे यहां कुछ अलोकतांत्रिक बातें भी हैं। देश की सामान्य जनता की प्रतिव्यक्ति आय ३७२ रुपये वार्षिक है, लेकिन लोक-सभा के लिये खड़े होने वाले को ५०० रुपये जमानत जमा करनी पड़ती है। फिर साधारन जन उसके लिये कैसे खड़े हो सकते हैं। हमारे यहां चुनावों को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिये।

पंजाब में विरोधीदलों ने मुख्यमंत्री के चुनाव को चुनौती दी है।

केरल में लैटिन क्रिश्चियनों के वोट पाने के लिये सेवाओं में उनके लिये सुरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की घोषणा कर दी गई थी। कुछ स्थानों पर सत्तारूढ़ दल ने भले-बुरे सभी तरीकों से वोट लेने की कोशिश की है।

और चुनाव के बाद क्या हो रहा है? पंजाब के ९० कांग्रेस विधायकों में से ३० मंत्री बनाये गये हैं। उत्तर प्रदेश में ४० मंत्री बनाये गये हैं जबकि मद्रास में केवल नौ मंत्री हैं। इससे जनता में असंतोष और अधिक बढ़ जायेगा।

लोकतंत्रीय प्रणाली दुर्भांति नहीं की जानी चाहिये। केरल में कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दलों को कुल मिलाकर ४४ प्रतिशत वोट मिले हैं; जनता के बहुमत ने उनके विरुद्ध मतदान किया है। विधान सभा के १२६ निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल ४२ निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दल को बहुमत मिल पाया है। १८ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल छः सीटें उनको मिल पाई हैं। फिर भी दोनों दलों की मिलीजुली सरकार वहां सत्तारूढ़ है।

१९५९ में कम्युनिस्टों के विरुद्ध जनता के उभार का जो नारा दिया गया था, उसकी वास्तविकता सामने आगई है। इससे स्पष्ट है कि जनता किसके साथ है। केरल में कांग्रेस और प्रजासमाजवादी दलों की मिलीजुली सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। यह सवाल चुनाव का ही नहीं है बल्कि यह निर्णय करना है कि क्या वहाँ के मंत्रिमंडल में जनता का विश्वास है या नहीं। सन् १९५९ में जो मंत्रिमंडल वहां काम कर रहा था उससे त्यागपत्र देने के लिये कहा गया और उस त्यागपत्र का आधार भी यही था कि उस मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं रहा था। उन दिनों भी चुनाव नहीं हुए थे। चूंकि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया अतः उनको पदच्युत कर दिया गया। जहां तक केरल में चुनावों की बात है वहां दुहरा स्तर अपनाया जा रहा है। राजनैतिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है।

जहां तक शिकायतों की बात है चुनाव आयोग को जनता की बात सुननी चाहिये ताकि भविष्य के चुनाव और भी अच्छे एवं लोकतंत्रीय ढंग से हो। और जो अनियमितताएं इस बार हुई हैं वे भविष्य में न हों।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं): राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

चुनाव आयोग निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। क्योंकि उसने ये चुनाव इतने कम समय में तथा इतनी कुशलता से किये हैं तथा ये चुनाव इतनी शांति पूर्वक सफल हुए हैं। अतः इस चुनाव से सम्बन्धित पदाधिकारी निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां इतनी बात है वहां यह भी स्मरणीय है कि चुनाव में कुछ कमियां भी नजर आईं। पहली कमी तो यह थी उम्मीदवारों को मतदाताओं की अधूरी सूची दी गई इन सूचियों में प्राया जीवित व्यक्तियों के नाम छोड़ दिये गये थे और जो मर चुके हैं या पाकिस्तान चले गये हैं उनके नाम सम्मिलित हैं इससे लोगों में बड़ी निराशा एवं असंतोष फैला। मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग इन सूचियों को आधुनिकतम और ठीक-ठीक बनाया जाये।

चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता सरकार की नीति से सहमत है। ऐसी आशा है कि आगामी संसद सरकार की इन नीतियों का बड़ी तेजी से पालन करेगी। लेकिन इस चुनाव ने जनता की आंखे खोल दी हैं कि ये चुनाव किसी राजनीतिक दल की नीति एवं उनकी सफलताओं को आधार मानकर नहीं हुए बल्कि धार्मिक आधार पर हुए हैं। मतदान के समय जातीयता का भी बोलबाला था। यह एक बुरी बात है यदि इस प्रकार की भावना को रोका नहीं गया तो इसका परिणाम लोकतंत्रीय सरकार के लिये घातक होगा। आगामी संसद को इस बात का ध्यान रखना होगा और यह प्रयत्न करना होगा कि मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से हो। लोक-सभा अथवा विधान सभा की उम्मीदवारों के लिये कोई योग्यता रखनी चाहिये। अभी तक कोई योग्यता नहीं रखी गई है परिणामस्वरूप किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति इनके लिये खड़ा हो सकता है।

चुनाव आयोग को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि विधान सभा तथा लोक-सभा के लिये चुनाव अलग अलग हों एक साथ न हों। इससे लाभ यह होगा लोक-सभा के उम्मीदवारों का चयन उनकी गुणिता के आधार पर होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

यह प्रसन्नता की बात है कि पंचायती राज्य सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आठ राज्यों ने इसे अपना लिया है। शेष राज्य भी शीघ्र ही इसे अपनायेंगे। मेरा निवेदन है कि पंचायती राज्यों का चुनाव एकमत से होना चाहिये। इससे वह खर्चा भी बच जायेगा जो इन पंचायतों के चुनाव पर व्यय होता है।

एक बात देखने में यह भी आई है कि जनता पंचायती राज्यों की जटिलताओं में कोई रुचि नहीं लेती। कार्यक्रम को समझने का प्रयत्न नहीं करते। लोगों के दिमाग में एक बात यह भी है कि यह पंचायती राज जनता के लिये नहीं हैं बल्कि सरकारी कार्यक्रम के लिये है। इन पंचायत राज्यों की मार्फत सरकार ने जो चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं जनता को दी हैं जनता उनका लाभ उठा रही है। ग्रामीण स्तरीय पदाधिकारी के कार्य से भी जनता भी प्रसन्न है। मेरा सुझाव यह हैं कि इस पदाधिकारी के अधीन जो गांवों की संख्या है वह घटाकर कम कर दी जाये।

ग्रामीण जनता को ग्रामीण उत्पादन लक्ष्य से रुचि भी लेनी चाहिये क्योंकि उनके द्वारा रुचि लेने पर ही लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है।

अंत में मेरा निवेदन है कि जनता एवं सरकारी पदाधिकारियों को इस प्रकार पक्का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि पंचायती राज्य की वृद्धि हो सके।

†**श्री याज्ञिक :** राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये मैं उनको धन्यबाद देता हूं।

मेरा एक सुझाव है कि राष्ट्रपति भवन तथा अन्य राजभवनों में जो ऊपरी दिखावा है उसे एक दम कर कम देना चाहिये और जो इतने आदमी वहां केवल दिखावे के लिये रहते हैं उनकी संख्या भी कम कर देनी चाहिये। ऐसा करने से राष्ट्र का खर्चा कम होगा।

इस सरकार ने समाजवादी समाज बनाने की नीति अपनाई है लेकिन हम देखते हैं कि हम राज्य में धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाई गई नीति के परिणाम का ही फल है। यह तो ठीक है कि सरकार धनवानों से धन ले रही है लेकिन साथ ही उन्हें और सुविधायें भी तो दे रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे और भी धनी बनते जा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में निर्धन व्यक्तियों की दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। राष्ट्रपति ने खाद्य उत्पादन का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि अनाज का उत्पादन अधिक हुआ है लेकिन प्रति व्यक्ति को जो अनाज पहले मिला करता था वह अब कम हो गया है। लोगों के पास धन नहीं है कि वह अपनी आवश्यकता के लिये वे गेहूं खरीद सकें। कोयले तथा तेल का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। औद्योगीकरण हुआ है लेकिन जनता से उनको कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि ये उद्योग अधिक लोगों को काम नहीं देते। कपड़ा उद्योग अधिक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कपड़े के मूल्य में कोई कमी नहीं आ रही है। मिल मालिकों को कपड़े का आयात कर के धन कमा रहे हैं। यही हाल इस्पात संयंत्रों एवं सीमेंट उद्योग का है। टीन की चादरें

†मूल अंग्रेजी में

चोर बाजार में खूब मिलती हैं और आम जनता को नहीं मिल पाती। साथ ही इन वस्तुओं के मूल्य भी बहुत अधिक बढ़ गये हैं ।

चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन गन्ना उत्पादकों, मिल मजदूरों अथवा जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है । मिल मालिकों को ही लाभ हो रहा है । उद्योगों के विकास से केवल पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है । पिछले कुछ वर्षों से यह भी देखने में आ रहा है कि भारतीय उद्योगों में विदेशी विनियोजन की मात्रा बढ़ रही है । चूंकि यहां धन लगाकर ये विदेशी पूंजीपति अधिक मुनाफ़ा कमा रहे हैं। जीवन बीमा निगम व्यापार, बैंकिंग, जहाजरानी, आदि में विदेशी धन काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है ।

विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर भारत जो उद्योग तैयार कर रहा है, वह नीति देश के लिये घातक है । इस से हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है । ऐसा करने से हम आर्थिक पराधीनता में फंसते जा रहे हैं। साथ ही इसका प्रभाव हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता पर भी पड़ता है । हो सकता है कि आगे चल कर यह हमारी लोकतंत्रात्मक पद्धति पर भी प्रभाव डाले ।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये वर्ना डर इस बात का है कि क्रांति न हो जाये ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मश्कूर हूं कि आप ने मुझे यह मौका बख्शा है । मैं न तो उस गिरोह में हूं जो हार गये हैं और न मुझे यह मालूम है कि मैं वापस आऊंगा भी या नहीं। इस लिहाज़ से मैं आपका मश्कूर हूं।

मैं प्रेजिडेन्ट साहब के ऐड्रेस की पुर जोर हिमायत करता हूं ।

सबसे पहले मैं मि० रघुबीर सहाय की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि एक कांग्रेसमैन की हैसियत से उन्होंने मुसलमानों के साथ सरासर नाइन्साफी बल्कि जुल्म किया यह कह कर कि मुसलमान ने मुसलमान को वोट दिया, गैरमुसलमान को वोट नहीं दिया । यह हकीकत नहीं है । फिर बहैसियत इन्सान के यह मेरा हक है कि मैं जिसको चाहूं वोट दूं और जिसको चाहूं न दूं । एक मुसलमान की हैसियत से भी मुझे इस मुल्क में जिन्दा रहने का, सयासी जिन्दगी में, समाजी जिन्दगी में, अपना फर्ज अदा करने का पूरा हक है। कोई शख्स अपनी मर्जी के तहत मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता जब कि इस मुल्क की अक्सरियत पर इस किसम की कोई पाबन्दी नहीं है कि कौन किसको वोट दे ।

†**श्री सम्पत** (नामक्कल) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्या हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा का भी इस सभा में बिना पहले से अनुवाद दिये हुए प्रयोग किया जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हिन्दी और उर्दू में विभेद करना बहुत कठिन है । एक संस्कृतनिष्ठ होती है तो दूसरी फारसीनिष्ठ । ऐसी ही एक घटना स्वर्गीय मौलाना आजाद के समय हुई थी जब कि उनसे पूछा गया कि वह किस भाषा मे बोल रहे हैं तो उस समय उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वे हिन्दी में बोल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सम्पत :** किन्तु माननीय सदस्य ने यह कहा था कि वे उर्दू में बोल रहेहैं। क्या हम भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब माननीय सदस्य एक बार कह चुके हैं कि वे हिन्दी में बोल रहे हैं तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं हिन्दी में बोल रहा हूं।

श्री सम्पत : वह हिन्दी में नहीं बोल रहे हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : तो म यह अर्ज कर रहा था कि मेरे ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। और मेरे दोस्त ने जहां यह कहा कि ठाकुर ने ठाकुर को वोट दिया, राजपूत ने राजपूत को वोट दिया, उन्होंने एक खास अन्दाज से यह बात कही कि मुसलमान ने मुसलमान को वोट दिया। हिन्दुस्तान से मतलब सिर्फ यू० पी० का सूबा नहीं है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिन्दुस्तान में गुजरात भी है और बम्बई भी, आसम भी है और मद्रास भी, आन्ध्र और केरल और पंजाब भी हिन्दुस्तान में हैं ।

मैं आपके नोटिस में चन्द वाकयात लाना चाहता हूं। यू० पी० में शायद ही किसी जगह मुसलमानों की इतनी अक्सरियत हो कि वह किसी को कामयाब करा सकें। और फिर यू० पी० में ही अलीगढ़ का किस्सा लीजिये जहां एक मुसलमान केंडीडेट था पर वहां एक गैर मुस्लिम कामयाब हुआ। आप का मगंज को लीजिये जहां एक गैर मुस्लिम कामयाब हुआ मुसलमानों के वोट से। मैं नहीं समझता कि यह बात मुसलमानों के लिये जरूरी है कि वह सिर्फ कांग्रेस को वोट दे। सिर्फ कांग्रेस ही एक जमात नहीं है। हर शख्स वोट देने के मामले में आजाद राय है।

हमारे सामने हमारे एक लीडर बैठे हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं। उनकी कांस्टीट्यूएंसी में मुसलमान हैं और उन्होंने उनको वोट किया। चाहे वह बम्बई से खड़े होते तो बम्बई के मुसलमान उनको वोट करते। यह तो अपनी जाती रवादारी का मामला है। बम्बई में एस० के० पाटिल साहब की सीट को लीजिये। और मोहम्मद अली रोड पर मिस्टर फोकी कामयाब हुए और मुस्लिम लीग हार गयी।

श्री केशव : डा० मेलकोटे को अपने क्षेत्र के मुसलमानों का बहुमत प्राप्त हुआ था ।

श्री अ० मु० तारिक : डा० मेलकोटे मुझ से कहते हैं कि ५० परसेंट मुसलमानों ने उनको वोट किया। तो मुसलमानों को फिरकापरस्त कहना निहायत जुल्म है और जुल्म ही नहीं है बल्कि एक साजिश है मुल्क में फिरकापरस्ती की हवा देने की। मुझे इन्तहाई अफसोस है कि कांग्रेस बेंचेज से यह आवाज उठी।

अगर मैं अपने वोटरों की खिदमत नहीं करता, अगर मेरे में इतनी काबलियत नहीं है कि मैं अपने वोटरों के सामने जाऊं तो इसका इल्जाम किसी खास कम्युनिटी पर डाल देना निहायत बे-इन्साफी है। हिन्दुस्तान में बहुत सी कौमें बसती हैं। मुसलमान भी एक कौम है और उनको हक है कि वह जिसको चाहें वोट करें।

आप नार्थ बम्बई को लीजिए जहां हिन्दुस्तान का सब से बड़ा इलेक्शन लड़ा गया। वहां सोशलिज्म, जहां डिमाक्रेसी और सरमायदारी की जंग थी। और उस कांस्टीट्यूएंसी मे ७९,००० मुसलमान हैं और जहां तक मुझे यकीन है, और मेरा दावा है, कि ६० परसेंट मुसलमानों ने कांग्रेस केंडीडेट को वोट दिया। बावजूद इसके कि उन पर तरह तरह के दबाव डाले गये। मुल्क की

†मूल अंग्रेजी में

मुखालिफ जमाअतों ने अपने जल्सों में कुरान शरीफ पढ़वाये, अजानें लगवाईं। इसके बावजूद मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया।

सिर्फ कांग्रेस को वोट देना मेरे ऊपर लाजिमी नहीं है जिस तरह कि अक्सरियत के लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह कांग्रेस को वोट करे। यहां जनसंघ रह सकता है, हिन्दू महासभा रह सकती है, स्वतंत्र पार्टी रह सकती है, और भी जमाअतें हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं। और बहुत से मुसलमान हैं जो हिन्दुओं के वोट से आए हैं। आप आसाम को लीजिये। मफीदा अहमद मेम्बर हैं। उनके नीचे आठ गैर मुस्लिम थे और आठ के आठ जीत गए और मफीदा अहमद हार गयीं उनके मुकाबले में। मैं ऐसी बहुत सी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं। हुमायूं कबिर साहब की कांस्टीट्यूएंसी ले लीजिए। बिजनौर में लतीफ साहब की कांस्टीट्यूएंसी ले लीजिए। उनकी कुरबानियों से तारीख बन सकती है। वहां ४० फी सदी मुसलमान वोट थे लेकिन वह श्री प्रकाशवीर शास्त्री से हार गये। फिर भी हमसे गिला है कि तुम फिरकापरस्त हो। तुम वफादार नहीं हो। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जहां आप खुद रवादार नहीं हैं वहां हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरकापरस्त हैं। इस मामले में कांग्रेस के मेम्बरों को अपनी खामियों को और अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिए . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जितना कुछ कहा गया है उससे आगे मेम्बर साहब न जाएं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुसलमान फिरकापरस्त हैं। उन्होंने तो सिर्फ यह कहा था कि इस बार इलेक्शन्स में जात पर बहुत जोर दिया गया। यह बात उन्होंने औरों के बारे में भी कही और मुसलमानों के बारे में भी कही।

श्री अ० मु० तारिक : उन्होंने मुसलमानों पर ज्यादा जोर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने तराजू पर वजन नहीं किया कि किसको कितना जोर दिया था। मगर इस बात को बहुत हद तक खींचने की जरूरत नहीं है।

श्री अ० मु० तारिक : जहां तक प्रेसीडेंट साहब के एड्रेस का ताल्लुक है, जो उन्होंने कहा सोशलिज्म के बारे में। यह एक हकीकत है कि हमने इस मुल्क में सोशलिस्ट पैटर्न का एक प्रोग्राम बनाया है। लेकिन यह सिर्फ कहने से ही नहीं होगा। हमें इन्तहाई शिद्दत के साथ उस पर अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन लोगों का जो बड़े बड़े सरमायेदारों के हाथों में जकड़े हुए हैं और जो लोग निहायत शिद्दत के साथ अपनी सरमाएदारी को हिन्दुस्तान में फैला रहे हैं, सख्ती से मुकाबला करें। अगर हमने इस मुल्क में सोशलिज्म को लाना है तो यकीनन उसके लिए हमें चन्द बुनियादी बातों को करना चाहिए। एक तो यह कि मुल्क में ज्यादातर कारखाने पब्लिक सेक्टर में खोल ले जाएं। तालीम आम की जाए और लोगों को इल्म से रूशनाश किया जाए और तालीम के बारे में लोगों को मजीद सहूलियतें हों।

जनाबवाला पिछले इलेक्शन्स में जो चीजें सामने आयीं उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस मुल्क में जो जंग होगी या इलेक्शन में जो जंग हुई वह सोशलिज्म और सरमायेदारी की जंग थी। हमने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में इस मुल्क की दौलत है और दौलत के साथ साथ हमने यह भी देखा कि बड़े बड़े सरमायेदारों के पास अखबारात हैं जो कि एक सबसे बड़ा जरिया है लोगों तक किसी चीज को पहुंचाने का, जो एक सब से बड़ा हथियार है लोगों के जहनों को तबदील करने का, जो कि एक सबसे बड़ी चीज है लोगों को सियासी तौर पर एजूकेट करने की। हमने देखा कि वह

बड़े बड़े सरमाएदार जो एक तरफ तो हमारे दोस्त बनने का दावा करते हैं जब उनको अपनी दौलत को और बढ़ना होता है लेकिन वह बड़ी तेजी से, बड़ी शिद्दत से और बड़ी जुरत के साथ हमारे सामने आए कि हमारी पालिसियों को नाकाम करें और इसमें उन्होंने अखबारों को इस्तेमाल किया। जब मैं अखबारों का जिक्र करता हूं तो मैं उन छोटे छोटे लोगों का जिक्र नहीं करता जो इन अखबारों में काम करते हैं बल्कि मेरा मतलब उन सरमाएदारों से है जो इन अखबारों के मालिक हैं। वह इन अखबारों में काम करने वाले छोटे छोटे लोगों का भी खून चूसते हैं और दूसरी तरफ कोशिश करते हैं इस मुल्क को गलत रास्ते ले जाने की और सरमाएदारी को फिर से मजबूत करने की।

सिर्फ ये सरमायेदार ही नहीं हैं बल्कि हमारे सामने जो सब से बड़ी चीज है वह इस मुल्क के राजे महाराजे हैं। एक तरफ तो यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान में हर एक को मसावी हक है कि किसी शख्स की आमदनी से, किसी के कारोबार से नाजायज फायदा न उठावे। लेकिन ये राजे महाराजे, जिन्हें हम बड़ी बड़ी रकमें देते हैं बगैर किसी काम काज के, बगैर किसी मतलब के, आखिर वही दौलत जो हमारे गरीब लोगों की आमदनी से इन को दी जाती है वही हमारे सामने लायी गयी। यह सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है बल्कि उन तमाम जमाअतों का सवाल है जो इस मुल्क में सोशलिज्म को कायम करना चाहती हैं। चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे पी० एस० पी० हो, या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हों। इन सब को इस का मुकाबला करना है। यह खतरा सिर्फ कांग्रेस के लिये नहीं है बल्कि हमारी सभी जमाअतों के लिये है। फिरका परस्ती अगर इस मुल्क में सिर उठाती है, तो उस से सिर्फ कांग्रेस ही कमजोर नहीं होती बल्कि और भी जमाअतें कमजोर होती हैं। तो इन चीजो का, चाहे वह फिरकापरस्ती हो या सरमाएदारी हो, हम सब को मुकाबला करना चाहिये।

जनाब वाला, मैं एक और बात आप की तवज्जह में लाना चाहता हूं। वह है ताजा शोर गुल और ताजा प्रोपेगेंडा जो हुकूमत पाकिस्तान ने काश्मीर के बारे में किया है। मुझे अफसोस है कि प्रेसीडेंट साहब ने इस का जिक्र अपने एड्रेस में नहीं किया है। अभी पिछले चन्द महीनों में, पिछले इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिशें कीं न्यूयार्क में अपने दोस्तों की हिमायत से हिन्दुस्तान को बदनाम करने के लिए काश्मीर के मसले पर। यह एक हकीकत है, और इस में मुझे बार बार यह कहने की जरूरत नहीं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन म—— यह देखता हूं कि वह लोग जो एक तरफ तो हम से दोस्ती करते हैं। एक तरफ तो यह चाहते हैं कि हमारी उन से सियासी दोस्ती हो, वही लोग जब दूसरी तरफ उन को जरा भी मौका मिलता है तो वह हमारी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बार बार ऐसा किया है। मैं नहीं जानता कि क्या हक है हुकूमत अमरीका को कि वह हम से यह कहे कि हम काश्मीर के मसले पर फिर बातचीत करें पाकिस्तान से, और वह हमें नाम भी पेश करें, चाहे वह मिस्टर ब्लैक हों या मिस्टर व्हाइट हों, जो आज मसावत करेंगे काश्मीर के मसले पर। काश्मीर का मसला कोई मसलेहत के ताबे मसला नहीं है। वह मसला सिर्फ यह है कि काश्मीर की सरहदों पर जिन गैर-मुल्की ताकतों का कब्जा है, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो, उन को काश्मीर से बाहर निकाला जाये। और अगर कोई शख्स वाकै हिन्दुस्तान से दोस्ती करता है तो उसे निहायत दयानतदारी से इस मामले में हमारी हिमायत करनी चाहिये और काश्मीर को गैर-मुल्की हमलावरों से पाक कराना चाहिये।

तीसरी बात जो म आप की खिदमत में लाना चाहता हूं वह यह है कि जो गैर-मुल्की लोग हमारे अन्दरूनी मामलात में दखल देते हैं इस को हम कब तक बरदाश्त करते रहेंगे। नार्थ बम्बई

के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि उस के पीछे कितनी गैर-मुल्की ताकतें थीं, कितने गैर-मुल्की अखबारनवीस थे जो हिन्दुस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाते थे । अब तो इस मुल्क में एक और हंगामा पैदा किया जा रहा है । अब मैननिज्म आ रहा है । कहीं नेहरूइज्म है, कहीं सोशलिज्म है । तो मैं हिन्दुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन हकीकतों की तरफ खयाल करे । यह हरकतें सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर भी हो रही हैं । कुछ लोग हिन्दुस्तान में भी इस रोल को अदा कर रहे हैं ।

अभी पिछले दिनों एक साहब ने यह कहा है कि उन का पावर पालिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी है । उन्होंने कहा है कि हालांकि वह पावर पालिटिक्स से बिलकुल अलग हैं लेकिन अगर मुल्क में कोई क्राइसिस हुई तो वह वापिस तशरीफ लाने की जहमत करेंगे । मैं उन से इस ऐवान के जरिये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई क्राइसिस नहीं आयेगी हिन्दुस्तान में कोई गैर-मुल्की ताकत नहीं आ सकती है । हिन्दुस्तान के लोग काफी खबरदार और होशियार हैं और मैं उन से दरख्वास्त करूंगा कि वह वापिस आने की जहमत न करें क्योंकि वापिस आने के लिये वह कोई ऐसी जगह नहीं पायेंगे जहां कि वह बैठ सकें और न ही वापिस आने के लिये कोई उन से दरख्वास्त करेगा ।

जनाबवाला, आखिर में मैं क़ौमी यकजहती के बारे में चंद अल्फाज़ कहना चाहता हूं । जहां इस वक्त हमारे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा मसला है हिन्दुस्तान की तरक्की का लेकिन उस के साथ ही सब से बड़ा मसला है क़ौमी यकजहती का । मैं समझता हूं कि हुकूमत उन तमाम सिफारिशों पर जोकि नेशनल इंटेग्रेशन कमेटी ने की हैं, चाहे वह कांग्रेस की थी या हुकूमत की थी उन सिफारिशों पर पूरी तहकीकात करने के बाद फौरन अमल किया जाय ।

इस मुल्क में हिन्दू, मुसलमान अथवा सिक्ख, ईसाई का सवाल नहीं है । इस मुल्क में सब से बड़ा सवाल है रोटी का । अगर हिन्दुस्तान के लोगों को सही तालीम दी जाय हमारी माशी हालत बेहतर की जाय तो मुझे उम्मीद है कि हिन्दुस्तान की आजादी पर कोई बाहर की ताकत या कोई अंदरूनी साजिश शबखूं नहीं मार सकती है । हिन्दुस्तान में रोशनी फैल चुकी है, सवेरा आया है और हमारे यहां अंधेरा नहीं आयेगा । कोई भी बुजदिल इस अंधेरे से फायदा उठा कर शबखूं नहीं मार सकता । इन चन्द अल्फाज़ के साथ मैं हिन्दुस्तान के सदर के खुतबे की ताईद करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री सम्पत ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इन संशोधनों को प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जायेगा ।

संशोधन	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त परिचय
३३	श्री सम्पत .	मलाया बर्मा में रहने वाले भारतीयों के लिये भारत आने के लिये यात्रा सुविधाओं का उल्लेख न किया जाना ।
३४	श्री सम्पत . .	मलाया और भारत के बीच चलने वाले पोतों की दयनीय दशा का उल्लेख न किया जाना ।
३५	श्री सम्पत .	भारत सरकार से उचित संरक्षण न मिलने के कारण हथकरघा उद्योग की असुरक्षा का उल्लेख न किया जाना ।
३६	श्री सम्पत . .	लंका में रहने वाले भारतीयों का उल्लेख न किया जाना

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त परिचय
३७	श्री सम्पत .	. मद्रास राज्य का नामकरण 'थामिज़नाडू' करने के बारे में किसी कार्यवाही का उल्लेख न किया जाना ।
३८	श्री सम्पत .	. अहिन्दी भाषा-भाषी जनता पर हिन्दी थोपी जाने की आशंका को दूर करने का उल्लेख न किया जाना ।
३९	श्री सम्पत .	. केन्द्र में शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करने या रोकने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया जाना ।
४०	श्री सम्पत .	. १९६२ के सामान्य चुनावों में कदाचार की वृद्धि और उस को रोकने में असफल रहने का कोई उल्लेख नहीं किया जाना ।
४१	श्री सम्पत .	. सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों में विषमता का कोई उल्लेख नहीं किया जाना ।
४२	श्री सम्पत .	. कीमतों को स्थिर रखने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख न किया जाना ।
४३	श्री सम्पत .	. अखिल भारतीय रेडियो द्वारा आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किये जाने पर 'थामिज़नाडू' की जनता के विरोध का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४४	श्री सम्पत .	. केवल हिन्दी के विकास के स्थान पर विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओ की प्रगति और विकास के लिये की गयी कार्य-वाही का उल्लेख नहीं किया जाना ।
४५	श्री सम्पत .	. सरकारी अधिकारियों की अनावश्यक रूप से विमान द्वारा यात्रा करने की प्रवृत्ति को रोकने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४६	श्री सम्पत .	. समस्त राष्ट्रीय भाषा की लिपियों में तार भेजने की सुविधाओं का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४७	श्री सम्पत .	ऐसे समाज सेवकों की जो अपनी मातृ भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते हैं उन की असुविधाओं को दूर करने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४८	श्री सम्पत .	न्यायपालिका पर कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकने का उल्लेख न किया जाना ।
४९	श्री सम्पत .	भारत की फ्रांसिसी बस्तियों का वैध हस्तांतरण में विलम्ब का उल्लेख न किया जाना ।
५०	श्री सम्पत .	विदेशों में भारतीय राजदूतावासों के द्वारा वहां रहने अथवा यात्रा करने वाले भारतीयों के प्रति नम्रता और सहायतापूर्ण बर्ताव के आश्वासन का कोई उल्लेख न किया जाना ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे सदन में बहस कर रहा हूं जिसके कि अधिकांश सदस्यों को और अधिकांश नहीं तो काफी सदस्य ऐसे होंगे जिन को कि जनता का विश्वास प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप के द्वारा पहला निवेदन सरकार से यह करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जब आगामी चुनाव सम्पन्न हो जायें तो उसके बाद पुरानी संसद् कोई भी कार्य न करे। अच्छा तो यह होगा कि चुनावों के वक्त ही सरकार ऐसा निर्णय कर ले कि वह पद से हटती है और फिर चुनावों के बाद दूसरी ही सरकार पद पर आयेगी। यदि हम इस तरीके की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हिन्दुस्तान के संविधान में यह एक अजीब सी बात लगा करेगी कि वे लोग जोकि जनता का विश्वास खो चुके हैं वह भी नीतियों पर बात कर रहे हैं। आज सबेरे जब वित मंत्री महोदय ने कुछ विधेयक प्रस्तुत किए तो इसी कारण मैंने यह जानना चाहा था कि क्या यह विधेयक इस वर्तमान संसद् द्वारा पास किये जाने हैं। मेरे विचार में इस संसद् द्वारा अब कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जोकि बहुत ही विस्तृत नीति से सम्बन्ध रखता हो। अब चूंकि यह संसद् बुला ली गई है इसलिए इसके द्वारा सिर्फ काम चलाऊ काम ही किये जायें कोई नीति सम्बन्धी काम इसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे चुनावों के सम्पन्न हो जाने के बाद पुरानी संसद् की कोई बैठक न हो और नई संसद् ही आकर इन सब मसलों पर विचार करे। जब मैं यह बात कहता हूं तो यह मानते हुए कहता हूं कि चूंकि मैं अपने मतदाताओं का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका हूं। इसलिए मैं आमतौर से नीति सम्बन्धी बातों पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। तथापि इसमें कुछ विवादास्पद बातें भी रखी गई हैं।

अभी राष्ट्रपति महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उस में कई चीजों की तरफ यद्यपि उन्होंने संकेत किया है लेकिन एक बड़ी खुशी उन्होंने जाहिर की है और वह यह कि इतना बड़ा मताधिकार शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय को उनकी सरकार ने शायद बिना किसी आधार के ही यह सलाह दी है।

अभी आज सुबह ही कानून मंत्री ने यह कहा कि चूंकि चुनावों में गड़बड़ियों के बारे में उन के पास कोई शिकायतें नहीं हैं इसलिए वह समझते हैं कि चुनाव बिलकुल सही ढंग से सम्पन्न हुए। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहना कि कोई शिकायतें नहीं हैं और उन के पास इस वक्त तक नहीं पहुंच पायी हैं इसलिए यह मान लेना कि चुनाव बिलकुल कायदे से हुए और कोई धांधलीबाजी नहीं हुई उचित बात नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनावों के दौरान बर्ती गई अनियमितताओं की तफसील में आज नहीं जाना चाहता था लेकिन चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावों के बारे में जो कहा गया उसके कारण मुझे यहां पर कुछ चुनावों में बर्ती गई अनियमितताओं आदि के बारे में निवेदन करना पड़ रहा है। यह मैं मानता हूं कि जो हो गया सो हो गया आखिर चुनाव हो चुके हैं और जनतंत्र में हमें अपनी आस्था रखनी है तो चुनावों के द्वारा जो लोग चुने गये हैं उन में विश्वास रखना है और सरकार को चलाना है। उसके बिना जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चुनावों के दौरान में जो प्रवृत्तियां उभरी हैं, जो कुछ कार्यवाहियां की गई हैं और जो कुछ कानून का उल्लंघन हुआ है वह मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान के फलते हुए जनतंत्र के लिए एक खतरा पैदा हो रहा है। उस के रहते जनतन्त्र सम्भवतः पनप नहीं सकता।

मैं उन चीजों की तरफ तफसील में नहीं जाना चाहता जिनका कि जिक्र मेरे मित्र श्री तारिक ने बड़े जोर शोर के साथ किया है लेकिन कोई इससे इंकार नहीं कर सकता कि हिन्दुस्तान में जातिवाद की भावना उभर रही है। हिन्दुस्तान के चुनावों में जातिवाद की भावनाओं को बहुत

बड़ा प्रश्रय मिला है । मजहबपरस्ती की भावना को बहुत बड़ा प्रश्रय मिला है । और कह नहीं सकते कि किन किन भावनाओं को प्रश्रय मिला है जिसके कि परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियां उभर रही हैं । यदि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं यदि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जनतंत्र फले फूले तो बिना किसी पार्टी के भेदभाव के हम सब को मिल कर यह सोचना पड़ेगा कि इन प्रवृत्तियों को उभार न मिले । इन प्रवृत्तियों की कांट छांट की जाय, इन को खत्म किया जाय और तभी हिन्दुस्तान का जनतंत्र पनप सकता है ।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह नई मतपत्रों की पद्धति बनाई गई थी उस वक्त भी मेरी यह आशंका थी कि इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है और मैंने अपनी उस आशंका को प्रकट भी किया था । मतपत्रों की नई पद्धति पर जो अमल हुआ उससे तो मैं बिलकुल एक तरह से भौंचक्का ही रह गया । इस बार दो बैलट पेपर्स मतदाता को दिये गये । एक तो विधान सभा के लिए था और दूसरा लोक सभा के लिए था । दोनों मतपत्र एक साथ ही मतदाता को दिये गये । हमने देखा कि इन मतपत्रों का किस प्रकार प्रयोग हुआ और गड़बड़ी की गई । मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता कि कहां किस अधिकारी ने खास किसी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में गड़बड़ी की । मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि कहीं अधिकारियों ने अर्थात् पोलिंग आफिसर्स ने किस तरह कांग्रेस पार्टी की रूलिंग पार्टी की सहायता की है । लेकिन इस तरह के उदाहरण पेश किये जा सकते हैं जहां पर पोलिंग के अधिकारियों ने मतपत्रों का दुरुपयोग किया । मतदाता को एक साथ दो मतपत्र दिये जाने थे । पहला मतपत्र जोकि विधान सभा के लिए था वह मतदाता ने बक्स में डाल दिया लेकिन दूसरा मत पत्र मतदाता को नहीं दिया गया और उसको पोलिंग अफसर ने खुद ही मुहर लगा कर बक्स में डाल दिया । अब जो हो गया सो हो गया । मैं नहीं कहता कि उसको यहां पलटा जा सकता है । ऐसे दो उदाहरण हैं जहां एक संसदीय क्षेत्र में १५००० पार्लियामेंट के बैलट पेपर्स अफसरान ने किसी खास उम्मीदवार के लिए अपने हाथ से डाले । अगर इस तरीके की पद्धति जारी रहती है तो मैं नहीं समझता कि कोई निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा । राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में कहते हैं कि चुनाव शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न हुए हैं लेकिन क्या संविधान में यह भी प्रक्रिया थी कि विधान सभा और लोक-सभा के लिए एक ही साथ चुनाव होने चाहिएं । मुझे तो शक होने लगा है कि कहीं विधान सभा और लोक-सभा के लिए एक ही साथ चुनाव करके हम संविधान की प्रक्रियाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं कहीं उन प्रक्रियाओं को तोड़ तो नहीं रहे हैं । एक ही साथ दो मतपत्रों का दिया जाना और उन मतपत्रों के दुरुपयोग की आशंका रहना यह बहुत ही गड़बड़ चीज़ है ऐसी सूरत में खास तौर से जबकि इस चुनाव में गड़बड़ हो चुकी है । मैं जोरदार शब्दों में सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करे कि क्या बैलट सिस्टम में मतपत्रों की पद्धति में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है । अगर और कोई परिवर्तन तुरन्त नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम यह एक परिवर्तन निहायत आवश्यक है कि विधान सभा और लोक सभा इन दोनों के मतपत्र एक साथ मत-दाताओं को न दिये जायें । हमारे मतदाता अभी इतने काबिल और हुशियार नहीं हैं कि वे इन मतपत्रों को नियमों के अनुसार ठीक तरीके से डाल सकें । पहले उन को एक मतपत्र दिया जाता था । वे जाते थे और डाल देते थे । अब दोनों मतपत्र एक साथ दिये जाते हैं । इस स्थिति में अगर पोलिंग आफ़िसर की कुछ करने की नीयत हुई, तो उस ने दूसरा मतपत्र दिया ही नहीं और बहुत से मत-दाता अपनी इच्छानुसार उस का प्रयोग नहीं कर सके । ये सब बातें देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि ये चुनाव निष्पक्ष हुए ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां मतपत्र दिये जाते थे, वहां कैंडीडेट के एजेन्ट भी मौजूद होते थे ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने स्वयं इसे देखा है। पहले लोगों को एक पर्चा दिया जाता था जब उस पर निशान लगा दिया जाता था और उसे बक्से में डाल दिया जाता था तो उन्हें दूसरा पर्चा दिया जाता था। उस पर भी निशान लगाया जाता था और बक्से में डाल दिया जाता था।

श्री ब्रज राज सिंह : यह तरीका भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न तरीके से काम में लाया गया। कई बार दूसरा पर्चा दिया ही नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि वहां पर एजेन्ट भी तो रहे होंगे। यह सही है कि वहां पर एजेन्ट रहने चाहियें। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इस बात की गारण्टी कर सकती है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कम से कम मुझे बीसियों संसदीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में मालूम है, जहां पोलिंग एजेन्ट्स के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन को कह दिया गया कि हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, आप चाहें, तो यहां पर खड़े रह सकते हैं, या फिर बाहर खड़े हो सकते हैं। आखिर आठ घंटे तक कौन व्यक्ति खड़ा रह सकता है। इस का नतीजा यह हुआ कि पोलिंग एजेन्ट्स को तो मजबूर हो कर बाहर ठहरना पड़ा और उन की अनुपस्थिति में पोलिंग आफ़िसर्ज़ ने इस तरह की गड़बड़ियां कीं।

श्री मोरारजी देसाई : बाहर कैसे खड़े रहे?

श्री ब्रज राज सिंह : वे बाहर खड़े रहे, बैठे रहे या किसी दूसरे काम मे लगे रहे। क्या किसी पोलिंग एजेन्ट से यह आशा की जा सकती है कि वह आठ घंटे तक वहां पर खड़ा रहे। श्री जवाहरलाल नेहरू के पोलिंग एजेन्ट श्री मोरारजी देसाई, किसी एक छोटे अफ़सर की मौजूदगी में आठ घंटे तक वहां पर खड़े रहें, क्या यह सम्भव हो सकता है?

पोलिंग एजेन्ट्स के बैठने वग़ैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जोकि नहीं की गई और इस वजह से निष्पक्ष चुनावों में बाधा पड़ी। यह बात सिर्फ़ मैं ही नहीं कह रहा हूं। देश के वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने भी मत-पत्र डालते वक्त इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट किया था। मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन इस को साफ किया जा सकता है कि इस तरह की बात है या नहीं। लेकिन यह निर्विवाद है कि इस तरह की बैलट पद्धति में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी मंशा है, जो हमारा उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। आखिर हम यही चाहते हैं कि वोटर अपनी राय का सही इस्तेमाल कर सकें। मैं समझता हूं कि यह कोई नहीं चाहता कि उस की राय का सही इस्तेमाल न हो। इस उद्देश्य को पूरा करने का कोई उपाय किया जाना चाहिए।

इस के अलावा यह भी देखा गया कि हर क्षेत्र में आम तौर से पांच फ़ीसदी वोट खारिज कर दिये गये। जिस पद्धति में पांच फीसदी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग ही न कर सकें, उस पद्धति में सुधार करने के विषय में कोई मत-भेद नहीं होना चाहिए। पहले तो पचास फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और जिन्होंने वोट दिया, उन में से पांच फीसदी मत-दाताओं के मत ही खत्म हो गये और उन का इस्तेमाल न हो सका। जिस पद्धति मे पांच फीसदी मत न पड़ सकें, उस के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि उस के द्वारा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो सकते हैं?

यही नहीं, प्रान्तीय सरकारों और ज़िलों के चुनाव अफ़सरों के पास अन्तिम समय तक इस बात का हिसाब नहीं था कि कितने मत पत्र छापे गये। इस के अलावा बैलट-पेपर्ज़ पर किसी का नाम

[श्री ब्रजराज सिंह]

और निशान नहीं था। फिर भी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि ये चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से, एक व्यवस्थित रूप से और संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार सम्पन्न हुए। मैं कहूंगा कि यह उचित कथन नहीं है। मैं जनतंत्र में बहुत ही गहरी आस्था रखने वाला हूं। इस लिए इन बातों पर ज्यादा हो-हल्ला न मचाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि ये बातें ग़लत हैं, तो वह एक उच्च-सत्ता-प्राप्त आयोग की स्थापना करे, जो पिछले चुनावों की इर्रेगुलेरिटीज़, अनियमितताओं की जांच-पड़ताल करे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस का राजनीति के सम्बन्ध हो। उस आयोग में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हों और वे इन सब बातों की जांच करें। इस बात का पता लगाने की आवश्यकता है कि जो बैलट-पेपर छापे गये, क्या उन का पूरा हिसाब था और क्या उन पर कैंडीडेट्स के नाम और निशान पूरे थे या आधे। अपने मामले में मैं जानता हूं कि बैलट पेपर पर मेरा नाम "ब्रजराज" रखा गया और उस पर पूरा निशान नहीं छापा गया। अलीगढ़ का पोलिंग आफ़िसर रिपोर्ट करता है कि बैलट-पेपर्ज़ पर नाम और निशान नहीं था। इन सब अनियमितताओं का चुनाव पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस लिए हिन्दुस्तान में जनतंत्र को मज़बूत करने के लिए और देश की जनता की जनतंत्र पर आस्था मज़बूत बनाने के लिए इन बातों की जांच की जानी चाहिए, ताकि कम से कम भविष्य में ये अनियमितताएं खत्म की जा सकें और देश का हर एक मत-दाता अपने मत का प्रयोग कर सके।

इस प्रकार के समाचार भी मिले हैं कि पोलिंग आफ़िसर ने मत-दाताओं को कहा कि एक ही पर निशान लगा दो और दूसरा मत-पत्र अपने पास रख लिया। इस प्रकार एक एक क्षेत्र मे हजारों ऐसे बैलट-पेपर निकले, जिन में मत-दाताओं ने दो स्थानों पर अपना निशान लगा रखा था। ऐसा इस मतलब से जान-बूझ कर किया गया कि इस प्रकार बहुत से मत-पत्र नष्ट हो जाने से किसी खास उम्मीदवार को फ़ायदा हो सकता था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विषय में किसी खास पार्टी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं, हालांकि अगर मैं चाहूं तो एक पार्टी पर लांछन लगा भी सकता हूं। आखिर हम सब जनतंत्र पर आस्था रखते हैं और देश में जनतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं। इस लिए सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर के एक उच्च-सत्ता-प्राप्त आयोग की स्थापना करे, जो कि पिछले आम चुनावों में हुई अनियमितताओं और चुनावों पर पड़े उन के प्रभाव की जांच करे और यह भी पता लगाए कि इतनी लम्बी चौड़ी परसेंटेज, पांच फीसदी वोट खारिज क्यों किये गये और भविष्य के लिए उचित उपाय सुझाए।

मैं तो इस विचार का हो गया हूं कि यह पद्धति त्रुटिपूर्ण है और इस में परिवर्तन करना चाहिए। या तो पुरानी पद्धति पर वापिस जाना चाहिए और अगर यही पद्धति रखनी है, तो दो मत-पत्र तो निश्चित रूप से मत-दाता को एक साथ न दिये जायें, क्योंकि पोलिंग आफिसर इस व्यवस्था का नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम यह सुझाव तो ऐसा है, जिस को मानने में सरकार और इलैक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस से किसी को हानि नहीं होगी, बल्कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलेगी।

मुझे खेद है कि मैं चुनावों के बारे में इतना कुछ कह गया, हालांकि यह मेरी इच्छा नहीं थी। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में ऐसी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, जो कि जनतंत्र के लिए खतरनाक हैं। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, इस लिए श्री तारिक या अन्य भावुक मित्र मेरी बात का बुरा न मानें। आज स्थिति यह है कि देश भर में कोई समाजवाद, पार्टी या संगठन नहीं रह गया। केवल एक संगठन रह गया है, जो कि जाति और मज़हब पर आधारित है। चुनाव

किसी विचार-धारा के आधार पर नहीं, बल्कि जाति और मज़हब की बिना पर लड़े गये हैं। वर्ना कोई कारण नहीं हो सकता कि जो संगठन चुनाव के एक दिन पहले खड़े हुए, वे असेम्बली और संसद् की कई सीटें छीन ले गये और जो लोग ज़िन्दगी भर काम करते रहे, उन की ज़मानत ज़ब्त हो गई। इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि मुल्क के बाडी पालिटिक में, सियासी ज़िन्दगी में जो यह नई प्रवृत्ति, टेंडेंसी, पैदा हो गई है, उस को कैसे खत्म किया जा सकता है और जनतंत्र को कैसे सफल बनाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यातायात और कोयले की सप्लाई के कुछ संकट का ज़िक्र भी किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये संकट ऐसे हैं, जिन का भविष्य में देश के उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम संसद् के पिछले कई अधिवेशनों में इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं और उस के फलस्वरूप इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि मुग़लसराय से ऊपर के हिस्से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, के लिए दो सौ गाड़ी कोयला प्रति-दिन ढोया जायेगा। लेकिन उस आश्वासन के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। मुग़लसराय से ऊपर के हिस्से की, उत्तर भारत की, इंडस्ट्रीज़ के लिए कोयला कहीं एक-तिहाई और कहीं आधा काट दिया गया है और उन का चलना मुश्किल हो रहा है। न सिर्फ इससे निर्माण कार्यों मे रुकावट पड़ती है बल्कि प्रगति आम तौर से रुक जाती है। इसका एक नतीजा यह भी होता है कि जो मजदूर हैं, उनको बेकार रहना पड़ता है। इस तरह से हमारी जो योजना है उसका जो फल है, वह हम को प्राप्त नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार कोई इस तरह के कदम उठाये जिससे कि कोयले के यातायात और सप्लाई के सम्बन्ध में जो संकट पैदा हो रहा है, उसको दूर किया जा सके। कोयला एक ऐसी चीज़ है जिस के बिना न तो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है रोटी पकाई जा सकती है और न ही देहातों में ईंट पकाई जा सकती है जिससे कुएं बनेंगे, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे तथा दूसरी और बहुत सी चीज़ें बनेंगी। इस वास्ते यह निहायत आवश्यक है कि कोयले की सप्लाई और यातायात के सम्बन्ध में सरकार कोई ऐसी नीति अपनाए जिससे भविष्य में कोयले का संकट पैदा न हो।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कही गई है कि साढ़े तीन करोड़ डालर का एक ऋण कोयला उद्योग के विकास के लिए मिल रहा है जिसका उपयोग प्राइवेट उद्योग के काम में आएगा, जिसको प्राइवेट उद्योग अपनी खदानों के विकास के काम मे लाएगा। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि १९५६ के इण्डस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में जहां कुछ और चीज़ों का जिक्र किया गया है वहां यह भी कहा गया है कि उन चीज़ों में कोयला भी एक वह चीज़ होगा जिसका विकास सिर्फ पब्लिक सैक्टर मे होगा, जो प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। अब जबकि साढ़े तीन करोड़ डालर का ऋण प्राइवेट उद्योग को दिया जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव का सही पालन है? उस प्रस्ताव के विरुद्ध जाकर साढ़े तीन करोड़ डालर का ऋण प्राइवेट उद्योग को हिन्दुस्तान के कोयला उत्पादन के लिये दिया जा रहा है। यह ऋण हिन्दुस्तान की सरकार की स्वीकृति पर दिया जा रहा है। इस तरह से अगर आप लगातार प्राइवेट उद्योग को कोयला क्षेत्र में सुविधायें देते रहेंगे तो कभी भी कम से कम जहां तक कोयले की सप्लाई का सम्बन्ध है, उसमें संकट पैदा होने का सम्बन्ध है, उसे दूर नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्राइवेट उद्योग कोयले के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है जिसमें कि हिन्दुस्तान के कोयले का पब्लिक सैक्टर आगे न बढ़ सके और अगर वह बढ़ता है तो उससे उसका जो मुनाफा है वह कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और देखे कि अमरीका साढ़े तीन करोड़ डालर का ऋण प्राइवेट सैक्टर को न देकर पब्लिक सैक्टर के लिए दे और उसी के लिये इसका प्रयोग हो ताकि कोयले की समस्या अच्छी तरह से हल हो सके

[श्री ब्रजराज सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो दो मिनट मे एक और बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा और वह पंचायती राज के सम्बन्ध में है। पंचायती राज का भी इस अभिभाषण में कुछ जिक्र किया गया है। पंचायती राज फले फूले, सफल हो यह हर कोई जनतन्त्रवादी व्यक्ति चाहेगा और अगर ऐसा होता है तो इससे और बड़ी खुशी उसका नहीं हो सकती है। हम कितने ही सालों से इसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं लेकिन इतना होने पर भी पंचायती राज जिस शक्ल में राज्यों में जाना चाहिए नहीं जा रहा है। सुना जाता है कि कुछ राज्यों में जिस शक्ल में यह आगे बढ़ना चाहिए आगे बढ़ा है यानी जो हम यह चाहते हैं कि अधिकारियों का कोई दखल न हो, उस शक्ल में बढ़ा है। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी अधिकारी लोग अफसर बने हुए हैं और जो लोग चुन कर जाते हैं जिला परिषद् के अध्यक्ष या दूसरे उसके सदस्य, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी कोई अच्छी नीति अपनाई जाए, सही नीति अपनाई जाए और पंचायती राज को सही मानों में लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश किया जाए, सलाह दी जाए कि वे चुने हुए व्यक्तियों की क्या हैसियत है, इसका आदर करें और अधिकारी लोग दखल न दें और अधिकारियों की जो तानाशाही चलती है, उसको खत्म किया जाए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हिन्दुस्तान की परिस्थिति को जिस शक्ल में हम देखने की इच्छा रखते थे उस शक्ल में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया गया है, यह अफसोस की ही बात है। हिन्दुस्तान की जनता के सामने सही तस्वीर इससे सामने नहीं आती है। इस पर कोई भी हिन्दुस्तान का आदमी राष्ट्रपति को धन्यवाद नहीं दे सकता और मैं भी धन्यवाद नहीं दे सकता हूं।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं चाहता हूं कि चीन के साथ हमारे सीमा सम्बन्धी विवाद का मामला रूस को मध्यस्थ बना कर उसे सौंप दिया जाये मैं चाहता हूं कि चीन के साथ हमारी राजनैतिक सुलह हो जाये। मैं नहीं चाहता कि चीन और रूस में कोई सन्धि हो क्योंकि यदि ऐसा होगा तो सारा एशिया रूस और चीन के प्रभाव क्षेत्रों के बीच विभाजित हो जायेगा।

यदि भारत और चीन के बीच सुलह नहीं हो सकी तो यह भी सम्भव है कि चीन अमेरिका से गठबन्धन स्थापित कर लेगा ऐसी अवस्था में रूस को भारत या चीन में से एक के साथ सन्धि करनी होगी। जो लोग चीन के विरुद्ध हैं वे चीन को विवश कर रहे हैं कि वह रूस के अथवा अमेरिका के साथ मिल जाये या दोनों के साथ मिल जाये। चीन से मित्रता की नीति को अपनाने से ही उस देश को इन दो देशों के साथ मिल जाने से रोका जा सकता है।

भारत व चीन की मित्रता से सारा विश्व एक ही राजनीतिक एकक में प्रजातन्त्र के आधार पर संगठित हो जायेगा।

हमें चीन के साथ अपनी मित्रता बढ़ा देनी चाहिये तथा पाकिस्तान से मित्रता करने के बारे में अपनी शक्ति का विनाश नहीं करना चाहिये। भारत चीन से मित्रता करके रूस और अमेरिका को अपने इरादों से रोका जा सकेगा।

पाकिस्तान भारत के साथ तब तक समझौता नहीं करेगा जब तक उसको काश्मीर न दे दिया जाय। उस देश के साथ राजनैतिक समझौता न तो सम्भव है न वांछनीय है।

अन्तर्राष्ट्रीय जटिल राजनैतिक समस्याओं का एकमात्र हल यह है कि राष्ट्रसंघ को एक विश्व सरकार में बदल दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके लिये एक अनिवार्य शर्त यह है कि तटस्थ राज्य अपने अपने रक्षा विभागों को राष्ट्र संघ को सौंप दें ।

†**श्री सम्पत्** (नामक्कल) : अपने अभिभाषण मे राष्ट्रपति ने पृष्ठ ८ पर कहा है कि चुनाव के परिणाम स्वरूप मेरी सरकार को अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीतियों के प्रति विशेष विश्वास प्राप्त हुआ है । मेरे विचार से सरकार और दल में अन्तर है अतः सरकार को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे विवादास्पद शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

केन्द्र ने अभी तक मद्रास राज्य का तमिलनाद नाम रखने के सम्बन्ध में निश्चय नहीं किया है । आश्चर्य की बात यह है कि राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर यह बात स्वीकार कर ली है । दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है ।

इसके अतिरिक्त तामिल भाषी लोगों के मन में ऐसा संशय है कि केन्द्र प्रत्येक अवस्था में उन पर हिन्दी थोपना चाहता है । तिरुची का रेडियो स्टेशन पहिले बनोली शब्द का प्रयोग कर रहा था तब अकस्मात वह आकाशवाणी शब्द का प्रयोग करने लगा इससे लोगों के मन मे विरोध पैदा हो गया और कई लोगों ने यह फैसला किया है कि वे रेडियो लायसेंस फीस नहीं देंगे । यह मामला बहुत गम्भीर रूप धारण कर सकता है अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में बहुत सावधान रहें ।

इसके अतिरिक्त कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के कुछ गम्भीर मामले सामने आये हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आयु के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है । इस प्रकार की बातों से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप होता है ।

चुनाव सम्बन्धी वर्तमान विधान में जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाये जिससे पिछले चुनावों में जो कदाचार देखने मे आये हैं वे पुनः न हो सकें । ये सुझाव सत्तारूढ़ दल चुनावों से पहले पद त्याग करे, स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय : मैं राष्ट्रपति जी को उनकी भावनाओं के लिए, विशेष कर जो उन्होंने उन सदस्यों के प्रति प्रगट की हैं जो कि अब सदस्य नहीं रहे हैं धन्यवाद देता हूं । मैं उनकी नसीहत के लिये भी आभारी हूं क्योंकि वे एक परम्परा के प्रतिनिधि हैं ।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

मैं आपका ध्यान अनुच्छेद ८३(२) की ओर दिलाता हूं जिसके अनुसार पांच साल का समय पहली बैठक के पहले दिन से गिना जाएगा ।अब लोक-सभा ३० या ३१ मार्च को विघटित हो रही है । जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं वे तो वेतन प्राप्त करते रहेंगे परन्तु सदस्यों की असुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसकी जांच होनी चाहिए । भविष्य में साधारण चुनावों के बाद लोक-सभा का सत्र नहीं होना चाहिए ।

हमारा रेलवे पास और परिचय पत्र––मई, ६२ तक है । अब इस सम्बन्ध में नयी सूचना जारी होने वाली है । इस हमारे कार्यक्रम में असुविधा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सामन्त सिंहार]

लेखानुदान जो कि साधारण आय-व्यय के विवरण का भाग है नए प्रतिनिधियों द्वारा पारित होना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में योजना के विषय में जिक्र है। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर यहां विचार हुआ। परन्तु जो आलोचना हुई, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। योजना आयोग ने ऐसी योजना तैयार की है जो कि समाजवादी ढांचे का समाज बनाने की व्यवस्था नहीं करता। प्रादेशिक विषमतायें और विकास सम्बन्धी विषमतायें प्रत्येक स्थान में हैं।

तृतीय योजना में कुटीर उद्योगों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमें कृषक की अतिरिक्त आमदनी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह कुटीर उद्योगों से ही हो सकती। बेरोज़गारी जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या से बढ़ रही है कुटीर उद्योगों की सहायता से ही दूर हो सकती है।

उड़ीसा पर बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है तथा इसका वर्णन अभिभाषण में होना चाहिए था। बाढ़, अनावृष्टि तथा अग्नि की जो दुर्घटनाएं उड़ीसा में होती हैं उनका सामना करने के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए। पहले बाढ़ कम आती थीं। हीराकुण्ड बांध बनने से अधिक बाढ़ आनी आरम्भ हो गई हैं। पहले बाढ़ों से प्राकृतिक खाद मिल जाती थी, अब रेत मिलती है।

दुर्गापुर और भिलाई संयंत्रों में नौकरियों के लिये उन राज्यों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो उन राज्यों के हैं। उड़ीसा के लोगों को रूरकेला संयंत्र में प्राथमिकता नहीं दी जाती। यह मिलनी चाहिए।

आयात तथा निर्यात के लाइसेंस को केवल पुराने उपक्रमों को दिये जाने की जो प्रथा है, उस को बदल देना चाहिये। इस विशेषाधिकार की प्रथा से पिछड़े हुए राज्य पिछड़े रहेंगे।

लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय कलकत्ता में नहीं रहना चाहिये। अब संचार प्रणाली विकसित हो गयी है इसलिये कार्यालयों को देश के विभिन्न भागों में रखना चाहिये ताकि उन क्षेत्रों के लोगों को नौकरी मिले और उन के विचारों में व्यापकता आये।

पंचायतों में सरपंच और नायब सरपंच इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी हों। यह दृष्टिकोण बदलना चाहिये। पंचायतों की आय बढ़ानी चाहिये। लगान और जंगलों आदि की व्यवस्था उन्हें सौंप देनी चाहिये।

उड़ीसा में बहुत एसे से स्कूल हैं जिन में अध्यापक और फर्नीचर नहीं हैं। इस बारे में जांच पड़ताल की जाये। केवल कानून पास करने से काम नहीं चलेगा। पाठ्य पुस्तकों में जो बार बार परिवर्तन किया जाता है उस को टाला जाना चाहिये।

स्वास्थ्य प्रोग्राम के लिये योजना आयोग ने पर्याप्त रुपयों की व्यवस्था नहीं की है। इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार उड़ीसा के लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये पूरी पूरी सहायता दे। वहां पर सिंचाई के लिये तालाबों से पानी लेने पर उपकर लगाये जा रहे हैं। यह उचित नहीं है।

उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती हैं। उड़ीसा को और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तिलचर से रूरकेला तक रेलवे लाइन की व्यवस्था की जाये।

महाराजाओं की निजी थैलियां कम करने का प्रस्ताव है। इस से पूर्व बड़े बड़े उद्योगपतियों पर नियंत्रण करना चाहिये, अपितु उद्योगपतियों की सरकार बन जायेगी।

चुनावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। चुनावों में बहुत रुपया खर्च होता है। यदि इसे रोका न गया तो लोकतन्त्र सफल नहीं होगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): मैं राष्ट्रपति जी को उन की शुभकामनाओं के लिये धन्यवाद देता हूं। भगवान उनको दीर्घायु करे।

यह कथन ठीक है कि हाल के आम चुनावों के परिणाम इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने शासक दल में अपने विश्वास को पुष्टि की है क्योंकि जितने मत पड़े हैं उन के केवल ४५ प्रतिशत मत उन को मिले हैं। यह तथ्य कि बहुमत के मतदाताओं ने शासक दल के विरुद्ध मत दिये हैं इस बात का संकेत है कि जनता सरकार के पीछे नहीं है।

यदि यह सचाई और ईमानदारी से देखा जाये कि क्या निर्वाचनों में हम ने वे साधन अपनाये जो कि लोकतन्त्रात्मक और संविधान के अनुसार थे, पता चलेगा कि चुनावों में अनेक अनुचित तरीके अपनाये गये, जैसे जातीय, प्रादेशिक एवं भाषा सम्बन्धी भावनाओं को उभाड़ना। क्या प्रधान मंत्री जी इस विषय में सच्ची बात कहेंगे। उन के दल ने अधिकतर अशोभनीय बातें कीं। चुनावों में धन के प्रभाव ने समस्त निर्वाचन प्रणाली को दूषित कर दिया है। मतदाताओं को फुसलाने के लिये खूब रुपये पैसे का प्रयोग हुआ। मुझे बाकी राज्यों का तो पता नहीं। कम से कम उड़ीसा में ऐसा हुआ। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि १९ संसद् की सीटों के लिये १२ लाख रुपये खर्च किये गये। क्या साधारण व्यक्ति कभी निर्वाचन लड़ने की सोच सकता है।

शासक दल द्वारा सरकार के यंत्र का प्रयोग निर्वाचन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री जी गये। यह कहा गया कि परदीप पत्तन का शिला-न्यास करने प्रधान मंत्री जी आयेंगे, हालांकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखने से पता चला कि वे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों कामों के लिये आयेंगे। बजाय पत्तन का शिलान्यास करने के प्रधान मंत्री जी ने उन की परदीप यात्रा की याद के लिये शिलान्यास रखा गया। प्रधान मंत्री जी ने तीन सभाओं में भाषण दिये। सरकारी व्यवस्था का प्रयोग किया गया।

†**इस्पात खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: दल की व्यवस्था का प्रयोग किया गया, सरकारी व्यवस्था का नहीं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: कुछ तथ्य हैं जो मेरे कई मित्रों को अच्छे नहीं लगेंगे।

उड़ीसा में पंचायतों को शासक दल के पक्ष में मत देने के लिये यह कह कर धमकी दी गयी कि वे कांग्रेस दल को मत दें अन्यथा उन के क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं किया जायेगा। बंगाल के विषय में भी सुना है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य-उपमन्त्री (डा० म० मो० दास): यह झूठ है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: जनता अब जागरूक होती जा रही है। वे विकास की ओर बहुत ध्यान देते हैं परन्तु कांग्रेस ने तो यह कह कर वोट लिये कि कांग्रेस को वोट दो अन्यथा तुम्हारा भविष्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

उज्जवल नहीं रहेगा। सरकारी व्यवस्था के प्रयोग, बहुत धन खर्च किये जाने और चुनावों के सम्बन्ध में अन्य मामलों की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। इतने भ्रष्टाचार होते हुए भी यदि चुनाव शान्तिमय ढंग से हुए तो बधाई की पात्र जनता है, चुनाव आयोग नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में चीन से सम्बन्धों के बारे में कहा गया है। चीन ने हमारे राज्य क्षेत्र से हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। क्या अभिभाषण में प्रयुक्त "नीति परिवर्तन" शब्दों का तात्पर्य चीन द्वारा हमारे राज्य क्षेत्र को खाली किया जाना है।

काश्मीर का प्रश्न हल करने के लिये यदि हम पाकिस्तान से सीधी बातचीत करना उचित समझते हैं तो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र से वापस ले लेना चाहिये।

यह खुशी की बात है कि भूतान में हम सड़कें बनाने के लिये सहायता कर रहे हैं।

नेपाल में जो हो रहा है वह चिन्ताजनक है। वहां लोकतन्त्र की जो हत्या हुई है उस का हमारे ऊपर प्रभाव होगा। हमें विश्व में प्रचार करना चाहिये कि नेपाल को अपने देश में प्रजातन्त्र की पुनर्स्थापना करने के लिये बाध्य होना पड़े।

कृषि के क्षेत्र में प्रगति, जिस का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है संदिग्ध है क्योंकि भूमि सुधार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और १९५७ में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार कृषि पदार्थों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री पहाडिया (सवाई माधोपुर रक्षित अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद् के दोनो सदनों के सामने अपना जो भाषण दिया उस में जहां उन्होंने एक तरफ देश में हुई प्रगति के बारे में कुछ प्रकाश डाला वहां दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के आने वाले भविष्य का कुछ नक्शा भी हमारे सामने पेश किया। यह बात अपनी जगह सही है कि उन का राष्ट्रपति काल हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ और हिन्दुस्तान के विकास का प्रारम्भ उन के राष्ट्रपति काल में हुआ। देश कि सरकार ने, जो कि संविधान के तहत उन की सरकार कहलाती है, कुछ अच्छे काम किये। उन को देश की जनता याद रक्खेगी। इस के लिये हम उनको और उनकी सरकार को धन्यवाद देते हैं, न केवल अपनी तरफ से बल्कि इस देश के रहने वाले लोगों की तरफ से।

कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जिन को कहना केवल रोना कहा जायेगा, लेकिन हम अपने को उन बातों से अलग नहीं रख सकते। यहां पर पिछले आम चुनावों की काफी चर्चा हुई। वहां पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद के बारे में कहा गया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल आप के जरिये से अपने कानून मंत्री जी और इस सदन से सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि हमारे इस चुनाव का जो तर्क था वह सही था, मैं नहीं कहता कि वह गलत था, क्योंकि वह हम सब लोगों की राय से तय हुआ था, लेकिन पिछले आम चुनावों का तजुर्बा इस बात को कहता है कि संसद् और असेम्बलियों का चुनाव एक साथ होना कम से कम ठीक नहीं है क्योंकि मतदाता इस बात को नहीं जानता कि वह किस को वोट देने जा रहा है। कुछ पार्टियों के लोग, कुछ गिने चुने राजनीतिक कार्यकर्ता, मतदाताओं के सामने जाते हैं और कहीं किसी पार्टी के नाम पर और कहीं किसी योजना और प्रोग्राम के नाम पर वोट मांगते हैं। इस के साथ साथ जातिवाद या सम्प्रदायवाद भी अपना मुंह ले कर सामने आ जाता है। जिन व्यक्तियों की बिरादरी बहुत छोटी है, बदकिस्मती से जो संख्या में बहुत कम हैं, उन का तो इस चुनाव में लड़ना रहा नहीं, और जिन लोगों के पास पैसा कम है उन का तो इस के बारे में सोचना भी गलत है। जो भी हो हम क तरीका अख्तयार किया है, मैं उस तरीके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

जब पार्लियामेंट और असेम्बलियों के चुनाव साथ साथ होते हैं तो सारे लोकल झगड़े, जिन का पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं, सारे मसले और सारी बातें जिन का पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं, चुनाव के साथ घसीटे जाते ह और असेम्बली के उम्मीदवारों के साथ साथ वह नजला सारे का सारा पार्लियामेंट के उम्मीदवारों पर भी उतरता है। यह मेरे साथ ही नहीं गुजरा, सब के साथ गुजरता है। लेकिन यह बात गलत है और नहीं होनी चाहिये। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से कि किसी गांव में सफाई हुई या नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं कि किसी गांव में सड़क बनी या नहीं, किसी गांव में पंचायतें ठीक तरह से काँम करती हैं या नहीं करती हैं। पंचायतों को ले कर गांवों में दो गुरूप्स हो जाते हैं, तो उस से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता हूं और मेरे साथ ही असेम्बली का भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। यह सही है कि देश में प्रजातन्त्र की नींव को कायम रखने के लिये पार्टियों का होना जरूरी है। मेरे साथ किसी पार्टी का कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो जाहिर है कि उसने जो कुछ किया है उसको ध्यान में रख कर मतदाता उसके पक्ष में अपनी राय जाहिर करेंगे वोट दे कर, लेकिन उसका नजला मेरे ऊपर भी गिरेगा। इस लिये मेरे ख्याल से यह सही नहीं है और उसको बदलना चाहिये, और असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव अलग अलग होने चाहियें, ऐसा मेरा निवेदन है। लेकिन अगर यह संभव नहीं है किसी वजह से, आप यह दलील दे सकते हैं कि आपको चुनाव की व्यवस्था अलग से करनी पड़ जायेगी और इस से आप को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो कम से कम मैं तो इस दलील से सन्तुष्ट नहीं हूं। लेकिन सन्तुष्ट न होते हुए भी आप से कहना चाहूंगा कि अगर आप अलग अल चुनाव नहीं करा सकते तो मेहरवानी कर के डब्बे तो अलग-अलग रखवा दीजिये। हमारे विरोधी भाई ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को दो पर्चे एक साथ दिये गये और मैं इस बात से सहमत हूं। और जगह हुआ हो या न हुआ हो लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्रमें ऐसा हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि जो वोट असेम्बली के मेंबर को पड़े वही पार्लियामेंट के मेंबर को पड़े। जाहिर है कि मैं एक पार्टी का उम्मीदवार था और वह वोट मेरे लिए पड़ने चाहिए थे। लेकिन मतदाताओं का दिमाग अलग अलग होता है। वह असेम्बली में किसी को चुनना चाहता है लेकिन सम्भव है कि पार्लियामेंट के लिये किसी दूसरे को चुनना चाहता हो। लेकिन दोनों पर्चे एक साथ पड़ने से जो मत पार्लियामेंट के उम्मीदवार को मिलने चाहिये थे वे नहीं मिले। असेम्बली क्या चीज़ है यह मतदाता जानता है, जो उम्मीदवार सामने खड़े हैं उनमें से किस को हराना है और किस को जिताना है इसे वह जानता है। वह जानता है कि जो उम्मीदवार सामने खडा है उस का क्या सहयोग गांव में कुओं खुदवाने में रहा है, या उस ने लड़के को नौकरी दिलवाने में क्या मदद की। अगर उस ने मदद नहीं की तो वह उस को मत नही देगा। वह जिस तरह वहां पर मत देगा अगर पार्लियामेंट का उम्मीदवार भी साथ में खड़ा है तो उस पर भी इस का असर पड़ेगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि अगर आप अलग-अलग मतदान नहीं करवा सकते तो कम से कम बैलट बाक्सेज अलग रक्खे जाने चाहियें और पर्चियां अलग रहनी चाहियें।

इस के अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि खर्च के बारे में एक निश्चित व्यवस्था की गई है कि उम्मीदवार किस सीमा से आगे अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकेगा। लेकिन यह बात अपन आप में सही है और इस की जांच करने की जरूरत नहीं है कि जितने खर्च की व्यवस्था है, अधिकांश लोग——कुछ व्यक्ति ऐसे ज़रूर हैं, जो निश्चित सीमा में अपना खर्च करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों——सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि वह व्यवस्था ऐसी है कि इस में ज्यादा पैसा खर्च होना लाज़िमी है। मैं समझता हूं कि दूसरी व्यवस्था में इस का चैक हो सकता है, लेकिन इस व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिये या तो कोई कमीशन या कमेटी नियुक्त की जाये, या कानून मंत्री इस मामले को हाथ में लें और अगर इस सदन में इस पर विचार किया जा सकता हो, तो ऐसा किया जाना चाहिए।

[श्री पहाड़िया]

यह एक विचारणीय बात है कि असेम्बली का एक मेम्बर, जिस को कुल मिला कर साल में पंद्रह हज़ार रुपये मिलने हैं, पचत्तहर हज़ार रुपये—या बीस हज़ार रुपये भी—खर्च करता है, तो वह पैसा कहां से आता है। आज सब तरफ़ इस बात की चर्चा है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट या असेम्बली का चुनाव लड़ना चाहते हैं और निश्चित सीमा से अधिक खर्च कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन इस के बावजूद वे करप्ट न हों। लेकिन जब अधिकांश व्यक्ति, जिनके पास पैसा नहीं है, कर्ज ले कर चुनाव लड़ते हैं और जितना उन को मिलता है, उस से दुगना तिगुना खर्च करते हैं, तो स्वभावत: दिमाग़ में यह बात आती है कि वह पैसा कहां से लायेंगे।

मैं मानता हूं कि पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को खर्च देती हैं, लेकिन वह भी हर एक के लिए सम्भव नहीं है। इस लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए और या तो खर्च के विषय में खुली छूट होनी चाहिए और या खर्च की सीमा पर चैकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

हम ने अपने देश में पंचायत राज की व्यवस्था स्थापित की। पंचायत राज देश में आये, इस से हम सब तरह से सहमत हैं। यह गांधीजी का नारा था और यह संविधान की व्यवस्था भी है। लेकिन पंचायतें कैसे चलें, उन के चुनाव का तरीका और चलने का ढंग क्या हो, यह स्पष्ट होना चाहिए। क्या वे विकास का काम करें, या सारे गांव की व्यवस्था उनको दे दी जाये ? जिन लोगों को हम विधान के द्वारा सत्ता में आने से रोकते हैं, जिन को गुंडे, लुच्चे और बेईमान कहा जाता है, वे गांव का सरपंच बन कर या पंचायत समिति का प्रधान बन कर गांव का सारा काम चलाते हैं और सारे अधिकार उनके हाथ में होते हैं। वे गांव के आफ़िसर के खिलाफ़ कान्फ़िडेंशल रिपोर्ट लिखते हैं। जब पुलिस के कर्मचारी उन लोगों की गलत प्रवृत्तियों के खिलाफ़ कार्य-वाही करना चाहते हैं, उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो पंचायत समिति के प्रधान और सरपंच साहबान थानेदार के खिलाफ़ रिपोर्ट लिख देते हैं और उसका तबादला हो जाता है।

मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता कि पुलिस में भ्रष्टाचार है। यह बात सही है कि जो कर्मचारी अपनी कम तन्ख्वाहों का रोना रोते हैं, वे भ्रष्टाचार भी बढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को छिपाया नहीं जा सकता कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ ही साथ भ्रष्टाचार का भी विकेन्द्रीकरण हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पंचायत राज और सामुदायिक विकास योजनाओं का बहुत बड़ा हिमायती हूं। मैं चाहता हूं कि देश में वे चलनी चाहिएं, लेकिन उन में जो ग़लत बातें हो रहीं हैं, अगर उनकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया और उन को रोका न गया, तो देश को बजाये फ़ायदे के नुकसान होने वाला है।

मुझे अपने चुनाव के अवसर पर यह अनुभव प्राप्त हुआ कि मैं उन लोगों के पास वोट मांगने गया और मैं समझता था कि वह गांव पंचायत का सरपंच है, पंचायत समिति का प्रधान हैं, इस के साथ बहुमत है। लेकिन जब मैं उनसे बात कर के बाहर निकला, तो मेरे साथियों ने मुझे बताया कि वह गांव का सरपंच ही नहीं है, बल्कि एक माना हुआ गुंडा भी है और वह डकैतों से चोरी का माल ले कर बेचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हम अवांछनीय समझते हैं, उस के हाथ में सारी सत्ता है और उस को कानूनी रेकगनीशन मिली हुई है।

इस लिए इस पंचायत राज की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए कि किन लोगों को हम सत्ता दें और कितनी सत्ता दें। जैसाकि मैंने अभी कहा है, मैं पंचायत राज और सामुदायिक विकास योजनाओं का बड़ा हिमायती हूं। मैं चाहता हूं कि गांवों की तरक्की हो और वहां रहने वाले ग़रीबों और हरिजनों का स्तर ऊंचा हो। लेकिन मैं देखता हूं कि इन योजनाओं से उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जिन को नहीं मिलना चाहिये और जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उन को नहीं मिल रही है और जिन लोगों को बाद में भी सहायता दी जा सकती है, जो रोजी रोटी का गुज़ारा कर सकते हैं, उनको सहायता पहुंचाने में प्राथमिकता दी जा रही है। हम चाहते हैं कि बीकर

सैक्शन्ज़ आफ़ दि सौसायटी का भला हो और उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात की छान-बीन की जानी चाहिए कि इस का क्या कारण है। चुनाव की ऐसी व्यवस्था से जनता का क्या भला हो सकता है, जिस में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गांव का बड़ा ज़मींदार हो, ग्राम पंचायत का सरपंच बन सकता है? उस व्यक्ति से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह भूमिहीनों को भूमि देगा?

एक तरफ़ हम हिन्दुस्तान के सब नागरिकों को चुनाव लड़ने के लिए समानाधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ हम इस बात की जांच नहीं करते कि क्या कोई उस अधिकार का उपयोग भी कर सकता है या नहीं। समानाधिकार का उपयोग करने के लिए समान अवसर भी दिये जाने चाहिएं। एक तरफ़ तो बड़े राजा-महाराजा चुनाव लड़ते हैं, जिन के पास लाखों करोड़ों की पूंजी है, जिनको सरकारी ख़जाने से प्रिवी पर्स आदि के रूप में भत्ते मिलते हैं, जिनका व्यक्तिगत असर बहुत अधिक है और दूसरी तरफ़ मेरे जैसे ग़रीब व्यक्ति हैं। इस अवस्था में यह कैसे आशा की जा सकती है कि लोग समानता के अधिकार का उपयोग करेंगे।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि गांव के नम्बरदार को, जिस को साल भर में नम्बरदारी का पचास रुपया भी नहीं मिलता है, आफ़िस आफ़ प्राफ़िट माना जाता है, लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों और राजा-महाराजाओं को आफ़िस आफ़ प्राफ़िट नहीं माना जाता है, जिन को सरकारी खज़ाने से भत्ते दिये जाते हैं। चूंकि मैं कोई वकिल नहीं हूं, इस लिए में कानूनी पेचीदगीयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को समानाधिकार के साथ-साथ समान अवसर भी दिये जाने चाहिएं। जो लोग सरकार से बड़ी-बड़ी रकमें लेकर पनप रहे हैं, मुझे उन से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, और मैं चाहता हूं कि वे भी दूसरों की तरह तरक्की करें, लेकिन उनको अनधिकार चेष्टा नहीं करनीं चाहिए। लेकिन इसमें उन का कोई कुसूर नहीं है, क्योंकि उन की इस अनधिकार चेष्टा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी यहां पर पधार चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस विषय पर विचार करेंगे।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जब से देश में कांग्रेस की सरकार बनी है, स्वास्थ्य-सेवाओ और शिक्षा आदि की व्यवस्था की गई है और ग़रीबों, किसानो और मज़दूरों को राहत मिली है, लेकिन ऐसे गांव भी हैं, जहां आज तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं। वहां पर बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां पर पंचायत समितियों और सरकार के ज़रिये से अनावश्यक कामों में रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कुंए के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योजना के तहत किस काम को प्रायर्टी दी जानी चाहिए। कम से कम हर एक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं राजस्थान के गांवों के बारे में जानता हूं कि वहां पर कुछ बीमारियां केवल इसलिए फैल जाती हैं कि शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है और लोगों को तालाब का पानी पीने को मिलता है। इसलिए अगर कुंए के पीने के पानी की योजना को प्रायर्टी दी जाये, तो इस से गांवों के सब लोगों को लाभ पहुंचेगा।

योजना बनाते समय हम इस बात का बहुत ख्याल करते हैं कि जिन के पास काम नहीं है, उन को रोज़ी मिल जाये और जिन के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन को मकान देने की चेष्टा की जाये। लेकिन फिर भी यह देखने में आता है कि पिछड़े हुए क्षेत्र इस प्रकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उदाहरणस्वरूप किसी क्षेत्र में कोई कारख़ाना खोलने के लिए सरकार की ओर से दो चार शर्तें रखी जाती हैं, जैसे पानी इतना नीचे होना चाहिए, काम करने के लिए वहां पर इतने मज़दूर मिलने चाहिएं, आदि। होता यह है कि वह क्षेत्र उन सारी शर्तों को मन्जूर कर लेता

है, लेकिन न जाने कोई राष्ट्रीय समस्या सामने आ जाती है या कोई और कठिनाई उत्पन्न हो जाती है—मुझ जैसा छोटा सा आदमी उन को नहीं जान सकता—और उस कारखाने को किसी दूसरी जगह लगाने की योजना बन जाती है, जहां पहले भी कई कारखाने बने हुए हैं। कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, वहां पर विकास के कामों को प्राथमिकता दी जाये। तभी हम देश में समाजवाद ला सकेंगे और देश की आम जनता को राहत मिल सकेगी। यह ठीक है कि हम देश में समाजवाद ला रहे हैं और जातिवाद और साम्प्रदायिकता खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। काम तो हो रहा है, लेकिन उन को पहले सुविधा दी जानी चाहिए। अगर एक आदमी दो रोटी खाता है, लेकिन उस को घी और मक्खन नहीं मिलता है, तो उस को कुछ देर बाद राहत पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास खाने को रोटी नहीं है, उस को रोटी मिल जाये, इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार देश, जो कि तरक्की कर रहा है, और तरक्की कर सकेगा और सही रास्ते पर चलता हुआ अपने सब नागरिकों का स्तर ऊंचा कर सकेगा।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : सभापति जी, मैं अपनी और अपने दल की ओर से राष्ट्रपति जी को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देश की बहुत सेवाएं की हैं।

मेरे दिल में महात्मा गांधी जी के प्रति किसी से कम श्रद्धा नहीं है। परन्तु महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्र महात्मा जी से कई देर पहले से चला आ रहा है।

यदि चुनाव शान्तिमय ढंग से हुए हैं तो उस का श्रेय जनता को है न कि सरकार को; जो अपने कर्तव्य के पालन में सफल नहीं हुई है।

जम्मू और काश्मीर में निर्वाचनों में बहुत गड़बड़ हुई है केवल इतना ही नहीं कि मतदान पेटियां तोड़ी गईं परन्तु कुछ पार्टी तथा पदाधिकारियों को पहले से ही मतदान पेटियों में मत डालने के लिए मतपत्र दे दिये थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

बख्शी गुलाम मुहम्मद ने पहले ही कह दिया था कि डोगरा पार्टी के उम्मीदवारों को ही विजयी होने दिया जायेगा। ऐसा ही हुआ। चुनाव में हार जीत तो होती है। जब इस तरह के तरीकों का प्रयोग किया जाये तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठ जाता है। जम्मू और काश्मीर में चुनावों को शून्य करार देना चाहिए।

पंजाब में सरहाली में, नारनौल में और थानेश्वर में ऐसा ही हुआ।

दिल्ली में क्या हुआ। मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूं कि इस बात की जांच करें कि सरकारी प्रणाली का कैसे प्रयोग हुआ। जनवरी में कई छोटी छोटी पुस्तिकायें प्रचार मंत्रालय ने निकालीं और हजारों की गिनती में बांटी गईं। कितना रुपया खर्च हुआ ? यदि चुनाव रुपये के जोर से होंगे तो इस देश में लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा ?

चुनावों के सवाल तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी के प्रयोग के सवाल की जांच के लिए एक उच्च शक्ति आयोग की स्थापना की जाये। उन सब बातों को दूर किया जाये जो इस

†मूल अंग्रेजी में

देश में लोकतंत्र का भविष्य अन्धकारमय बना रहे हैं। हमारे चारों ओर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। एशिया में ही नहीं अपितु दुनिया में लोकतंत्र के लिए भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए।

अब मैं मतों की गणना का प्रश्न लेता हूं, गोंडा और बलरामपुर में पुनः गिनती पहली गिनती से कितनी भिन्न निकली। इस की जांच होनी चाहिए।

१९५४ में की गई भारत-चीन सन्धि एक महान् गलती थी। सरकार ने चीन की तिब्बत पर प्रभुत्ता के सवाल को मान्यता दे कर बहुत गलती की है।

मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। इतिहास के सारे काल में चीन कभी भी तिब्बत का मालिक न बन सका। यदि थोड़ी देर के लिए कभी चीन का तिब्बत पर कब्जा हुआ तो वह भी समय था कि तिब्बत के राजा चीन के सम्राट् से कर लिया करते थे। उसी तरह जिस प्रकार मुगलों ने भारत पर राज्य किया था। इसका यह तो अर्थ नहीं हुआ कि हमारा देश टर्की अथवा अफगानिस्तान का अंग बन गया। यह कहना कि तिब्बत चीन का अंग है एक सफेद झूठ है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नीति में परिवर्तन करें। मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वह तिब्बत के समझौते को जारी न रखें। हम ने जो भूल की है उसे हम को सुधारना चाहिए और तिब्बत को स्वतन्त्र होने का अवसर देना चाहिए। चाहे यह अवसर ५० अथवा १०० वर्ष के बाद आये।

चीन के व्यवहार को देखते हुए कि उसका पंचशील में कुछ विश्वास है। अतः इस विषय में कोई भी चर्चा करना असंगत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचशील के बारे में चर्चा है। मेरा निवेदन है कि काश्मीर के प्रश्न पर जो संकट है वह पाकिस्तान द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि वह स्वयं हमारी नीति के फलस्वरूप है। जो नीति हम ने अपनाई है उससे वहां के लोग ख्वामखां एक दुविधा में पड़ गये हैं। हमें उस राज्य के बारे में अपनी नीति को सर्वथा बदल देना चाहिए और उसका नये सिरे से निर्माण करना चाहिए। मेरा मत तो यह है कि इस समस्या का स्थायी हल एक ही है और एक ही होगा कि जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग मान लिया जाय। और जब तक भारतीय संविधान को उस राज्य पर लागू नहीं किया जाता यह कहना गलत है कि वह भारत का अभिन्न अंग है।

नेपाल के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां जो भारत विरोधी भावनायें हैं, उन के कारणों की पूरी तरह छानबीन की जानी चाहिए। हमारे हित नेपाल के हितों से जुड़े हुए हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न हो। किसी भी दल अथवा व्यक्ति के हाथ में वहां सत्ता हो हमें उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए। हमें ऐसे हालातों का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे नेपाल चीन के साथ मैत्री करने को विवश हो जाय। यह दुःख का विषय है कि पाकिस्तान बर्मा और मिश्र में लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि उत्पादन और सामान्य आर्थिक विकास की चर्चा की गयी है। मेरा निवेदन है कि कृषि के क्षेत्र में हमारी सफलतायें बहुत कम हैं। सभी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कोशिश नहीं की गयी है तथा चढ़ते हुए दामों को एक स्थिर स्तर पर बनाये रखने के लिए कुछ नहीं किया गया है। निश्चित आय वाले जो लोग हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार एक आदर्श मालिक बने। उसे अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पुनः वर्तन करना चाहिए तथा कर्मचारियों के लिए उचित दामों की दुकानें खोलनी चाहिए।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि) : मैं राष्ट्रपति जी को उनके महान् अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात तो संदेह से दूर ही है कि हमारे देश में एक मौन क्रांति हो रही है। समस्त क्षेत्रों में उन्नति देखने में आ रही है। देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हमें यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि शिक्षा से लोगों के मन में प्रेम और बन्धु-भावना निर्माण की जाय। ऐसा करने से स्वतः ही साम्प्रदायिकता, जातिवादिता और प्रान्तवादिता की भावनायें कम ह गी।

मेरा यह निश्चित मत है कि हमारा यह जो संघीय ढांचा है उससे परस्पर ईर्ष्या और विवाद उत्पन्न होते हैं। देश में तनाव की भावनायें पाई जाती हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस संघीय ढांचे को एक एकल शासन के ढांचे में बदल सकते हैं अथवा नहीं। देश की निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। लोक सभा तथा राज्य सभाओं के निर्वाचन अलग अलग होने चाहिएं ताकि स्थानीय प्रश्न वास्तविक प्रश्न को ढांप न दे। इन शब्दों से मैं राष्ट्रपति को उन के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : जनाब डिप्टी स्पीकर, वैसे तो मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बारे में कुछ निवेदन करना है लेकिन चूंकि मैं चुनावों में हार गया हूं तो यह लोक सभा के लिए मेरा एक विदाई नमस्कार अथवा सलाम भी है।

पिछले ४, ५ सालों में मैं यहां पर बहुत कुछ बोलता रहा हूं लेकिन मुझे दुःख यह है कि जो कुछ मैंने कहा उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। मैंने अर्ज किया था कि क्यों हमारे राष्ट्रपति जी यहां पार्लियामेंट में महाराजाओं और बादशाहों की शानशौकत के साथ पधारें लेकिन फिर भी वे यहां पर छै घोड़ों की गाड़ी में पधारे। सच बात तो यही है कि इसी कारण मैं उस इजलास में नहीं आया। कुछ कहने का मतलब तो यह होता है कि हमारी बात कुछ मानी जाय। हां एक बात मानी भी गई। मैं मानता हूं कि पंचायती राज बनाया गया है मगर यह कैसा पंचायती राज है। उसमें आये दिन लड़ाई, झगड़े और फिसाद होते हैं। लोग मारे जाते हैं। बजाय इस के कि पंचायती राज से जनता को फायदा होता लोगों को गांव में कुछ नुकसान हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक परम्परा से जो हमारी अपनी सभ्यता चली आयी है उसको तो हम छोड़ते हैं और अंग्रेजों की नकल करते हैं। उसी से सारी तकलीफें हैं। एक घर में एक बाप होता है, बीवी होती है और बच्चे होते हैं। अगर कहीं लड़कों को यह सिखा दिया जाय कि चलो लड़को तुम अपने बाप का भी चुनाव कर लो तो घर में बड़ी मुश्किल हो जायगी। हो सकता है कि वह सारे लड़के मिल कर अपने असली बाप के बजाय किसी और आदमी को बाप चुन लें। ऐसा तो नहीं होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि कुछ स्वाभाविक नेता होते हैं। अब खानदान में बाप जो है वह स्वाभाविक नेता है। इसी तरीके से हर कौम में एक स्वाभाविक नेता होता है।

इस चुनाव में जातिवाद का काफी बोलबाला रहा है। आप कांग्रेसियों से ही पूछ लीजिये कि क्या यह वाकया नहीं है कि यह चुनाव जातिवाद के सिद्धान्त पर हुए ? जाति वालों ने अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट दिया। बेहतर तो यह होगा कि जब जातियां हैं तो इन जातियों को मान लेना चाहिये और उन जातियों के जो स्वाभाविक नेता हैं उन का गांवों में राज्य बनाया जाय और उनका ही शहर में राज्य बनाया जाय। मुझे यह बात अर्ज करते पांच साल हो गये लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मुझे तो ऐसा नजर आता है कि हमारे देश के लोगों ने और खास तौर से हमारे नेता एक नये दीन को कबूल कर चुके हैं जिस का कि नाम डेमोक्रेसी है। यह दीन लंदन से निकला

†मूल अंग्रेजी में

है। अब यह नेता लोग लंदन को सलाम करते हैं और कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी मानते हैं। अब आखिर डेमोक्रेसी है क्या बला यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरा कहना यह है कि इस डेमोक्रेसी को हम खत्म करें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म ही हो गई है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो आप को यह सब कहने का मौका कैसे मिलेगा ?

राजा महेन्द्र प्रताप : जी मुझे मौके जरूर मिलेंगे। अफगानिस्तान में वहां के बादशाह मुझसे सलाह लेते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मौके तो तब भी मुझे मिलेंगे . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी के न रहने पर भी आपको कहने का मौका मिल जायगा लेकिन हमें तो आप को सुनने का मौका नहीं मिलेगा और यह हमारी बद-किस्मती ही होगी।

राजा महेन्द्र प्रताप : नहीं जनाब मैं आप को आप के घर में पहुंच कर सुनाऊंगा।

अर्ज़ यह है कि नैपाल में भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। बर्मा में भी डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई। मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि अगर यही हाल चला तो यहां भी साल दो साल में डेमो-क्रेसी खत्म हो जायगी। कौन नेता होगा, यह तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री पहाड़िया : माननीय सदस्य ही हो जायें।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे ज्यादा देर तक नहीं चल सकते हैं। हम लोग तमाशों, खेल-कूद और नाच-रंग में पड़ गये हैं। धर्म तो यह सिखाता है कि जो जैसा करता है, वैसा पाता है। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे कांग्रेसी भाई इस बात को महसूस नहीं करते हैं। १९०६ से १९५२ तक मैं भी कांग्रेस में था। मैं उस कांग्रेस में था, जो समस्त देश, जाति और समस्त देशवासियों की कांग्रेस थी। मुझे खुशी है कि मैं इस कांग्रेस में नहीं हूं, जोकि राज करने के लिए और दूसरों को दबाने के लिए एक गुट बनी हुई है।

कांग्रेसियों ने—हम लोगों ने—अपने वक्त में अपनी कौम और वतन के लिये तकलीफें उठाईं। मैं उन तस्वीरों को देखता रहा हूं कि हमारे कुछ कांग्रेसी भाई पैर में चप्पल, हाथ में झोला, खद्दर का कुर्ता धोती पहने और गांधी टोपी लगाये, भूखे नंगे घूमते थे, तकलीफें उठाते थे और जेल में जाते थे। उस तपस्या की वजह से अब तक यह कांग्रेसी सरकार चलती रही है। लेकिन कांग्रेसी जिस तरह से अब काम कर रहे हैं, खुदा ही उस से बचाए। हमारे कांग्रेसी नेताओं ने जो लोग चुने, यह नहीं पूछा कि जिस आदमी को हम मुकर्रर कर रहे हैं, वह कैसा है। वह चोर है, वह ग़बन करे, औरतें भगाए वह, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस में है। भला यह कोई बात है करने की ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मुकाबला करना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य किसी को ऐसा न कहें।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं किसी खास आदमी को नहीं कह रहा हूं। आप ज़रा मालूम कर लीजिये।

मैं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को तार भी दिया था। उन्होंने फ़ौरन उस का जवाब दिया। मैं ने अपने अंग्रेज़ी के अखबार में उस को छापा है, लेकिन वे बातें नहीं छापीं, जो मैं ने उन को तार में लिखी थीं।

[राजा महेन्द्र प्रताप]

हमारा यह देश बड़ा प्राचीन देश है। पांच हज़ार साल पहले की हमारी सभ्यता है। जब हम सभ्य थे, तब यूरोप में नंगे लोग रहते थे। हमारी बड़ी प्राचीन सभ्यता है। यहां हिन्दू धर्म की सभ्यता में मुसलमान दीन की सभ्यता आकर मिली है, मानो हिन्दू गंगा में मुसलमानी जमना आ कर मिली है और सिख सरस्वती भी आ कर उस में मिल गई है, तो यह त्रिवेणी बनी है। यह हमारा पवित्र देश है। जनाब रईस साहब, मैं अर्ज़ करूंगा कि हम सब मिल कर इस देश में सच्चे मायनों में धर्म राज्य स्थापित करें। मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूं। वह धर्म-राज्य ऐसा होगा कि हिन्दू कहेगा कि यह हमारा धर्म-राज्य है, मुसलमान कहेगा कि यह दीनी हुकूमत है और सिख कहेगा कि बन गया खालसे का राज्य—हम ने कहा था कि "आकी रहे न कोय", सो बन गया वह ख़ालसे का राज्य।

मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने इस का कोई ज़िक्र नहीं किया। मैं उन को दोषी नहीं ठहरा सकता। वह महान् पुरुष हैं और बेचारे सीधे-सादे महानुभाव हैं। दोष तो सरकार का है कि उस ने उन के मूंह में क्या कुछ रख दिया।

हमारी सरकार न तो चीन का मसला हल कर पाई है, न पाकिस्तान का और न काश्मीर का। मैं ने बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है कि मैं यह करने के लिये तैयार हूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दस्तख़त से ख़त लिख कर कहा कि हम आप को कहीं नहीं भेज सकते, क्योंकि मेरी और सरकार की राय नहीं मिलती।

मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें अर्ज़ की थीं। मैं ने कहा था कि चीन और जापान के साथ मुआहिदा मुमकिन है इस उसूल पर कि हिन्दुस्तान, चीन और जापान अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या को उन जगहों में भेंजें, जहां पर ज्यादा आदमी नहीं हैं। हम उन लोगों से कहेंगे कि हम आप के मुल्क की तरक्की और ख़िदमत करने आते हैं, हम यह नहीं चाहते कि हम आप के मुल्क को लें, हम तो आप के मुल्क की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। इस पर कौन ऐतराज़ कर सकता है ?

जहां तक गोआ की कार्यवाही का सवाल है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। इस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी अपनी ससुरलाल गया और वहां उस ने एक चूहा मार दिया। इस पर घर की बड़ी औरत ने कहा कि "राम राम, यह चूहा किस ने मार दिया ? यह छोटा सा जानवर किस ने मार दिया ?" दामाद को बड़ा रंज हुआ। घर के मालिक को जब यह मालूम हुआ, तो उस ने कहा कि "बहुत बड़े भूत को मार दिया, बड़ी दुम वाले को मार दिया, बड़े दांतों वाले को मार दिया।" यह सुन कर दामाद खुश हो गया। इसलिये अगर सरकार ने गोआ का छोटा सा चूहा मार दिया, तो अच्छा हो गया।

मैं यह चाहता हूं कि हम धर्म-राज्य बनायें। अगर हम सब मिल कर, सब के फायदे में लग कर, सब को सुखी बनायें, तो हमारा ख़ालिक भी खुश होगा। हम इस तरह काम करें कि हम में किसी तरह की लड़ाई और रंजिश न रह जाये। मैं किसी आदमी के ख़िलाफ नहीं हूं। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनाव के सिलसिले में लिखा कि मैं किसी आदमी के ख़िलाफ नहीं हूं, मैं तो बुराई से लड़ता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे सब भाई पार्टी-बाज़ी को खत्म करने का इरादा कर लें। हम क्यों लड़ें ? हम तो सब भाई हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं, एक ईश्वर को मानने वाले हैं, हम ने इस मुल्क की ख़िदमत करनी है। यह क्या पार्टी-बाज़ी है, जो भाई को भाई से लड़ाती है। हम नहीं लड़ेंगे। आप यह इरादा करें कि हम सब मिल कर एक ऐसा देश बनायेंगे, जो दुनिया को रास्ता दिखायगा।

हमने यही करना है कि समस्त संसार में हो एक राज्य कि कौम कौम लड़ न सके, मुल्क मुल्क लड़ न सकें, सब दीन धर्म मिल कर बुराई से लड़ें, भलाई को बढ़ायें और ऐसी प्रथा चलायें कि गांव गांव कुटुम्ब हो, नगर नगर कुटुम्ब हो, बड़ों का आदर हों, बच्चों से प्यार हो, हट्टे कट्टे काम करें। इस तरह हमारा खालिक भी खुश होगा, जिस ने हम को पैदा किया। हम ने, अपने आप को पैदा नहीं किया। हम अपने आप को जीता भी नहीं रखते। दिल धड़क रहा है, तो हम जीते हैं। हमारी बुद्धि को भी हमारे बुद्धि ने तो बनाया नहीं। जिस ने हम को पैदा किया है, वह हम से उम्मीद करता है कि हम यहां पर कुछ बनायेंगे, बिगाड़ेंगे, नहीं।

†**श्री तंगामणि** (मदुराई) : राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में अलजीरिया का उल्लेख तो किया है परन्तु यह खेद की बात है कि सरकार ने अलजीरिया तथा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अस्थायी सरकारों को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दोनों सरकारों को मान्यता प्रदान की जाय। यह दोनों बातें ही हम ने अपनी संशोधन संख्या ५८, ५९ में प्रस्तुत की हैं।

श्री लंका में भी हमारे कुछ हित हैं। वहां आजकल लाखों राज्यहीन भारतीय रह रहे हैं। उन की समस्या का भी शीघ्र ही कोई हल निकाला जाना चाहिये। लगभग १० लाख तामिल भाषी लोग रहते हैं। वे न भारत के नागरिक माने जाते हैं और न लंका के। सरकार को इस मामले में प्रारम्भिक पग उठाने चाहियें।

संशोधन संख्या ७३ का सम्बन्ध काश्मीर से है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि काश्मीर का मामला राष्ट्र संघ से वापिस ले लिया जाना चाहिए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं अपने संशोधन संख्या ५३ अथवा ५४ के उल्लेख से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़े ही खेद की बात है कि चुनावों में सत्तारूढ़ दल द्वारा बहुत बड़ी राशियों का उपयोग किया गया है। उस दल ने अल्पसंख्यक जातियों को मत देने के लिए धमकियां भी दी है। मदुराई जिले में चार संसदीय क्षेत्र हैं और इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों में डाक द्वारा बैलट भेजने की व्यवस्था नहीं की गयी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा १६ मार्च, १९६२/फाल्गुण २५, १८८३ (शक) शुक्रवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुरुवार, १५ मार्च, १९६२
२४ फाल्गुन, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	१७५—९७
तारांकित प्रश्न संख्या		
३६.	चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण . .	१७५—७७
३७.	आसाम में तेल की खोज	१७७—७९
३८.	भारत में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा सहायता . . .	१७९—८१
३९.	गैस और भट्टी का तेल	१८१—८२
४०.	बिना सील तोड़े हुए मतदान पेटियों का खोला जाना .	१८२—८४
४१.	आसाम के तेल पर रायल्टी .	१८४—८६
४२.	मद्य-निषेध	१८६—८८
४३.	दिल्ली में बम विस्फोट . .	१८८—९०
४६.	त्रिपुरा में तेल के निक्षेप . .	१९०
४७.	रूस को बेचा जाने वाला भारतीय इस्पात . .	१९०—९१
४९.	भारत-अमरीका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम .	१९१—९२
५०.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक .	१९२—९४
५१.	"लुब्रिकेटिंग" तेलों का आयात . . .	१९४
५२.	केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी .	१९४—९५
५५.	निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण की योजना . .	१९५
५६.	जेट लड़ाकू विमानों की टक्कर .	१९५—९६
५७.	सेक्शन आफिसरों को अतिरिक्त "वेतन वद्ध" .	१९६—९७
५८.	तांबा तथा सोना निक्षेप . .	१९७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों क लिखित उत्तर	. . . . .	१९७—२१३

तारांकित
प्रश्न संख्या

४४.	रूरकेला इस्पात संयंत्र . .	१९७–९८
४५.	हिमाचल प्रदेश में भ्रंजू नहर	१९८
४८.	महरौली (दिल्ली) के निकट चांदमारी के कारण मृत्यु	१९८–९९
५३.	रूरकेला इस्पात संयंत्र . . .	१९९
५४.	हिमाचल प्रदेश में उहल घाटी में सड़क .	१९९
५९.	उड़ीसा में कोयला निक्षेप	२००
६०.	हिमाचल प्रदेश में जोगेन्द्रनगर तथा बरोत को मिलाने वाली सड़क	२००

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५५.	आम चुनावों सम्बन्धी आंकड़े	२००
५६.	बैंक आफ चायना से लाइसैन्स वापिस लिया जाना	२०१
५७.	देशबन्धु कालिज दिल्ली . . .	२०१
५८.	दिल्ली में शराब बिक्री की मनाही के दिन . .	२०१
५९.	दिल्ली के एक राजनीतिक दल के कार्यालय में बम विस्फोट .	२०१–०२
६०.	कोयले की कीमतें	२०२
६१.	तम्बाकू की अनधिकृत खेती	२०२
६२.	तम्बाकू की अनधिकृत खेती के मामले	२०३
६३.	पंजाब के जिलों में उत्पादन शुल्क निरीक्षक . .	२०३
६४.	चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता	२०३–०४
६५.	खोये हुए व्यक्ति की सम्पत्ति .	२०४
६६.	गणराज्य दिवस परेड . . .	२०४–०५
६७.	दिल्ली में अध्यापक	२०५
६८.	अस्वान बांध पर पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई . .	२०५–०६
६९.	रत्नागिरि जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंग का जब्त किया जाना	२०६
७०.	कोलार और हट्टी की सोने की खानें . .	२०६
७१.	तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्रियां . .	२०६–०७
७२.	कमलापुरुम में संग्रहालय . . .	२०७–०८
७३.	प्रविधिक संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन-क्रम . .	२०८
७४.	खोए हुए व्यक्ति	२०८–०९
७५.	गुजरात रिफ़ाइनरी (तेलशोधक कारखाना) .	२०९
७६.	असिस्टेंटों के वेतन का पुनरीक्षण . . .	२०९
७७.	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण .	२०९
७८.	जनता को पूंजी जारी करना	२१०
७९.	सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि .	२१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८०. रूरकेला का सिंटरिंग संयंत्र . . २१०—११

८१. वाणिज्य प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि २११

८२. पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में समय से अधिक ठहरना २११—१२

८३. लोक सहायक सेना शिविर . . २१२

८४. त्रिपुरा प्रशासक के कर्मचारी . . . २१२

८५. दिल्ली के लिये अच्छी किस्म का कोयला २१२—१३

८६. मीट्रिक पद्धति की पाठ्य पुस्तकें . . २१३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१३—१६

(१) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनिज रियायत नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४६ ।

(दो) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६६ ।

(३) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (सदस्यों का चुनाव) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ओ० २५७ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(५) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८६६ मे प्रकाशित प्रताप बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसके लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के साथ मिलाये जाने की योजना ।

विषय पृष्ठ

(ख) ट्रावनकोर फोरवर्ड बैंक लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ०१७ (३) बीसी/६१(आई)द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७(३)–बीसी/६१(आई) ।

(ग) बैंक आफ न्यू इण्डिया लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ० १७(३) बीसी/६१ (आई आई) द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७ (३)-बीसी/६१ (आई) ।

(घ) कोट्टायम् ओरियण्ट बैंक लिमिटेड (स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के साथ मिलाया जाना) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६१; दिनांक १५ जनवरी, १९६२ के आदेश संख्या एफ० १७(३) बीसी/६१ (आई आई आई) द्वारा संशोधित दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ का आदेश संख्या एफ० १७(३)–बीसी/६१ (आई) :

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९३ ।

(ख) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९४।

(ग) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ।

(घ) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२३।

(ङ) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५३ द्वारा शुद्ध की हुई दिनांक ३० दिसम्बर १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२४ ।

(च) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२ ।

(छ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३ ।

(ज) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २४ ।

(झ) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९ ।

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा

विषय पृष्ठ

३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५ जिसमें दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९४ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८ जिसमें दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ११९१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(८) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२१ ।

(ख) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४५ ।

(९) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३४ ।

(ख) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३५ ।

(ग) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३६ ।

(घ) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३७ ।

(१०) नौ-सेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८९ में प्रकाशित नौ-सेना (निजी सम्पत्ति का निपटारा) विनियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९० में प्रकाशित नौ-सेना (अधिकृत कटौतियां) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(११) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६०-६१ वार्षिक का प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

विधेयकों पर रायें २१६

(१) **श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** ने संविधान (संशोधन), विधेयक, १९६१ पर, जिसे ३१ अक्तूबर, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, राय का पत्र संख्या १ सभा-पटल पर रखा ।

(२) **श्री नरसिंहन्** ने संविधान (संशोधन), विधेयक, १९६१ पर, जिसे १ नवम्बर, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, राय का पत्र संख्या १ सभा-पटल पर रखा ।

विषय पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २१६

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विधेयक पुरस्थापित २१६–१७

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२ ।

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२ ।

(३) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक १९६२ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव २१८–५५

डा० सुशीला नायर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया । स्वामी रामानन्द तीर्थ ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया । धन्यवाद प्रस्ताव पर अट्ठावन संशोधन प्रस्तुत किये गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधनों पर आगे चर्चा ; तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ;

GMGIPND—LS —III1968 (Ai) LSD 3-4-62—125.